

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 248/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

In re: News Item published in the
Hindu dated 27.03.2022 Titled as
Digging up the Chambal

//VERSUS//

RESPONDENT:

State of MP

INDEX

Sl.	Particulars	<u>Annexure</u>	<u>Page No.</u>
01	Reply		
02	Affidavits		
03	Copy of the notification dated 31/01/2023	ANNEXURE R-1	
04	Copy of the minutes of meeting dated 21/02/2023	ANNEXURE R-2	
05	Copy of Conservation and Protection Plan of Chambal Sanctuary	ANNEXURE R-3	
06	Copy of Action Taken Report by Forest Department dated 29/03/2023	ANNEXURE R-4	
07	Copy of Minutes of the meeting dated 14/02/2023	ANNEXURE R-5	
08	Copy of order dated 24/02/2023	ANNEXURE R-6	
09	Copy of the order dated 13/02/2023	ANNEXURE R-7	
10	Copy of Minutes of the meeting dated 07/03/2023	ANNEXURE R-8	
11	Copy of the instructions dated 14/03/2023	ANNEXURE R-9	
12	Copy of letter dated 17/03/2023	ANNEXURE R-10	
13	Copy of Minutes of the meeting dated 14/03/2023	ANNEXURE R-11	

14	Copy of Minutes of the meeting dated 17/03/2023	ANNEXURE R-12	
15	Copy of Action Taken Report by Mining Department vide letter dated 29/03/2023	ANNEXURE R-13	
16	Copy of the newspaper cuttings	ANNEXURE R-13a	
17	Copy of the Action Taken Report dated by Collector Morena 28/03/2023	ANNEXURE R-14	
18	Copy of the action taken report by Commissioner, Chambal Division, Morena dated 28/03/2023	ANNEXURE R-15	
19	Copy of the Action Taken Report dated by Collector Sheopur 28/03/2023	ANNEXURE R-16	
20	Copy of the Action Taken Report dated by Collector Bhind 28/03/2023	ANNEXURE R-17	
21	Copy of the minutes of meeting dated 20/03/2023	ANNEXURE R-18	
22.	Vakalatnama		

SUBMITTED BY;

RESPONDENT STATE OF MP

THROUGH;

BHOPAL

(SACHIN K. VERMA ADV)

31/03/2023 COUNSEL FOR THE RESPONDENT STATE OF MP

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
O.A. NO. 248/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

In re: News Item published in the Hindu dated 27.03.2022 Titled as Digging up the Chambal

//VERSUS//

RESPONDENT:

State of MP

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MP

On behalf of Respondent State named above, it is most respectfully submitted as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 06/02/2023 has passed the directions, the relevant extract is quoted below:-

"In the light of discussion, we direct the Chief Secretaries of all the three States to take stock of the situation within one month in a joint meeting, after separate review meetings in respective States. Since epicenter of illegal mining is Morena in Madhya Pradesh, the Chief Secretary, MP may take initiative for holding joint meeting, in consultation with the Chief Secretaries of Rajasthan and UP on mutual convenience basis. Meeting may be held online or offline. The Chief Secretary, MP will be nodal agency for all purposes to prepare a credible action plan in the matter after coordination with other Chief Secretaries. The action plan may include surveillance by drones, requirement of GPS fitted vehicles moving in the area, installing CCTV cameras, providing satellite phones and

modern weapons to the police force deployed and extra honorarium. Provision be made on extra forces as per assessment. Check posts may be installed to verify whether transportation was of validly extracted mineral, duly supported by documents of which record may be maintained. In absence of such documents, the vehicles along with mined material may be seized and confiscated.”

2. In compliance to the direction passed by Hon'ble Tribunal a meeting was conducted under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh on 21/02/2023 at his antechamber situated at Vallabh Bhawan Bhopal following officials were present in the meeting :-

//MINUTES OF MEETING HELD BY CHIEF SECRETARY//

1. Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Home
2. Director General of Police, Madhya Pradesh, PHQ Bhopal
3. Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Forest
4. PCCF(HOFF) Satpuda Bhawan Bhopal
5. PCCF (Wildlife) Satpuda Bhawan Bhopal.
6. Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, Department of Revenue
7. Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, Department of Mineral Resources
8. Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Environment
9. Member Secretary, M.P.P.C.B.
10. Divisional Commissioner, Chambal Division, Morena
11. Inspector General of Police, Chambal Zone, Morena
12. Chief Conservator of Forest Morena/Chambal
13. District Collectors, District Bhind, Morena, Sheopur
14. Superintendents of Police, District Bhind Morena, Sheopur
15. Divisional Forest Officers District Bhind, Morena, Sheopur

At the start of the meeting the Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, Department of Environment gave a presentation pertaining to the background and important anecdotes of the order passed by the Hon'ble Tribunal. The matter is derived from the conservation of endangered aquatic species of National Chambal Sanctuary, the interstate National Chambal sanctuary has been established within the purview of the Wild Life (Protection) Act 1972 for the conservation and protection of worthy aquatic life like Dolphins, Soft Shell Turtles and Ghariyals etc.

The Forest Sanctuary is established by Government of India on 30th of September 1978. At present the National Chambal Sanctuary is 1 km wide on both side of the middle line of the Chambal River, about 435 Km in length, in the south of the Chambal River the State of Madhya Pradesh (District Sheopur, Morena & Bhind), in the north of Chambal River State of Rajasthan (District Sawai Madhopur and Dhaulpur) and in the State of Uttar Pradesh (District Etawah) are notified areas of the National Chambal Sanctuary.

The Management of the entire sanctuary area in the State of Madhya Pradesh is carried out by Director, National Chambal Sanctuary, Headquarters at Morena under the supervision of Chief Wildlife Warden State of Madhya Pradesh, at Bhopal.

The Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh had a discussion with the District Collectors and Superintendents of Police of District Morena, Sheopur and Bhind, Divisional Commissioner, Chambal Division and Inspector General of Police, Chambal Range, to curb and control illegal sand excavation and transportation from the National Chambal Sanctuary area, about the efforts and challenges in controlling the illegal sand excavation and transportation, also about the legal options to meet the demand of sand from Morena, Sheopur and Bhind Districts and adjoining main cities of State of Madhya Pradesh, State of Rajasthan and State of Uttar Pradesh. Further a detailed discussion is also held regarding providing alternative employment

opportunities to the families engaged in illegal sand excavation and transportation.

The Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, held a detailed discussion with the Director General of Police, PCCF/HOFF, ACS Department of Home, ACS Department of Forest, PS Government of Madhya Pradesh Department of Revenue, PS Government of Madhya Pradesh Department of Mineral Resource, PCCF (Wildlife) regarding co-ordination at District level to prevent illegal sand mining and transportation in the National Chambal Sanctuary area providing additional human and financial resources to mitigate with the challenges.

Further, a detailed discussion was also held with the Principal Secretary Government of Madhya Pradesh Department of Mineral Resource, on the legal alternatives to meet the demand of sand in the main cities of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh adjoining National Chambal Sanctuary.

According to the above discussions, deliberation and observations following decisions were taken:-

i. **PLANNING OF THE FOREST DEPARTMENT:-**

Under the relevant provisions of the Wild Life (Protection) Act 1972, the right of entry and restrictions, issuance of permission on the entry into the sanctuary area is vested with the Chief Wild Life Warden. The Chief Wild Life Warden and Forest Department are expected to prepare a comprehensive working plan for the conservation and protection of National Chambal Sanctuary in view of the directions passed by Hon'ble Tribunal in OA No. 248/2022 and also keeping in mind the detailed discussions and deliberations held in this meeting.

In addition to the specific measures for the protection of important aquatic life such as Dolphins, Soft-Shell Turtles And Ghariyals issues like prevention of sand excavation and transportation and also the component to provide

alternative employment opportunities to the families engaged in illegal sand excavation and transportation should also be included in the working plan, all concerned departments and officials of the District Administration are expected to provide its departmental proposals to the Forest Department within a week so that the proposals are included in the working plan and for the execution of working plan financial resources could be provided from CAMPA Fund or any suitable fund. The presentation of draft working plan should be provided in the next meeting.

ii. **EFFECTIVE ACTION PLAN TO PREVENT ILLEGAL SAND EXCAVATION AND TRANSPORTATION :-**

It is further observed that for effective implementation of prevention upon illegal excavation and transportation an order under the provisions of section 144 CrPC should be published and broadcasted. The supply of Diesel/petrol to the vehicles engaged in illegal mining/ without having any display of number plates should be banned, for the effective drone surveillance, the optimum use of the two drones available with the Forest Department should be ensured, according to the requirement.

The repair of drones or the purchase of new drones should be made from the District Mineral Fund, implementation of effective management and uses of the prior Police Force available with the Director National Chambal Sanctuary headquarter Morena. Additional Police Force should be made available as per the requirement. The number of check post currently operational in the area should be increased and other modern technical facilities like mobile and fiber connectivity etc. should be developed as per requirement.

iii. **COMMENCEMENT OF VALID SAND MINES:-**

The Department of Forest, Government of Madhya Pradesh has issued a notification dated 31/01/2023 to denotify 207 hectares of area of District Morena and Sheopur from the

sanctuary area. The auction process of legally valid sand mine should be completed at the earliest. The sand contractors may also be allowed to establish sand stockyard to overcome the possible shortage of sand due to ensure the availability and supply of sand from valid sources. The copy of the notification dated 31/01/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-1**

- iv. **INTER-STATE CO-ORDINATION:-** The DGP, PCCF/HOFF, ACS HOME, ACS FOREST, PS REVENUE, PS ENVIRONMENT, PS MINERAL RESOURCES, PCCF WILDLIFE are expected that they will establish contact with their counterparts in the State of Rajasthan and Uttar Pradesh and will also establish an inter-state co-ordination channel by providing the departmental agenda points within this week, the ACS Home and PS Environment are expected to prepare the agenda on the basis of agenda points provided by the aforementioned departments and keeping in mind the discussions held with the concerning officials of Rajasthan and Uttar Pradesh States.

The copy of the minutes of meeting dated 21/02/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-2**

3. On the basis of the deliberations and decisions taken during the meeting conducted in the chairmanship of Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, the Forest Department has prepared the National Chambal Sanctuary, Conservation and Protection Plan 2023-24 to 2027-28 and has strategized the short term and long term strategies which are quoted below:-

NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY, CONSERVATION AND PROTECTION PLAN 2023-24 TO 2027-28

LONG TERM STRATEGIES

- 1) Reduce direct and indirect threats to the river in biodiversity and ecosystem of the National Chambal Sanctuary through active protection and management

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutions
1.1 Systematically assess and monitor the threats to species and habitats in the National Chambal Sanctuary	a) Collate existing information on threats(internal as well as external)to the National Chambal Sanctuary, including proposed developmental activities.	✓		✓
	b)Update baseline data, and develop monitoring programmes to gather information on the nature, degree and extent of threats.	✓		✓
	c) Assess impacts of threats on population and abundance.	✓		✓
	d)Immediate implementation of court order on illegal sand mining, and No vehicle zone(Appendix IV a & IV b)	✓		
1.2 Secure the National Chambal Sanctuary and control all illegal and detrimental activities within the boundaries of the Protected Area	a) Augment staff strength, capacity and protection infrastructure. Protection staff (forest guards / chowkidars) to be recruited on a permanent basis or contracted annually, for an entire year.	✓		
	b) Establish and strengthen intelligence gathering about illegal activities.	✓		
	c) Improve protection by regular and effective patrolling.	✓		
	d) Complete the mandatory	✓		✓

	process of settlement of rights, delineation of boundaries and final notification			
	e) (Re)assessment of Environment Impact Assessments (EIA) to ensure strict adherence to existing legislation and due process	✓		✓
	f) Evaluate the effectiveness of nest and beach management programmes	✓	✓	✓
	g) Minimize the mortality of eggs and hatchlings, disturbance to nesting females caused by feral and domestic animals by focusing on the protection of entire nesting beaches rather than individual nests.	✓		✓
	a) Guidelines for general preparedness and response to facilitate a proactive, rather than reactive approach. b) Deori Gharial Rearing Centre /Barhi Turtle Rearing Centers for crisis management	✓	✓	✓
	b) Establish contingency plans, with specific roles and duties for the various participants	✓	✓	✓

2) Establish and implement the conservation and management plan through state, national and international coordination and cooperation:-

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
<p>2.1 Assist and collaborate with states and relevant institutions to share information on threats, to cooperate in enforcement activities, and to develop national and regional action plans for the conservation and management of the National Chambal Sanctuary</p>	<p>a) Strengthening and coordinating the administrative, institutional and infrastructural components of the National Chambal Sanctuary between Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh</p>	✓		
	<p>b) Ensure the monitoring and review of management practices, and follow a system of 'adaptive management' that allows for integration of new knowledge and information</p>	✓		✓
<p>2.2 Enhance mechanisms for cooperation and promote information exchange</p>	<p>a) Identify and strengthen existing mechanisms for cooperation at the regional level</p>	✓		
	<p>b) Develop a web-based information resource to facilitate net working and exchange of information</p>	✓		✓
	<p>c) Create a directory of experts and Resources people/ organizations concerned with aquatic biodiversity and conservation.</p>	✓		✓

3) Declaring the National Chambal Sanctuary as a World Heritage/Ramsar Site

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
3.1 Establish international importance of the National Chambal Sanctuary	a) Prepare proposals to declare the National Chambal Sanctuary as a World Heritage/ Ramsar Site	✓	✓	✓
	b) Ensure compliance of international treaties like the <i>Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention)</i> , which lists both flagship species of the National Chambal Sanctuary — the Gharial (<i>Gavialis gangeticus</i>) and Ganges river dolphins (<i>Platanista gangetica gangetica</i>).	✓	✓	✓

SHORT TERM STRATEGIES

4) Protect, conserve and restore species and their habitats of conservation significance.

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutions
4.1 Establish necessary measures to Protect and conserve critical habitats of Rare,	a) Identify critical habitats of RET species, and develop site specific conservation measures for these habitats.	✓		✓
	b) Strengthen the application of existing conservation laws and policies to protect the National Chambal Sanctuary.	✓	✓	✓
	c) Identify a network of protected areas and other suitable habitats that have the potential to maintain functional	✓		✓

connectivity and natural process overtime			
b) Examine regional geography, vegetation, species distribution and land-use patterns to determine linkages between these areas.	✓		✓
e) Compilation and analysis of multi-decadal river basin flow data and changes in flow needs in order to predict further changes in the flow regime due to new projects	✓	✓	✓
f) Permanent monitoring of water quality (including's spende sediment, nitrates, BOD, pH, TDS, and conductivity) and stream flow discharge atleast 3-4 sites along the entire Chambal stretch. Suggested locations are Keshoraipatan, PaliGhat, Dholpur, Pinahat and Barhi (Chambal-Yamuna confluence).	✓		✓
g) Integration of policies, decisions and costs across sectors such as conservation, agriculture, industry and urban development.		✓	
h) Establish ecologically relevant flow regimes, with provisions for a variety of flow types with different functions.		✓	✓
i) Urge the state governments to accord higher priority to 'ecological needs' in the respective state water policies.		✓	✓
j) Recommend the constitution of a Chambal River Basin Authority.	✓	✓	✓

	k) Increased focus on tributaries for holistic Chambal River basin Management	✓	✓	✓
--	---	---	---	---

5) Improve understanding of the ecology and populations of key species' ecology through research, monitoring, capacity building and information exchange.

Strategy	Action	M.P	MoEF	Other Institutions
5.1 Collaborative monitoring and research targeted at conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem.	a) Collate existing information on the biodiversity and ecology of the National Chambal Sanctuary	✓		✓
	b) Conduct baseline studies or gather secondary information on the biodiversity and ecology of the National Chambal Sanctuary	✓		✓
	c) Review periodically and evaluate research and monitoring activities	✓		✓
	d) Promote and undertake research activities to ensure that sound science informs decision-making and management practices (see 'Science and Research' section for details)	✓	✓	✓
	e) Identify needs for capacity-building in terms of human resources, knowledge and facilities	✓		✓
	f) Regular training and access to resources needed for effective conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem. All National Chambal Sanctuary staff shall be trained specifically on the various aspects	✓		✓

	of aquatic ecosystems and biodiversity			
	g) Exposure to varied conservation approaches and interaction with other conservation professionals	✓		✓
	h) Standardise monitoring protocols, and methods and levels of data collection	✓		✓
	i) Determine the most appropriate methods for information dissemination	✓		✓
	j) Exchange information and expertise among states, scientific institutions and NGOs, in order to develop and implement best practice approaches to conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem	✓		✓

6) Enhance public education and awareness about the protected area, and its biodiversity and ecosystem values.

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
6.1 Establish public education, awareness and information programmes	a) Setting up well-planned and thematic Biodiversity Resource Interpretation Centre and Kiosks at various locations along the Sanctuary	✓		
	b) Collect, develop and disseminate education materials	✓		✓
	c) Develop and conduct focused education and awareness programmes for target groups (e.g. policymakers, teachers, schools, rivers side communities, media)	✓		✓

d) Organize special events related to aquatic biodiversity and ecosystems (e.g. World Wetland Day, Year of the Turtle, symposia)	✓		✓
--	---	--	---

7) Elicit public support for the National Chambal Sanctuary through public participation and community engagement.

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
7.1 Integration of the protected status and health of the National Chambal Sanctuary into the social	a) Conduct socio-economic studies of fringe villages along the National Chambal Sanctuary.	✓		✓
	b) Assess resource and livelihood dependency of local communities.	✓		✓
	c) Identify alternative livelihood opportunities for local communities to reduce their economic dependence on the Protected Area.	✓		✓
	d) Identify low impact appropriate technology for reducing dependency by promoting use of substitutes (for eg. -biogas) and improving biomass use efficiency (for eg. promoting use of pressure cookers, fuel efficient stoves, etc.)	✓		✓
	e) Ensure that tourism and other income-generating activities are ecologically sound, and socially and culturally compatible sensitive the region they and that it is compliant to all applicable regional, national and international regulations	✓		✓
	f) Encourage the participation of civil society (e.g. students, volunteers, local communities	✓	✓	✓

),NGOs, other Government institutions and the private sector, in research and conservation efforts			
g) Implement, where appropriate, incentive schemes to encourage public participation (e.g. public acknowledgement, certificates)	✓		✓
h) Creating alliances and partnerships with relevant agencies to implement identified programmes.	✓	✓	✓
i) To identify sources of public and private funding to support and supplement identified programmes (E.g. Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), Corporate social Responsibility (CSR), Vikas Nidhi, Tiger Foundation Society, etc.)		✓	
j) Campaign strategy and public-relations material	✓		✓
k) Prioritization of proposed actions, and develop channels to access specific funds for target activities	✓		✓

To strengthen and protect the sanctuary, a district level task force headed by the District Collector and Divisional Forest Officer, Superintendent of Police as member secretary has been constituted for controlling the forest/wildlife offences. This task force holds monthly meeting to plan out activities such as patrolling and raids.

8) Completion of the process of settlement of rights and getting the final notification of the National Chambal Sanctuary.

The process of settlement of rights is yet to be completed, as per the letter no. 17/5290, dated 8/8/2017 and addressed to the collectors of Morena, Sheopur and Bhind. The process may be completed based on the guidelines given below, as per the previous management plan.

1. Conduct mass public awareness programmes about biodiversity values of the National Chambal Sanctuary and Rights Settlement process so that the negative forces don't come in tone gate the process as happened earlier.
2. Conducting of training and workshop for revenue authorities as well as PA managers who are directly responsible for settlement of rights is a must. This is necessary to avoid confusion over the process of settlement of rights. Most people have an apprehension that it is at par with removing the people from the PA.
3. Immediately take up the matter of settlements of rights on war footing so that clash of interest of biodiversity conservation and wise resource utilisation of the PA as envisaged by forest policy 1988, Wildlife Action Plan, 2002 are realised.
4. It is not necessary that relocations should succeed the right settlement. Hence, allow the people residing within the PA to stay. It is essential during right settlement people's rights are identified, qualified and quantified. Without these specificities rights settlement process will not be achieving its goal as enunciated in Wildlife (Protection) Act, 1972.
5. Once the settlement process is complete clearances before final notification from Indian Wildlife Advisory Board and mandatory clearances from the legislative assembly under the Section-26(A)(3) of Wildlife (Protection) Act, 1972 provided it requires boundary alterations of the PA.
6. After completing all the formalities get the sanctuary finally notified under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 within a matter of one year.

BUDGETARY REQUIREMENT

Sl. No.	Budget Head	Detail	Allotment Year Wise (Rupees in lakh)					Total Financial Requirement (Rupees in lakh)
			1	2	3	4	5	
1	Awareness	Production of publicity materials	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
2		Conducting regular awareness programe (for villagers, students and staff)	4.67	5.14	5.65	6.22	6.84	28.52
3		Making a film On Chambal.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
4		Posters and Hoardings	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
5	Infrastructure	Construction of barriers to prevent illegal transportation	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	32.00
6.		Construction of Forest barrier	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
7		Procurement of motor boat for patrolling	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8		Procurement of patrolling vehicle (Mahindra Bolero Camper)	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
9		Construction of partrolling camps	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00
10		Construction of Range office	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	44.00
11		Construction of Staff Quarters	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	120.00
12		Signages and Demarcation of NCS boundary and Eco Sensitive Zone	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
13		Construction of orientation centers at Bhind	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
14		Interpretation center at DGRC	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
15	Legal	Legal support for defending court cases	3.54	3.90	4.29	4.72	5.19	21.64
16		Right Settlements	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
17		Website Maintenance	0.97	1.06	1.17	1.29	1.41	5.9

18		Maintenance of Documentation cum library cum museum	3.22	3.54	3.90	4.29	4.72	19.67
19	Maintenance	Daily maintenance and upkeep of rearing facilities and surroundings at DGRC/ordinary repair/sand filling etc.	17.72	19.49	21.44	23.58	25.94	108.17
20		Annual maintenance of motor boats, engines, manual boats and patrolling Vehicles	11.27	12.40	13.64	15.01	16.51	68.83
21		Anti poching deployment camp for patrolling	88.58	97.44	107.18	117.90	129.69	540.79
22	Protection	Purchase of 2 Drones	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
23		Maintenance of Drones, yearly expenditures on drone operator and a vehicle	8.00	8.80	9.68	10.64	11.70	48.82
24		POL for motor boats/patrolling vehicles/Generators	19.32	21.25	23.38	25.72	28.29	117.96
25	Research and Monitoring	Physico- chemical quality analysis of Chambal River and DGRC rearing pools	7.25	7.97	8.77	9.65	10.61	44.25
26		Annual survey of aquatic fauna in NCS	5.31	5.85	6.43	7.07	7.78	32.44
27		Population estimation of migratory wetland birds	4.19	4.61	5.07	5.57	6.13	25.57
28		Population estimation of raptors in NCS	3.70	4.07	4.48	4.93	5.42	22.6
29		Population estimation of river nesting birds and nesting success	3.22	3.54	3.90	4.29	4.72	19.67
30		Seasonal care and health care facility for ex situ reared Gharial and turtles at DGRC and Barhi Turtle rearing	7.25	7.97	8.77	9.65	10.61	44.25

	centre						
31	In situ conservation (monitoring, protection, data collection and management) of nesting species (Gharial, mugger, turtles and birds)	24.16	26.57	29.23	32.15	35.37	147.48
32	Ex-situ research initiatives	4.43	4.87	5.36	5.89	6.48	27.03
33	Survey for documentation of fish fauna in the Chambal River	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
34	Study on population ecology of freshwater turtles (hardshell and soft shell) in the NCS, with special focus on assemblages and community structure.	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	20.00
35	Studies to determine the presence of Smooth-coated otter in the NCS	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00
36	Study to understand the ecological importance of ravines, from the perspective of their long term conservation	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	10.00
37	Collection and transportation expenses for Gharial/Turtle eggs and release of reared animals under Grow and Release Program	1.13	1.24	1.36	1.50	1.65	6.88
38	Monitoring of Released Gharials	4.35	4.78	5.26	5.79	6.37	26.55
39	Flow estimation and determination of minimum necessary ecological flows	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00

40	Research and monitoring activities in NCS and ex-situ rearing centres	3.54	3.90	4.29	4.72	5.19	21.64
41	Annual Seminar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
42	Staff incentives	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
43	Total	629.32	350.89	339.25	316.58	343.62	1979.66

The copy of Conservation and Protection Plan of National Chambal Sanctuary is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-3** and the Copy of Action Taken Report by Forest Department vide letter dated 29/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-4**

//DISTRICT-WISE COMPLIANCES//

DISTRICT MORENA:-

In District Morena the **District Level Task Force** held a meeting dated 14/02/2023 at 4:30 PM in the office of collector Morena, under the chairmanship of District Collector, following members/officials were present during the meeting :-

1. Superintendent of Police District Morena
2. Divisional Forest Office District Morena
3. Additional Collector District Morena
4. Sub Divisional Officer(Revenue), Morena
5. Superintendent National Chambal Sanctuary, Morena
6. Mining Officer District Morena
7. District Excise Officer District Morena

During the said meeting after deliberations and discussions following decision were taken:-

i) **ACTION AGAINST SAND MAFIA:**

The District Collector Morena has instructed to initiate joint action against sand mining mafias particularly for the mafias who are operating in the restricted area of Chambal River,

the Divisional Forest Officer is instructed to provide the information to Additional Collector and Additional Superintendent of Police along with the District Mining Branch so that such information could be updated on the portal. The Police/Forest/Revenue and Mining Department are instructed to take co-ordinated joint action and the vehicles involved in such illegal sand transportation be confiscated and FIR shall also be registered/lodged.

- ii) **CHECK-POSTS :-** The check posts established within the close vicinity of Chambal River to prevent illegal transportation activities, the sub-ordinate employees posted at such check post be instructed to take effective steps and the information be provided every month.

The District task Force also observed that within the Forest Division Morena measures to curb and control the illegal excavation and transportation of sand, information system will be developed and by regular patrolling of forest officials/SAF Force within the forest and the sanctuary area will also work as a deterrent against the illegal sand mining activities.

The Forest Department has also restricted the entry of vehicles into Chambal River by digging up trenches so as to restrict the entry of vehicles, the Divisional Commissioner Chambal Division has also instructed to take photographs of illegal sand transporting vehicles through the help of CCTV and drones which will be made available to the District Administration and further joint action will be initiated in the leadership of the District Task Force against illegal sand transporting vehicles.

The District Task Force has also observed that the vehicles involved in illegal transportation are passing through the tolls established at National and State Highways often it is found that the vehicles involved in illegal sand transport activities are not having any registration number mentioned

on the vehicle therefore, with the coordination of police and other department the regional transport department shall carry out joint action against such illegal vehicles.

The Minutes of the meeting dated 14/02/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-5** and the copy of order dated 24/02/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-6**

In District Morena the **District Level Task Force** held a monthly meeting dated 07/03/2023 at 3:00 PM in the office of collector Morena, under the chairmanship of District Collector, following members/officials were present during the meeting :-

1. Superintendent of Police District Morena
2. Divisional Forest Office District Morena
3. Mining Officer District Morena & other concerning officials

During the said meeting after deliberations and discussion following decision were taken:-

- i. The Superintendent of Police District Morena vide its order dated 13/02/2023 has established 17 temporary check points with five armed personnel. The copy of the order dated 13/02/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-7**
- ii. The District Collector has requested the Director Geology and Mines, Madhya Pradesh Bhopal to establish two check points at Allabeli Chowk and Bamor to prevent the illegal transportation.
- iii. The District Task Force was apprised by the Superintendent of Police Morena that the Police and District Mining Branch, have jointly initiated effective action against the illegal

excavation, transportation and storage of illegal sand. The action will further continue which will prevent the illegal business of sand. The District Collector has given clear instructions to provide the information pertaining to joint action against the prevention of illegal sand excavation, transportation and storage and has also appointed DFO Morena, Nodal Officer to provide information to the Hon'ble Tribunal.

The Minutes of the meeting dated 07/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-8**

- iv. The District Collector District Morena vide its order dated 14/03/2023 has issued orders to the Government/Public Construction Agencies preventing the use and utilization of the illicit sand of Chambal River for Government/Public construction purposes. The copy of the instructions dated 14/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-9**
- v. The Forest Department has also restricted the entry of vehicles into Chambal River by digging trenches on the approach roads so as to restrict the entry of vehicles, the Divisional Commissioner Chambal Division has also instructed to take photographs of illegal sand transporting vehicles through the help of CCTVs and drones which will be made available to the District Administration and further joint action will be initiated in the leadership of the District Task Force against the defaulting vehicles.
- vi. The Superintendent of Police District Morena vide its letter dated 17/03/2023 has informed the Collector and District Magistrate that the case is registered against the violators indulged in illegal excavation, transportation and storage activities and thereby has recommended to the District Collector for cancellation of arm licenses of the violators. The details of the person who are recommended for cancellation of arm licence:-

Sr. no.	Name of license holder	Licence no.	Police station	Crim e no.	section
1.	Niranjan Singh S/o Ramadhar Singh	72/200 8 M.M	Bomar	64/23	379, 414 IPC
2.	Ramabhrosi S/o Bholaram	93/83 JM	Chinoni	17/23	379, 414 IPC
3.	Bhavar Singh S/o Devi Singh Gurjar	161/82 MM	Sarayachola	26/23	379, 414 IPC
4.	Shyamlal S/o Balmukund	51/83	Rampur	61/22	379, 414 IPC

The copy of letter dated 17/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-10**

In District Morena the **Divisional Level Task Force** held a meeting dated 14/03/2023 at 4:30 PM in the office of collector Morena, under the chairmanship of Commissioner, Chambal Division following members/officials were present during the meeting:-

1. Additional Director General of Police, Chambal Range
2. Chief Conservator of Forest, Gwalior
3. District Collector, Morena
4. District Collector, Bhind
5. District Collector, Sheopur
6. Superintendent of Police District Morena
7. Superintendent of Police District, Bhind
8. Superintendent of Police District, Sheopur
9. Divisional Forest Officer, Morena
10. Divisional Forest Officer, Bhind/Sheopur

11. Joint Director (Development) Chambal Division, Morena
12. Deputy Director (Panchayat Raj) Chambal Division, Morena
13. Mining Officer District Morena

During the said meeting after the deliberations and discussion following decision were taken:-

- i. The sale of illegal sand should be prevented and prohibited further the use and utilization of the sand will be carried out from the sanctioned/valid sand mines.
- ii. The sand contractors may be allowed to establish stockyard to overcome the possible shortage of sand due to the closure of illegal excavation of sand.
- iii. The Forest Department should ensure that the confiscation proceedings of vehicles should be completed and orders are passed within a period of 1 month and if the confiscation proceedings are not completed in that case the court proceedings should be concluded within time limit. Further the confiscated vehicles should be auctioned and handed over to the other departments for various uses.
- iv. A joint meeting should be convened with the border districts of Rajasthan adjoining with Sheopur, Morena Districts for discussion on the subject of revenue, Police and Forest Department.
- v. Forest Department should monitor the timeline of pending cases of confiscation and should also monitor the duration of the proceedings and ensure that the order of confiscation of vehicles be passed at the earliest.
- vi. The process of installation of CCTV Cameras in the Districts should be ensured and if required the hidden camera should also be installed so that immediate action

should be initiated on the basis of records received and to establish effective control over illegal activities.

- vii. In the leadership of District Task Force incognito raids were carried out and during the raid it is ensured that the vehicles transporting illicit sand are seized and the Forest Department has also initiated the confiscation proceedings against such vehicles. During the last 1 year the Forest Department has seized 69 vehicles wherein the confiscation proceeding is pending and during the last 1 year 42 vehicles have already been confiscated by the forest Department.
- viii. The Director General of Police directed that the Police, Revenue and Forest Department should take joint action, the process of videography should also be carried out and the co-operation of Public Relations Department should be taken for its broadcast.
- ix. The commissioner Chambal Division directed that an immediate action should be initiated against the vehicles without display of registration number upon the number plates and the registration number should be displayed, empty tractors should be stopped and number should be printed upon the vehicles without having number plates and the number printing charges should be deposited immediately to the concerned agency.
- x. Action against illegal activities should be published prominently in newspapers.

The Minutes of the meeting dated 14/03/2023 issued vide letter dated 20/03/2023 is marked and filed herewith as

ANNEXURE R-11

In District Morena the Inter-State District Level Task Force of held a meeting dated 17/03/2023 at 5:00 PM in the office of

collector Morena, following members/officials were present during the meeting:-

1. District Collector, Morena
2. District Collector, Dhaulpur
3. District Collector, Agra
4. Superintendent of Police District Morena
5. Superintendent of Police District, Dhaulpur
6. D.C.P Agra
7. Divisional Forest Officer, Morena
8. Divisional Forest Officer, Dhaulpur
9. Divisional Forest Officer, Agra
10. DFO (N.C.S)
11. D.T.O. Dhaulpur
12. Mining Engineer, Dhaulpur
13. Superintendent, National Chambal Sanctuary, Morena
14. Regional Forest Officer, Chambal Range
15. ADM, District Agra
16. ARTO Agra
17. PTO Agra
18. Senior Mining Officer
19. Mining Officer
20. District Transportation Officer, Morena
21. District Transportation Officer, Dhaulpur
22. Public Relation Officer, Morena

During the said meeting after deliberations and discussion following decision were taken:-

i. **CHECK-POST:-**

A joint decision is taken by all three districts for establishment of following Check-Posts:-

- a. The check-posts should be established at A.B. Road Allabeli District Morena Madhya Pradesh.
- b. The check-post should be established at A.B. road near Sagarpada in District Dhaupur Rajsthan.
- c. The check-post should be established in District Agra Uttar Pradesh.

Police force of 25 personnel should be deployed and amongst them 10 personnel will have the weapon.

ii. **DATA RECORD OF THE HABITUAL OFFENDERS:-**

The data of the habitual offenders will be prepared which should be shared amongst the three states so that the violators indulged in the activities of illegal sand mining could be easily identified accordingly.

iii. **CANCELLATION OF ARMED LICENSE:-**

The gun licence/arms licence of offenders involved in the illegal sand mining activities should be cancelled.

iv. **CANCELLATION OF LEASES:-**

In the Chambal River Area proceedings should be initiated for cancellation of leases/Pattas of the private land owners on whose ownership land illegal storage and excavation is found.

v. **FIR:-**

FIR will be lodged against the private land owners involved in illegal sand excavation and transportation and also against the vehicles which are found involved in illegal sand transportation activities.

vi. **P.O.R:-**

The Forest Department will register Preliminary offence report in its respective forest ranges for the offence of illegal sand excavation/transportation and storage in all three states.

vii. **CONFISCATION OF VEHICLES:-**

The vehicles involved in the illegal activities of sand excavation, transportation and storage will be confiscated by the Forest Department.

viii. **MONTHLY MEETINGS:-**

It is unanimously decided that the inter-state task force committee comprising collectors, superintendents of Police, DFOs and other concerning officials will convene monthly meeting and the next meeting is proposed to be held at District Dhaulpur, Rajasthan. The place of meeting will be changed alternatively every month.

ix. **CCTV/CAMERA MONITORING:-**

The check-posts will be monitored through CCTVs and the photos and videos will be exchanged amongst the three states for assistance.

x. **DRONE MONITORING:-**

Drone monitoring will be carried out in the mining prone areas of the Chambal River, the Divisional Forest Officer of the three districts in Madhya Pradesh will be the nodal officers and accordingly the information will be exchanged amongst the three states.

xi. **R.T.O NUMBER:-**

It is mandatory for the vehicles to have R.T.O registration number. All the three districts in Madhya Pradesh will initiate a drive to have R.T.O registration number on the vehicles which do not have display of the R.T.O registration number on its number plates. The team of transport department of all the three districts will take action against the overloaded vehicles.

xii. **WHATSAPP GROUP:-**

The Collectors, Superintendents of Police, Divisional Forest Officers, Mining Officers and other concerned officials of all the three States, will create a whatsapp group and share information and related data.

The Minutes of the meeting dated 17/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-12**

4. To improve sand availability in Morena, storage licences to store and sell sand are being provided to the contractors. One sand storage licence (sand to be procured from valid mines) has been issued, and five more licence applications are under process of issuance.
5. The Government of Madhya Pradesh vide notification dated 31/01/2023 has de-notified 207.05 hectares of National Chambal sanctuary area. It would help in ensuring the availability of sand from valid sources and to address the demand of local people from legally approved valid sand mines.

Out of these de-notified areas, 197.56 Hectares fall in District Morena, The District Survey Report of sand mineral has already been approved by the concerning authority on 27/03/2023. The Madhya Pradesh State Mining Corporation shall float the tenders by 31st March 2023 to engage contractors in District Morena. These following mines would become operational by 30th November 2023. The details of the quarries are as follows -

District- Morena

S.No.	Tehsil	Village	Area (In Ha.)	Name of Quarry
1.	Joura	Khandoli	108.35	Barwasin (Total Area- 118.66 Ha.)
	Morena	Kenthri	10.31	
2.	Morena	Bhanpur	25.18	Rajghat (Total Area-78.90 Ha.)
	Morena	Piprai	53.72	

6. The Department of Mineral Resources has planned to establish an Artificial Intelligence-based Smart System of Check Gates for electronic surveillance and monitoring of vehicles carrying minerals. The check gates would be installed on routes with high volume of traffic of mineral transportation. In the first phase, electronic check gates would be established in the districts of Chambal region viz. Morena, Bhind and Sheopur. A State-level command and control center would also be established at Bhopal. The District-level Command and Control Centers would be established in all three districts. The copy of Action Taken Report by Mining Department

dated 29/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-13** & The copy of the newspaper cuttings are marked and filed herewith as **ANNEXURE R-13a**

7. In District Morena the police has registered 39 FIRs in the year 2023 and 25 offenders are arrested by the police.
8. The Collector Morena, vide order 24/02/2023, has issued prohibitory order under section 144 of Cr. P.C. for not providing Fuel / CNG to vehicles without display of registration numbers.
9. The district administration has taken strict action against illegal sand mining and transportation in all three districts. The details of the First Information Report lodged and penalties recovered by the mining department in illegal sand mining and transportation are as follows-
10. Details of Cases Registered in Illegal Mining/ Transportation in Financial Year-2022-23

S.No.	District	No. of Cases Registered		FIR Lodged	Penalty Recovered (In Lakh Rs.)
		Illegal Mining	Illegal Transportation		
1.	Morena	25	186	92	25.28

11. Regular patrolling has been started in the Chambal River with the help of two motor boats manned by Armed Forest Guards.
12. The police of District Morena has initiated action against the illegal sand transportation and storage during the period from 07/02/2023 to 24/03/2023, the details of the information are provided in the tabular form below:

Sr.No.	Police Station	Case	Type of vehicle seized &	Approximate Price
1	Kotwali	-	-	-
2	SI. LA.	-	-	-
3	Station Road	4	Tractor / Trolley - 04	20,00,000/Rupees
4	Sarai Chola	-	-	-
5	Ambah	-	-	-

6	Porsa	4	Tractor / Trolley - 04	20,00,000/Rupees
7	Nagra	1	Tractor / Trolley - 01	5,00,000/Rupees
8	Mahua	-	-	-
Ion 9	Dimni	2	Tractor / Trolley - 02	10,00,000/Rupees
10	Sihonia	1	Tractor / Trolley - 01	5,00,000/Rupees
11	Mata Basaiya	-	-	-
12	Banmor	4	Tractor / Trolley - 04	20,00,000/Rupees
13	Noorabad	3	Tractor / Trolley - 03	15,00,000/Rupees
14	Rithora	-	-	-
15	Sumaoli	-	-	-
16	Joura	-	-	-
17	Baghchini	-	-	-
18	Devgarh	1	Tractor / Trolley - 01	5,00,000/Rupees
19	Kailaras	-	-	-
20	Pahargarh	-	-	-
21	Chinnoni	1	Tractor / Trolley - 01	5,00,000/Rupees
22	Nirar	-	-	-
23	Sabalgarh	-	-	-
24	Rampur	2	Tractor / Trolley - 02	10,00,000/Rupees
25	Tentra	1	Tractor / Trolley - 01	5,00,000/Rupees
	Total	24	24	1,20,00,000/Rupees

Station wise information of illegal storage			
From 07.03.2023 to 24.03.2023			
Sr.no.	Police Station	Case	Description
1	Sarai Chola	6	2280 Trolley 6340 cubic meter Illegal storage sand destroyed by JCB machine by mixing with earthen soil estimated cost- 69,74,000
2	Ambah	2	50 Trolley 105 cubic meter illegal sand destroyed by mixing earthen soil with JCB estimated cost -1,15,000
3	Sabalgarh	1	40 Trolley 80 cubic meter illegal sand destroyed by mixing earthen soil with JCB estimated cost - 88,000
4	Mata Basaiya	1	14 Trolley 28 cubic meter illegal sand destroyed by mixing earthen soil with JCB estimated cost - 30,800

5	Nagara	2	950 Trolley 1900 cubic meter illegal sand destroyed by mixing earthen soil with JCB estimated cost - 20,90,000
6	Mahua	1	100 Trolley 250 cubic meter illegal sand destroyed by mixing earthen soil with JCB estimated cost - 2,75,000
7	Devhgarh	1	250 Trolley 500 cubic meter illegal sand destroyed by mixing earthen soil with JCB estimated cost - 5,50,000
	Total	14	3684 Trolley 9203 cubic meter illegal sand destroyed by mixing earthen soil with JCB estimated cost - 1,01,23,300

THE DETAILS OF JOINT ACTION OF REVENUE, POLICE & FOREST OF DISTRICT MORENA.

S.no	Particulars	Action taken From 01/04/2022 to 06/02/2023	Action taken From 06/02/2023 to 28/03/2023	Total	Action taken against illegal sand excavation in River Chambal
1.	Illegal Mining	11	14	25	40260 cubic meter illegally stored sand was destroyed by mixing with the earthen soil
2.	Illegal Transportation	135	51	186	
3.	Confiscated Vehicles	42	-	42	
4.	Penalty Imposed	21,94,684/-	3,33,750/-	25,28,434/-	
5	F.I.R	54	38	92	
	P.O.R	64	28	92	
6.	Vehicles without Number plate	1002	809	1811	Note:- 265 challan and Rs 1,32,500/- fine was recovered
7.	Action against Overloaded Vehicles	211	126	337	Note:- Rs 8,12,000/- fine was recovered
8.	Suspension of Arms Licenses of the violators involved in illegal Mining, transportation & Storage	0	4	04	

9	Grant of storage license permission	01	01	02	
---	-------------------------------------	----	----	----	--

The District collector, District Morena, issued letter dated 28/03/2023 in favour of Commissioner, Chambal Division, District Morena and submitted the Action Taken Report. The copy of the Action Taken Report dated by Collector Morena 28/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-14**

The Copy of the action taken report by Commissioner, Chambal Division, Morena dated 28/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-15**

DISTRICT SHEOPUR:-

In compliance to the order dated 06/02/2023 the officials of District Sheopur has prepared the action taken report. The details are as follows:-

<u>Sr no.</u>	<u>Particulars</u>	Action taken from 01/04/2022 till the date of decision passed by Hon'ble NGT	Action taken from date of decision passed by Hon'ble NGT till date	Suitable action
<u>1.</u>	<u>Illegal Mining</u>	03	02	05
<u>2.</u>	<u>Illegal Transportation</u>	40	07	47

3.	<u>Confiscat ion of Vehicles</u>	0	0	0
4.	<u>Imposed penalty</u>	12,47,100/-	03,46,375	15,93,475
5.	<u>FIR</u>	16	09	25

- i. The Forest Department has also restricted the entry of vehicles into Chambal River by digging up trenches so as to restrict the entry of vehicles, the Divisional Commissioner Chambal Division has also instructed to take photographs of illegal sand transporting vehicles through the help of CCTV and drones which will be made available to the District Administration and further joint action will be initiated in the leadership of the District Task Force against illegal sand transporting vehicles.

Action taken from April 2022 till date	Details
Total cases	43
Seizure	28
Confiscated vehicles	27

- ii. The Police Department has arrested 15 accused in 13 cases of illegal sand transportation and seized 45 cubic meter of sand worth Rs 75,000/- in District Sheopur.
- iii. To prevent illegal transportation of sand minerals from Chambal River, 7 Ghats are covered by 4 police stations and illegal mining

has been completely stopped by blocking the way and digging trenches by JCB Machine.

- iv. District administration Sheopur has proposed for 5 check-posts from 5 police stations. The copy of the letter dated 28/03/2023 issued by Incharge Mining Officer in favour of Commissioner, Chambal Division, District Morena is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-16**
- v. To improve sand availability in Sheopur, commercial licenses to store and sell sand are being given to contractors. One sand storage license (sand to be procured from legal mines) has been issued, and five more are under process.
- vi. Govt. of Madhya Pradesh vide notification dated 31.1.2023 has de-notified 207.05 hectares of National Chambal sanctuary. This would help in ensuring the availability of sand for the local need from legally approved mines. Out of this de-notified area, 9.48 Hectares falls in District Sheopur. The District Survey Report has already been approved on 27.3.2023. The Madhya Pradesh State Mining Corporation shall float the tenders by 31st March 2023 to engage contractors in both districts. These mines would become operational by 30th November 2023. The details of the quarries are as follows –

DISTRICT- SHEOPUR

S.No.	Tehsil	Village	Area (In Ha.)	Name of Quarry
1.	Baroda	Kuhajapur	2.403	Kuhajapur- Barodia Ghat (Total Area-9.48 Ha.)
2.		Barodia Ghat	7.086	

- vii. The Department of Mineral Resources has planned to establish an Artificial Intelligence-based Smart System of check gates for electronic surveillance and monitoring of vehicles carrying minerals. The check gates would be installed on routes with high transportation of minerals. In the first phase, electronic check gates would be established in the districts of Chambal region viz. Morena, Sheopur and Bhind. A State-level command and control

center would also be set up in Bhopal, and District-level Command and Control Centers would be established in all three districts.

viii. The District Administration has taken strict action against illegal sand mining and transportation in all three districts. The details of the First Information Report lodged and penalties recovered by the mining department in illegal sand mining and transportation are as follows-

ix. Details of Cases Registered in Illegal Mining/ Transportation in Final Year-2022-23

S.No.	District	No. of Cases Registered		FIR Lodged	Penalty Recovered (In Lakh Rs.)
		Illegal Mining	Illegal Transportation		
	Sheopur	5	47	25	15.93

xi. Regular patrolling has been started in the Chambal River with the help of two motor boats manned by Armed Forest Guards.

DISTRICT BHIND:-

i. The district administration has taken strict action against illegal sand mining and transportation in all three districts. The details of the First Information Report lodged and penalties recovered by the mining department in illegal sand mining and transportation are as follows-

Details of Cases Registered in Illegal Mining/ Transportation in Financial Year-2022-23

S.No.	District	No. of Cases Registered		FIR Lodged	Penalty Recovered (In Lakh Rs.)
		Illegal Mining	Illegal Transportation		
1.	Bhind	10	262	2	32.00

The copy of the action taken report submitted to Commissioner Chambal Division vide letter dated 28/03/2023 for District Bhind is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-17**

**THE INTER-STATE MEETING OF MADHYA PRADESH,
RAJASTHAN & UTTAR PRADESH**

The Interstate meeting was held vide VC/Hybrid Mode on 20/03/2023, under the co-chairmanship of Chief Secretaries of Madhya Pradesh UP & Rajasthan, following members/officials were present during the meeting :-

- i. Chief Secretary Madhya Pradesh
- ii. DGP MP
- iii. ACS Home
- iv. PS Environment
- v. PS Mineral Resources
- vi. PCCF Wildlife Protection
- vii. Divisional Commission Revenue Division Gwalior/Chambal
- viii. Field Director, National Chambal Sanctuary, HQ Morena
- ix. IG, Gwalior Zone
- x. Secretary, Forest Department
- xi. MS, MPPCB
- xii. Collector Morena
- xiii. Collector Bhind
- xiv. Collector, Sheopur
- xv. Collector Gwalior
- xvi. SP Morena
- xvii. SP Bhind
- xviii. SP Sheopur
- xix. SP Gwalior
- xx. DFO Morena
- xxi. RO, MPPCB Gwalior
- xxii. DPO, CID

DELIBERATIONS FROM CHIEF SECRETARY STATE OF MP

The matter is derived from the conservation of endangered aquatic species of National Chambal Sanctuary, the interstate National Chambal sanctuary has been established within the purview of the Wild Life (Protection) Act 1972 for the conservation and protection of important aquatic life like Dolphins, Soft Shell Turtles and Ghariyals etc. The Forest Department has prepared the National Chambal Sanctuary, Conservation and protection plan 2023-24 to 2027-28 and has strategized the short term and long term strategies having a budget of approx. Rupees 19.47 crores. The District Police Administration of Morena has established 17 check posts with armed personnel and has lodged 39 FIRs and arrested 25 offenders. The supply of Fuel/CNG to the unregistered vehicles/vehicles without numbers are banned by order passed under section 144 CrPC by District Collector Morena.

The optimum uses of Drone and CCTV surveillance are ensured. The Gun licence/Arms licence of offenders involved in the illegal sand mining activities are already recommended to be cancelled. The implementation of effective management of additional force available with the Director National Chambal Sanctuary is implemented. In the meetings of District Level Task Force and Divisional Level Task Force effective steps are taken to curb and control the illegal sand mining activities. The data of the habitual offenders will be prepared which should be shared amongst the three states so that the violators indulged in the activities of illegal sand mining could be identified accordingly.

The State Government has already de-notified the sanctuary area to ensure the supply of the sand from valid sources. It is unanimously decided that the inter-state task force committee comprising collectors, superintendents of Police, DFOs and other concerning officials will convene monthly meetings.

The State Government of MP has planned to establish an Artificial Intelligence-based Smart System of Check Gates for electronic surveillance and monitoring of vehicles carrying minerals. The check

gates would be installed on routes having high volume of traffic of mineral transportation. In the first phase, electronic check gates would be established in the districts of Chambal Region viz. Morena, Bhind and Sheopur. A State-level command and control centre would also be established till 31/12/2023 at Bhopal, and District-level Command and Control Centres would be established in all three districts.

MEMBERS/OFFICIALS PRESENT FROM STATE OF RAJASTHAN

- I. Chief Secretary Rajasthan
- II. DGP Rajasthan
- III. ACS Mines & Petroleum
- IV. ACS Forest & Environment
- V. ADG PCCF cum Chief Wildlife Warden
- VI. Director, Mines & Geology Department
- VII. IG Bharatpur, Transport Commissioner
- VIII. ACF, National Chambal Sanctuary
- IX. Collector Dhaulpur
- X. Collector Bharatpur
- XI. SP Dhaulpur
- XII. SP Bharatpur

DELIBERATIONS FROM THE CHIEF SECRETARY STATE OF RAJASTHAN

The Chief Secretary, Rajasthan informed that the detailed review has been carried out the Collectors and SPs of the respective districts of States. All the necessary measures are being adopted to stop illegal sand transportation on the borders of the State of Rajasthan. There is only one entry-point to cross the borders of State of Rajasthan wherein there is an apprehension of attack on security forces by the sand mafias at night, such incidents have occurred in the past. It is mandatory to take strict action against the source for illegal excavation. The contract has been executed on 20/01/2023 for two areas of 232.92 hectare and 391.75 hectares in District Dhaulpur and District Parvati for alternative use of Chambal Sand and the registration process is already carried out on 14/03/2023, the operation of the mines will commence after issuance of consent to

operate from the Rajasthan Pollution Control Board, therefore there will be an effective ban on illegal mining when the Chambal sand is accessible and available from valid sources in the area.

A special Task Force has been constituted for the prevention of illegal mining and excavation and the 14th battalion of RAC is appointed for continuous monitoring purpose. The area is being monitored 24 hours through CCTV Cameras installed.

The Additional Chief Secretary of the Mines and Petroleum Department has carried out the inspection process on 13/03/2023 and a meeting of the departmental officers was conducted and necessary instructions were given to curb and control illegal sand transportation.

The District Collector, District Dhaulpur, informed that the sand mining is not carried out in Rajasthan Border but concrete actions are being taken against illegal transportation and 586 cases were registered, 587 violators were arrested and 358 challans were presented in various courts. Strict actions against the sand mafias are only possible through effective coordinated joint efforts of Madhya Pradesh Government and Rajasthan Government on illegal sand mining and transportation.

MEMBERS/OFFICIALS PRESENT FROM STATE OF UTTAR PRADESH

- i. Chief Secretary Uttar Pradesh
- ii. Secretary Mines
- iii. Secretary Home
- iv. Secretary Environment
- v. Special Secretary Mines
- vi. Police Commissioner, Agra
- vii. DM Agra
- viii. DM Etawah
- ix. SSP Etawah
- x. SP Crime, PHQ
- xi. Joint Director, Directorate of Mines
- xii. Deputy Conservator, Chambal Sanctuary Project

- xiii. District/Janpadiya Mining Officer, Agra
- xiv. District/Janpadiya Mining Officer, Etawah

DELIBERATION FROM THE CHIEF SECRETARY STATE OF UTTAR PRADESH

A joint meeting of District Magistrate and Police constituted in furtherance of the directions passed by Hon'ble Tribunal wherein it was found that the illegal sand mining is not carried out in the area of Chambal Sanctuary falling within the state of Uttar Pradesh. Concrete actions are being taken against illegal sand transportation carried out in Agra and Etawah Districts. Automated check gates with Artificial Intelligence/IoT have been set up by State Government of Uttar Pradesh near Seya Toll Plaza in District Agra and also in Sarendhi and on the inter-state border in Districts Agra and Etawah. Strict actions against the sand mafias indulged in illegal sand mining and transportation are possible only through effective coordinated joint efforts of Madhya Pradesh Government and Uttar Pradesh Government.

The Director, Department of Mineral Resources informed that the transportation of minerals from one state to another has been approved with valid transit passes. Joint action of the concerned departments of all the three states will have to be increased to curb and control illegal transportation.

Actions are initiated against illegal transportation of mineral by District level Task Force in Districts Agra and Etawah.

The Director General of Police and concerned police officers of the state were also apprised of the proceedings to stop illegal sand transportation in their states and also the concern was expressed about the criminal nature of the violators involved in the activities of illegal sand mining and transportation and even the violators do not hesitate to use firearms to collectively attack officials of the state and the police personnel, therefore it will be necessary for all the three State Governments to initiate joint action at each level.

CONCLUSION OF MEETING:-

In the conclusion at the end of the meeting, the Chief Secretary Madhya Pradesh, expressed confidence that positive results of the preventive joint action of the all the three states will be apparently visible in the near future which will be helpful to prevent illegal sand mining.

The Chambal Bridge between Rajghat of Madhya Pradesh and Dhaulpur of Rajasthan is the main axis of illegal sand transportation and there is urgent need to set up a joint inter-state modern check post in Allabeli area. It is necessary to develop an effective system at District Level and Divisional Level for interstate coordination to curb and control illegal sand mining and transportation from National Chambal Sanctuary. Effective control over illegal sand mining and transportation will be possible through a process of speedy allotment of valid sand mines. Effective implementation of 5 year detailed action plan for the conservation and protection of National Chambal Sanctuary submitted by the Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh which will ensure the conservation of aquatic life in the National Chambal Sanctuary.

The Chief Secretary, State Government of Madhya Pradesh, has appointed collector Morena as a nodal officer at District Level and at State Level, ACS Home and PS Environment are the nodal officers. The Chief Secretary, State Government of Rajasthan, has appointed Collector Dhaulpur as a nodal officer at District Level and at State Level ACS Mines is the nodal officer. The State of Uttar Pradesh has appointed the Special Secretary Mines as Nodal officer. The nodal officers of all three states will coordinate between the states.

The copy of the minutes of meeting dated 20/03/2023 is marked and filed herewith as **ANNEXURE R-18**


13. It would thus be seen that effective and adequate steps in compliance of the observations made and directions issued by this Hon'ble Tribunal in its order dated 06/02/2023 have already been undertaken by the answering respondents.

14. The submissions made hereinabove and the data placed on record above evinces the fact that there has been considerable increase in the registration of offences and action being taken against the violators of law in the matter of illegal mining of sand from the questioned area.
15. That apart, a definite plan has also been crystallized and put in place for its implementation not only to prevent the illegal mining of sand through implementation of modern technology but efforts have also been initiated and made to ensure availability of legally mined sand in the area by taking steps for de-notification of certain forest area and also initiation of awareness programmes against illegal mining by public participation at the same time ensuring conservation and protection of the river along with its aquatic species.
16. It is most respectfully submitted that the complete implementation of the above crystallized plan would be done as expeditiously as possible.
17. That, the instant action taken report is being filed in compliance of the order passed by this Hon'ble Tribunal, therefore, the same may kindly be taken on record in the interest of justice.
18. Affidavits in support are filed herewith.

SUBMITTED BY;

RESPONDENT STATE OF MP


THROUGH;



(SACHIN K. VERMA ADV)

BHOPAL

31/03/2023 COUNSEL FOR THE RESPONDENT STATE OF MP



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 248/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

In re: News Item published in the Hindu dated 27.03.2022 Titled as Digging up the Chambal

//VERSUS//

RESPONDENT:

State of MP

AFFIDAVIT

I, Anoop Mishra, Aged about 61 years, S/o Shri K.K Mishra posted as Deputy Director Mineral Administration, O/o 29 A Khanij Bhawan Arera Hills Bhopal (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been appointed as officer incharge to represent the case on behalf of Department of Mineral Resources in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying action taken report has been drafted as per my instructions and also explained to me.
3. That the contents of para 1 to end of accompanying action taken report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 31st day of March 2023 at Bhopal (M.P)

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME


NAME Sanchin K. Varma

ADD. Advocate's office

SIGN. Cst Bhopal

**SWORN BEFORE ME
THE WITHIN NAMED**

PUSHPA PARPIYANI
NOTARY / ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI****O.A. NO. 248/2022****IN THE MATTER OF:****APPLICANT:**

In re: News Item published in the
Hindu dated 27.03.2022 Titled as
Digging up the Chambal

//VERSUS//


RESPONDENT:

State of MP

AFFIDAVIT

I, H.K Sharma, Aged about 60 years, S/o Shri M.H Sharma posted as
O.S.D, Environment Department, O/o Department of Environment, State
Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Vallabh Bhawan Bhopal
(M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been appointed as officer incharge to represent the case on behalf of Nodal Department of Environment (M.P.) in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying action taken report has been drafted as per my instructions and also explained to me.
3. That the contents of para 1 to end of accompanying action taken report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 31/day of March 2023 at Bhopal (M.P)

[Signature]
DEPONENT

IDENTIFIED BY ME
NAME Sachin K. Ramra
ADD. Advocate Distt. Cot
SIGN. Bhopal

**SWORN BEFORE ME
THE WITHIN NAMED**
[Signature]
31.03.23
**PUSHPA PARPIYANI
NOTARY / ADVOCATE
BHOVAL (M.P.) INDIA**

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 248/2022

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

In re: News Item published in the
Hindu dated 27.03.2022 Titled as
Digging up the Chambal

//VERSUS//


RESPONDENT:

State of MP

AFFIDAVIT

I, Raysingh Narwaria, Aged about 55 years, S/o Shri Dhir Singh posted as Additional SP, O/o Additional SP, SP Office Morena (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been appointed as officer incharge to represent the case on behalf of SP District Morena (M.P.) in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying reply/compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.
3. That the contents of para 1 to end of accompanying reply/compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.



DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 29 day of March 2023 at Bhopal (M.P)

**SWORN BEFORE ME
THE WITHIN NAMED**

Pushpa
29.03.23
PUSHPA PARPIYANI
NOTARY / ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME

NAME AKSHITA TEJWANI

ADD.....

SIGN AKSHITA

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2023-माघ 11, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10::वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 जून, 1983 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र.15-12-दस(2)-82 दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 तथा वन्य प्राणी के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय बोर्ड की स्टेडिंग कमेटी की 69वीं बैठक के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण के लक्ष्य के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को उनकी अजीविका के लिए रेत आपूर्ति की व्यवस्थाओं हेतु वन्य प्राणी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा अधिरोपित निम्न शर्तों के साथ अभ्यारण्य के आंशिक राजस्व क्षेत्र को अपवर्जित करती है।

प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए अनुशंसित किया गया:-

- (1) प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जल सीमा क्षेत्र या जल से घिरी हुई नदी में जल क्षेत्र या रेत जमाव में उत्खनन संबंधी क्रियाकलाप नहीं किए जायेंगे।

- (2) रेत-खनन, रेत-परिवहन, रेत-भण्डारण एवं रेत-विपणन की संपूर्ण प्रक्रिया स्थापित प्रशासकीय निगरानी एवं नियामक प्रणाली के अधीन की जायेगी।
- (3) नवीन नियंत्रक एवं नियामक प्रणाली की स्थापना करने के लिए रेत खनन से संबद्ध संभावित अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के हेतु रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन के लिए क्षेत्र में रेत खनन निगम मार्या, अथवा विद्यमान मध्यप्रदेश खनन निगम लिमिटेड की एक शाखा स्थापित की जाएगी।
- (4) अवैध उत्खनन की निगरानी और नियंत्रण के लिए तकनीकी, जैसे कि प्रत्येक पारगमन (ट्रांजिट) परमिट की बारकोडिंग; रायल्टी रसीद की बारकोडिंग; निकासी स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम तौल मशीन, खनन पट्टों का जियो-टैग सीमांकन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, परिवहन में सम्मिलित जीपीएस युक्त ट्रैक्टर/ट्रक, उत्खनन में भारी मशीनों का परिवर्जन आदि का उपयोग किया जाएगा।
- (5) विमुक्त किए गए क्षेत्र का सीमा चिन्ह (Boundary Pillars) खड़े कर एवं जियो-टैगिंग द्वारा सुस्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा।
- (6) रेत उत्खनन और चम्बल नदी में जलीय जीवों पर उसके प्रभाव के बारे में नियमित निगरानी एवं सूचना प्रणाली होगी।
- (7) जैव विविधता क्षति को सुनिश्चित करने हेतु अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास रेत उत्खनन का व्दि-वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। मूल्यांकन का वित्त पोषण राज्य एमएमडीसी/रेत खनन निगम निधि से किया जा सकेगा।
- (8) पिछले 20 वर्षों में दर्ज की गई 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रवाह में गिरावट की प्रवृत्ति को, चंबल नदी के लिए भविष्य के जल प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

अधिरोपित शर्तों के अनुसार, राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 को आंशिक संशोधित करते हुए, इन भूमियों को निम्न सूची एवं मानचित्रों के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से अभयारण्य की सीमा से पृथक किया जाता है।

अनुसूची - 1


वन मण्डल- मुरैना

जिला- श्योपुर

तहसील- बड़ौदा

स्थल/घाट का नाम - बड़ौदिया बिन्दी


राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
कुंहाजापुर	217	75.828	2.403	A	25°28'2.25"N, 76°33'32.95"E
				B	25°28'2.19"N, 76°33'34.33"E
बड़ौदिया घाट	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N, 76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N, 76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N, 76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N, 76°33'27.43"E
				G	25°27'39.68"N, 76°33'27.80"E
				H	25°27'44.31"N, 76°33'27.29"E
योग			9.489		



अनुसूची - 2

वन मण्डल- मुरैना
जिला- मुरैना
तहसील- जौरा/मुरैना
स्थल/घाट का नाम - बरवासिन

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
खाण्डौली (तह.-जौरा)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
कैथरी (तह.-मुरैना)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
	101	01.327	0.80	J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
				D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
				E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
				A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E
				K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E
योग			118.66		



अनुसूची - 3


वन मण्डल- मुरैना

जिला- मुरैना

तहसील- मुरैना

स्थल/घाट का नाम - राजघाट

राजस्व ग्राम का नाम	सर्व क्रमांक	सर्व क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
भानपुर	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N, 77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N, 77°54'39.58"E
				D	26°39'31.65"N, 77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N, 77°56'08.36"E
				F	26°39'25.26"N, 77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N, 77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N, 77°55'32.06"E
	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N, 77°55'27.44"E
				L	26°39'26.00"N, 77°55'26.01"E
				M	26°39'29.05"N, 77°55'08.45"E
पिपरई	2	03.49	2.40	N	26°39'30.26"N, 77°55'07.57"E
	177	19.51	17.91	O	26°39'30.12"N, 77°55'03.92"E
				P	26°39'30.80"N, 77°54'58.65"E
				Q	26°39'29.33"N, 77°54'49.10"E
				R	26°39'22.87"N, 77°54'49.60"E
				S	26°39'23.26"N, 77°54'42.23"E
				T	26°39'24.49"N, 77°54'42.17"E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N, 77°56'41.70"E
	236	28.39	16.71	H	26°39'21.48"N, 77°56'41.99"E
	239	28.40	14.60	A	26°39'31.08"N, 77°54'26.42"E
			U	26°39'20.74"N, 77°54'29.45"E	
योग		78.90			



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10, दिनांक 31/01/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव.

Bhopal, the 31st January, 2023

For/2/0004/2022-sec-2-10::In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and in pursuance of this department's Notification No.15-12-X (2)-82 dated 24th December, 1982 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th June, 1983 and the 69th meeting of the Standing Committee of the National Board Wildlife was held on 29th July, 2022, the State Government, hereby, exclude the partial revenue area of the sanctuary with the aim of protection of the National Chambal Sanctuary as well as for the provision of sand supply to the local residents for their livelihood with below condition imposed by National Board Wildlife.

The proposal was recommended subject to the following conditions, namely :-


- (1) The administration will ensure that mining related activities will not be done in water zone or sand bars in the river surrounded by waters.
- (2) The entire process of sand-mining, sand-transport, sand-storage and sand-marketing will be done under well-established administrative, monitoring and regulatory system.
- (3) To establish a new control and regulation system, Sand Mining Corporation Ltd or a branch of existing Madhya Pradesh Mining Corporation Ltd shall be established in the region for the mining, transport, storage and marketing of sand to plug possible illegal activities connected with sand mining.
- (4) Technology shall be used to monitor and control illegal mining like barcoding of each Transit Permit; Barcoding of royalty receipts; IT enabled weighing balance at exit points; geo-tagged demarcation of mining leases; electronic surveillance; GPS fitted tractors/trucks involved in transporting; avoidance of heavy machinery in digging etc.
- (5) The de-notified area shall be clearly demarcated on the ground by erecting boundary pillars and geo-tagging.
- (6) There shall be regular monitoring and reporting system about the sand mining and its impact on aquatic fauna in the Chambal River.
- (7) Biennial impact assessment of sand mining needs to be done around sanctuary area to ascertain the biodiversity loss. Funding of the assessment may be done from the State MMDC/Sand Mining Corporation Fund.
- (8) The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for future water management programmes for Chambal River.

As per the levied condition, by partially amending the notification of the State Government dated 24th December, 1982 these lands are separated as per the following list and maps from the boundary of the sanctuary from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

SCHEDULE-I

Division-Morena
District-Sheopur
Tehsil-Badhoda
Name of Site/Ghat-Badhoda Bindi

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Kunhajapur	217	75.828	2.403	A	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E
				B	25°28'2.19"N,76°33'34.33"E
Badhodia Ghat	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E
				H	25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
Total			9.489		




SCHEDULE-II

Division- Morena,
District Morena

Tehsil- Jora/Morena

Name of Site/Ghat- Barwasin


Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Khandoli (Teshil- Jora)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
Kenthri (Teshil- Morena)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
				J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
				D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
	101	01.327	0.80	E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
				A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E
Total			118.66	K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E



SCHEDULE-3

Division- Morena,
District- Morena
Tehsil- Morena
Name of Site/Ghat- Rajghat

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Bhanpur	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N,77°54'59.58"E
				D	26°39'31.65"N,77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N,77°56'08.36"E
				F	26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N,77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N,77°55'32.06" E
Piprai	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N,77°55'27.44" E
	17	02.38	0.80	L	26°39'26.00"N,77°55'26.01" E
	2	03.49	2.40	M	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
	177	19.51	17.91	N	26°39'30.26"N,77°55'07.57" E
				O	26°39'30.12"N,77°55'03.92" E
				P	26°39'30.80"N,77°54'58.65" E
				Q	26°39'29.33"N,77°54'49.10" E
				R	26°39'22.87"N,77°54'49.60" E
				S	26°39'23.26"N,77°54'42.23" E
				T	26°39'24.49"N,77°54'42.17" E
180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E	
236	28.39	16.71	H	26°39'21.48"N,77°56'41.99"E	
239	28.40	14.60	A	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E	
Total			U	26°39'20.74"N,77°54'29.45"E	
					78.90



By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक /272-N/1206022/2023/32-3

भोपाल, दिनांक 15/03/2023

प्रति,

1.	अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।	2.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जहांगीरबाद, भोपाल।
3.	अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।	4.	पुलिस महानिरीक्षक, चंबल संभाग, मुरैना।
5.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।	6.	पुलिस अधीक्षक, जिला-भिण्ड, मुरैना, श्योपुर
7.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज विभाग, मंत्रालय, भोपाल।	8.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।	10.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
11.	समागीय आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना।	12.	मुख्य वन संरक्षक, चंबल संभाग, मुरैना।
13.	कलेक्टर, जिला-भिण्ड, मुरैना, श्योपुर	14.	वन मण्डल अधिकारी, जिला-भिण्ड, मुरैना, श्योपुर

विषय:-एनजीटी आदेश दिनांक 06.02.2023 (OA No. 248/2022) के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में दिनांक 21.02.2023 के परिपालन में दिनांक 21.02.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2022 के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2023 को उनके प्रतिकक्ष में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(चन्द्र मोहन ठाकुर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग मंत्रालय

भोपाल, दिनांक /03/2023

पृ.क./ /1206022/2023/32-3

प्रतिलिपि:-

उप सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग मंत्रालय

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

कार्यवाही विवरण

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21/02/2023 को आयोजित बैठक

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21/02/2023 को बैठक आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची अनुसार उपस्थिति रही।

बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा आदेश की पृष्ठ भूमि एवं मुख्य बिन्दु दर्शाते हुये प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रकरण राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की आपदा ग्रस्त जलीय जीव प्रजातियों के संरक्षण से उद्भूत है। महत्वपूर्ण जलीय जीवों यथा डॉलफिन, टरटल एवं घड़ियाल आदि के संरक्षण हेतु अंतर्राज्य राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की स्थापना वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दिनांक 30-09-1978 को हुई है।

वर्तमान में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य चंबल नदी की मध्य रेखा के दोनों तरफ 1 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग 435 किलोमीटर लंबाई में चंबल नदी के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य (जिला श्योपुर, मुरैना तथा भिंड) चंबल नदी के उत्तर में राजस्थान (जिला सवाई-माधोपुर तथा धौलपुर) तथा उत्तर प्रदेश (जिला इटावा) राज्यों का क्षेत्र अधिसूचित है।

मध्य प्रदेश में सम्पूर्ण अभयारण्य क्षेत्र का प्रबंधन मध्य प्रदेश चीफ़ वाइल्ड लाइफ़ वार्डेन भोपाल के पर्यवेक्षण में संचालक राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुख्यालय मुरैना द्वारा किया जाता है।

मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रमशः मुरैना, श्योपुर तथा भिंड जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों तथा चंबल संभाग आयुक्त एवं चंबल पुलिस महानिरीक्षक से राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की स्थिति, अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु किए जा रहे प्रयासों, अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने में आने वाली चुनौतियों तथा मुरैना, श्योपुर तथा भिंड जिलों एवं मध्य प्रदेश राज्य तथा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य के लगे हुये मुख्य नगरों में रेत की मांग की पूर्ति हेतु वैधानिक विकल्पों तथा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में लगे परिवारों हेतु वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।

मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा बैठक में उपस्थित पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक/हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव खनिज तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु जिला स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में सहयोग, अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त मानव एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।

राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से लगे हुये मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य नगरों में रेत की मांग की पूर्ति हेतु वैधानिक विकल्पों पर प्रमुख सचिव खनिज से विस्तृत चर्चा की गयी।

उपरोक्तानुसार चर्चा उपरोक्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. वन विभाग की योजना : वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं में अभ्यारण्य में प्रवेश पर निर्बंधन एवं अनुज्ञा पत्र जारी करने के अधिकार मुख्य वन्य जीव संरक्षक में निहित है। मुख्य वन्य जीव संरक्षक एवं वन विभाग से आपेक्षा है कि वे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 248/2022 में पारित अभी तक के आदेशों तथा बैठक में हुई विस्तृत चर्चाओं को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार करें। कार्ययोजना में महत्वपूर्ण जलीय जीवों यथा डॉलफिन, टरटल एवं घड़ियाल आदि के संरक्षण के विशिष्ट उपायों के अतिरिक्त अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने एवं अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में लगे परिवारों हेतु वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया जाए। इस संबंध में सभी संबन्धित

विभागों एवं जिला अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे कार्ययोजना में शामिल करने के लिए अपने विभागीय प्रस्ताव एक सप्ताह में वन विभाग को उपलब्ध कराएं। इस कार्ययोजना हेतु वित्तीय संसाधन केम्पा फंड या अन्य उपयुक्त फंड से उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्रारूप कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण आगामी बैठक में किया जाए। (कार्यवाही- वन विभाग तथा समस्त संबन्धित विभाग एवं संबन्धित जिला कलेक्टर)

2. अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने संबंधी प्रभावी कार्यवाही : अवैध उत्खनन नियंत्रण हेतु सीआरपीसी की धारा- 144 अन्तर्गत आदेश प्रसारित कर अवैध उत्खनन में लगे/बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को पेट्रोल पम्प से डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति प्रतिबंधित की जाए। प्रभावी ड्रोन सर्वेलेन्स हेतु वन विभाग के पास उपलब्ध दो ड्रोनो का अधिकतम उपयोग किया जाए। आवश्यकतानुसार ड्रोनो की मरम्मत अथवा नवीन ड्रोनो का क्रय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से किया जाए। पूर्व से संचालक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुख्यालय मुरैना के पास उपलब्ध पुलिस बल का प्रभावी प्रबंधन तथा उपयोग किया जाए। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई जाए। क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत जाँच चौकियों की संख्या बढ़ाने एवं आवश्यकतानुसार अन्य आधुनिक तकनीकी सुविधायें यथा मोबाइल एवं फाइबर कनेक्टिविटी आदि विकसित की जाए। (कार्यवाही- संचालक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, संबन्धित कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस महानिदेशक)
3. वैध रेत खदानों को प्रारम्भ करना : मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में जिला मुरैना एवं श्योपुर के 207 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 30/01/2023 को जारी की गई है एवं इस क्षेत्र में रेत खदान वैधानिक रूप से आवंटित करने की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न की जाए। अवैध उत्खनन बन्द होने से संभावित रेत की कमी दूर करने हेतु दूसरे जिलों के रेत ठेकेदारों को मुरैना में स्टैकयार्ड बनाने की अनुमति दी जा सकती है। (कार्यवाही- कलेक्टर, मुरैना/खनिज साधन विभाग/एम.पी. स्टेट माईनिंग कार्पोरेश लिमि.)
4. अंतर्राज्यीय समन्वय : पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक/हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव खनिज तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अपेक्षा है कि वे राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के अपने समकक्ष अधिकारियों से संपर्क कर अंतर्राज्यीय समन्वय के विभागीय एजेंडा बिन्दु इसी सप्ताह उपलब्ध कराएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग से अपेक्षा है कि

वे उपरोक्त विभागों में प्राप्त विभागीय एजेंडा बिन्दुओं के आधार पर राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के संबंधितों से चर्चा कर कर तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों की आगामी समन्वय बैठक हेतु एजेंडा बिन्दुओं का निर्धारण कर प्रस्तुत करें।


उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही पर समीक्षा हेतु 03 सप्ताह में बैठक आयोजित करने के निर्देश के साथ बैठक समाप्त हुई।


(चन्द्रमोहन ठाकुर)
उप सचिव

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21/02/2023 को आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1. अपर मुख्य सचिव, गृह,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. पुलिस महानिदेशक,
गृह, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हेड ऑफ फॉरेस्ट)
सतपुड़ा भवन, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव),
सतपुड़ा भवन, मंत्रालय भोपाल
6. प्रमुख सचिव (राजस्व), म.प्र. शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
7. प्रमुख सचिव (खनिज विभाग),
म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
9. सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
10. संभागीय आयुक्त, (वी.सी. द्वारा)
चंबल संभाग, मुरैना
11. महानिरीक्षक पुलिस, (वी.सी. द्वारा)
चंबल संभाग, मुरैना
12. मुख्य वन संरक्षक, (वी.सी. द्वारा)
चंबल संभाग, मुरैना
13. कलेक्टर, (वी.सी. द्वारा)
जिला- भिण्ड, मुरैना, श्योपुर
14. पुलिस अधीक्षक, (वी.सी. द्वारा)
जिला- भिण्ड, मुरैना, श्योपुर
15. वन मण्डला अधिकारी, (वी.सी. द्वारा)
जिला-भिण्ड, मुरैना, श्योपुर

National Chambal Sanctuary Madhya Pradesh



Conservation & Protection Plan (2023-24 to 2027-28)

Table of Contents

- 1. Executive Summary 3**
- 2. Chapter 1: Introduction to the National Chambal Sanctuary 5**
- 3. Chapter 2: Background Information and Attributes 9**
- 4. Chapter 3: Strategies 23**
- 5. Chapter 4: Protection Plan 34**
- 6. Chapter 5: Budgetary Requirements 41**

Executive Summary

The Chambal River originates in the Vindhyan ranges near Mhow in the district of Indore, Madhya Pradesh and then flows through Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh (UP) forming the border of MP with these two states before flowing into UP to join the Yamuna in the district of Etawah, UP. The Chambal as a tributary of the Yamuna forms part of the greater Gangetic drainage system.

The National Chambal Sanctuary is situated in a large arc of the Chambal River, covering nearly 1800 km² across the three states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, and is the first and only tri-state riverine protected area in India. About 600 of the 960-km stretch of the Chambal River has been declared as the National Chambal Sanctuary by the three states in their respective territorial jurisdictions.

The Chambal sanctuary in MP was notified vide notification: No. F.15-5-77-X (2) dated 20.12.1978. Modified: No. 15-12-X(2)-82 dated 24.12.1982 by the Government of Madhya Pradesh.

The National Chambal Sanctuary is among the most important and significant riverine habitat where several globally threatened faunal elements still survive. Its rich biodiversity is evident from the presence of two species of crocodylians the Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the Marsh Crocodile mugger (*Crocodylus palustris*), 9 species of freshwater turtles including the endangered Red Crowned Roof Turtle (*Batagur kachuga*), Smooth-coated Otters, Gangetic river dolphins (*Platanista gangetica*), Indian Skimmer, Black-bellied Tern, Sarus crane and Black-necked Storks, amongst others. The Gharial endemic and unique to the Indian subcontinent is the most critically endangered aquatic animal in India. It is included in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972; Appendix I of CITES and listed as Critically Endangered in the IUCN Red List of Endangered Species.

Today, the Chambal faces severe threats on several fronts. The Chambal River is being impacted by increasing extraction and diversion of water, leading to flow disruptions and degradation of the aquatic ecosystem. Presently, there are seven major, twelve medium and 134 minor irrigation schemes operating in the Chambal River Basin. Over and above this, 52 new irrigation projects are under construction and a further 376 projects have been proposed. Being a perennial river in an arid landscape it is only looked upon as a source for water extraction rather than a unique aquatic ecosystem. Other threats include land use changes, sand-mining, poaching, fishing and a spread of riverside cultivation within the Sanctuary. The biodiversity values of and threats to the National Chambal Sanctuary are not understood in spite of the Protected Area having been established since the late 1970s. The infamy of the ravines also contributes to its relatively unpopular status. This underscores the need for greater awareness through effective communication and outreach if the river and its biodiversity values are to be conserved.

An assessment of the strategies to tackle the issues including long term as well as short term strategies is laid out in this protection plan. The responsible agency is also specified for each strategy. The chapter on protection details the various threats and makes appropriate prescriptions for their effective implementation. Finally the budgetary requirements are laid out in the final section.

Introduction to the National Chambal Sanctuary

1.1 Name, Location, Constitution and Extent

The National Chambal Sanctuary (National Chambal Sanctuary) lies between 24°55' to 26°50'N and 75°34' to 79°18'E. It consists of the section of the Chambal River between Jawahar Sagar Dam in Rajasthan and the Chambal-Yamuna confluence in Uttar Pradesh. Two stretches of the Chambal, with in this section, are protected as the National Chambal Sanctuary the upper section, extending from the Jawahar Sagar Dam to the Kota Barrage, and the lower sector, extending from Keshoraipatan in Rajasthan to Pachhnada in Uttar Pradesh. The lower section of the Parbati river, ~60km upstream from Chambal Parbati confluence also forms a part of the National Chambal Sanctuary (**Figure1**).




Figure1: Location Map National Chambal Sanctuary

The 960 km long Chambal River originates from the Singar Chouri peak in the northern slopes of the Vindhyan escarpment, at an elevation of about 843 m, 15 km west-south-west of Mhow in Indore District, Madhya Pradesh. The river first flows in a northerly direction in Madhya Pradesh (MP) for about 346 km and then in a generally north-easterly direction for 225 kms through Rajasthan. The Chambal flows for another 217 km between MP and Rajasthan and thereafter another 145 km between MP and Uttar Pradesh (UP). It enters UP and flows for about 32 km before joining the Yamuna River in Etawah District at an elevation of 122 m, to form a part of the greater Gangetic drainage system (Jainet *al*, 2007).

1.2 Approach and Access

The National Chambal Sanctuary is easily accessible from Gwalior (75km). The sanctuary is about 10 km Sourt-east of Dholpur, Rajasthan which is the nearest railhead and the town and the Sanctuary is 25km North-west of Morena town. The nearest airport is located at Gwalior (Figure2).




Figure2: Map showing access and approach to National Chambal Sanctuary

1.1 Statement of Significance

The Chambal is one of the last remnant rivers, in the greater Gangetic Drainage Basin, that has retained significant conservation values (Hussain & Badola, 2001). This nearly 1800km² river of natural beauty and unique biodiversity is the first and only tri-state protected area in India. The National Chambal Sanctuary is among the most important and significant habitats where several globally threatened faunal elements still survive. The National Chambal Sanctuary was established in order to facilitate the 'restoration to ecological health of a major North Indian river ecosystem' (Sale, 1982). The National Chambal Sanctuary is an integral part of 22 Protected Areas (PAs) covering 5213.27km² with Six PAs covering 1385.18km², which are located at the periphery of the basin.

In addition, this river sanctuary functions as a vital source and nursery for fish fry and fingerlings, contributing significantly to downstream fisheries in the Gangetic river system, that provide livelihood and sustenance to millions of dependent people.

1.1.1 Global Significance

The National Chambal Sanctuary is recognized globally as an Important Birding Area (IBA) an Important Bird Area (Birdlife International) (Site Code IN-UP-11 and IN-RJ-11) as it is an important habitat for migratory water birds. It harbours almost 90% of the world population of the Gharial (*Gavialis gangeticus*) (Lang & Kumar 2017). It provides refuge to several species of fish, reptiles, birds and **mammals** of conservation importance.

1.1.2 National Significance

Chambal River forms an integral part of the Greater Gangetic River System; the Chambal River has remained relatively untouched due to the lack of major towns or cities and industries on its banks. It is thus one of the few rivers of the basin to retain significant conservation values (Hussain and Badola, 2001). National Chambal Sanctuary is the first and only tri-State protected area in India notified for the conservation of a Crocodylian (*Gavialis gangeticus*) species.

1.1.3 Local Significance

Chambal flows through Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh is an important southern tributary of the Yamuna River and a source of ground water recharge in the region. Barrages and multipurpose dams in the upper reaches of Chambal add to the fishery resources, agricultural and domestic water needs in the region.

1.2 Biodiversity Value

A total of 148 fishes (33 families), 56 reptiles (19 families), 308 birds (64 families), 60 mammals (27 families), 37 butterflies (5 families) are reported, including six Critically Endangered, 12 Endangered and 18 Vulnerable species, as categorized by the IUCN Red List of Threatened Species (Nair and Krishna 2013; WII 2017).

1.3 Recreational Value

The National Chambal Sanctuary serves as an important site for bird watching, especially during the winter migratory season. Tourism is carried out by the Madhya Pradesh Forest Department (MPFD) at Rajghat (~25km from Morena) and Barhi (~ 20 km from Bhind) where tourists can avail boating and Nature trail walks.

1.4 Cultural Value

The Chambal is one of the major rivers feeding into the Yamuna and thereafter the Ganga, but unlike them, it is completely devoid of any divine antecedents. While the Chambal has many interesting myths associated with its origins, it is almost impossible to ascertain the veracity of these stories. The earliest reference to Chambal can however be found in the epic *Mahabharata* (Fritzgerald, 2004).

Aboriginal and tribal groups such as the Meos and the Bhils inhabited the area around the Chambal.

Background Information and Attributes

2.1 Biogeographic Zone

The National Chambal Sanctuary lies in the Biogeographical province 4B (Semi-Arid Gujarat-Rajputana) of Semi-arid Biogeographic Zone (Rodgers and Panwar, 1988). The vegetation consists of Ravine, Thorn forest, a sub-type of the Northern Tropical Forests (Sub-group 6B/C2as per the revised classification of Champion & Seth, 1968). This sub-type typically occurs in less arid areas with a rainfall of 600-700 mm. Limited examples of Saline/Alkaline Babul Savannah (5/E8b), a type of Northern Tropical Dry Deciduous Forest also occur (Sale, 1982). Evergreen riparian vegetation is completely absent, with only sparse ground-cover along the severely eroded river banks and adjacent ravine lands (Hussain, 2009).

2.2 Boundaries

The National Chambal Sanctuary lies between 24°55' to 26°50' N and 75°34' to 79°18'E. It consists of the section of the Chambal River between Jawahar Sagar Dam in upstream and the Sindh-Yamuna confluence in downstream (refer to **Figure 1**). Madhya Pradesh part of National Chambal Sanctuary also includes, approximately 60 km of the Parbati River starting from the point from where the Right Main Canal of the Chambal crosses it, till its confluence with the Chambal.

2.3 Altitude and Terrain type

The Chambal River falls about 732 m from its point of origin till it joins the Yamuna. Out of this, the drop of approximately 305 m is reached within the first 16 kms. It falls another 195 m in the next 338 km, where it enters the gorge past the Chaurasigarh Fort. In the next 97 km of its run from the Chaurasigarh Fort to Kota city, the bed falls by another 91 m. For the remainder of its 523km run, the river passes through the flat terrain of the Malwa Plateau followed by the Gangetic Plain where it reaches an average gradient of 0.21 m/km (Jainetal, 2007). The Chambal

averages 400m in width while its depth ranges from 1 to 26m (Hussain,1991). During monsoon, the rise of its water level ranges between 10 m and 15 m, and the river widens by about 100 m to 500 m from bank to bank. The mean monthly flow of Chambal River for the period 1996-2004 varies between 2074.28 m³/sec in August to as low as 58.53 m³/sec in April (Hussain *et al.* 2011).

2.4 Geology, rock and soil

The substrate ranges from mud and silt to sand and rock. The predominant soil type in the upper reaches is black soil which is distributed throughout the part of Madhya Pradesh; mixed red and black soil occurs in Mandsaur and Chittaurgarh districts; laterite soil is found in pockets particularly in Romper Plateau. Alluvial soils dominate the entire basin particularly the lower basin, which is often 60 meters thick (Sharma, 1980; Hussain & Badola, 2001). Badland topography is a characteristic feature of the Chambal valley, whereas kankar has extensively developed in the older alluvium.

The Chambal River valley consists of massive sandstone, slate and limestone deposits, of perhaps pre-Cambrian age, resting on the surface of older rocks. According to Crawford (1969), the major landforms in the Chambal valley consist of small hills and plateaus. Gullies, ravines and an undulating floodplain are characteristic of the Chambal River basin (Gopal & Srivastava, 2008). The Hadauti Plateau in Rajasthan is situated in the upper catchment of the Chambal, southeast of the Mewar Plains and to east is the Malwa Plateau. Physiographically, it can be divided into Vindhyan scarpland and Deccan lava (Malwa) plateau (Sinha-Roy *et al.* 1998). The Chambal is a rain-fed catchment with black soil dominating in upper reaches and alluvial plain sloping gently towards north in the lower reaches of the river.

2.5 Climate, temperature and rainfall

The climate of the basin is influenced partly by its proximity to the Tropic of Cancer, the Vindhyas and the Thar Desert. The area is semi-arid and the temperature in the region varies from 2 to 48°C during winter and summer respectively. The southwest monsoon is the major source of rainfall in the area. The mean annual rainfall in the Chambal basin measured 797 mm,

of which about 93% falls during the four months between June and September (Hussain, 1993; Adapted from Hussain & Badola, 2001).

2.5.1 Hydrology of National Chambal Sanctuary

According to Hussain *et al.* (2011), the flow regime of Chambal River is declining at an alarming rate of approximately 3.5% per annum. Analysis of the monthly flow data from 1996-2004 from the Central Water Commission for the three stations (Pali, Dholpur and Udi) on the Chambal River indicates flow variation between 2074.28 m³/sec in August to as low as 58.53 m³/sec in April, which indicates amounts to less than 50% of the optimal Gharial habitat. Small-scale water extraction projects such as the Pinahat lift irrigation which was constructed without the grant of environmental clearance, draws water at the rate of 8.5 m³/sec. The further proposed water extraction projects in Chambal and the proposed Parbati-Kalisindh-Chambal link project envisages the diversion of water from Parbati and Kalisindh sub-basins to Gandhi Sagar Dam / Rana Pratap Sagar Dam (National Water Development Agency, Government of India) which is likely to further reduce the flow affecting the ecological process of Chambal River.

Table2: List of existing and proposed water extraction projects in the National Chambal Sanctuary (Figure3)

NameofProject	State	Status	Water Budget
Gandhi Sagar	Madhya Pradesh	Operating	6,920Mm ³
Rana Pratap Sagar	Rajasthan	Operating	1,566Mm ³
Jawahar Sagar	Rajasthan	Operating	343TCM
Kota Barrage	Rajasthan	Operating	99Mm ³
Dholpur Lift Irrigation-I	Rajasthan	Operating	5.8 m ³ /sec
Pinahat Lift Irrigation	Uttar Pradesh	Operating	8.5 m ³ /sec
Dholpur Lift Irrigation-II	Rajasthan	Permission granted	6.54m ³ /sec
Sheopur City Drinking Water Project	Madhya Pradesh	Proposed (Inreview)	22.70MLD
Morena City Drinking Water Project	Madhya Pradesh	Permission granted	140MLD




Figure3:Map showing existing and proposed water extraction projects in the National Chambal Sanctuary

2.5.2 Minimum water flow and depth requirement for survival of Gharial and Gangetic dolphin in the Chambal River

During the early 1970s, four major hydroelectric projects over Chambal River were undertaken namely Gandhi Sagar, Rana Pratap Sagar, Jawahar Sagar and Kota Barrage. This has reduced the flow of the Chambal River below the Kota Barrage to zero during the lean seasons, leading to a reduction in the Gharial habitat between Keshoraipatan and the Chambal-Parbati confluence, and a reduction in the dolphin habitat between the Chambal-Parbati confluence and Rahu Ka Gaon. The details of existing and proposed water harvesting project have been given in the previous sections. Maintaining environmental flows is a key step in achieving 'Good Status' of a river or stream. 'Good Status' is a combination of Good Chemical Status (GCS) and Good Ecological Status (GES). GES is defined qualitatively and includes populations and communities of large vertebrates, fish, macro-invertebrates, macrophytes, phytobenthos and phytoplankton. It also includes supporting elements that will affect the biological elements, such as channel form, water depth and river flow (Dyson *et al.* 2003).

Environmental water requirements also referred to as 'Environmental Flows' are a compromise between water resource development and the maintenance of a river at ecologically acceptable or agreed condition. Based on this principle, the minimum environmental flow of Chambal River taking Gharial and Gangetic dolphin as umbrella species was assessed, using a combination of flow analysis and habitat modelling. A study conducted by the Wildlife Institute of India (2011) attempted to answer the following key questions pertaining to the environmental flow of the Chambal River:


- a. What is the mean monthly flow of Chambal River and its trend?
- b. Is there any relationship between flow and depth?
- c. In the present flow regime, what percentage of Chambal River is suitable for adult Gharial and Gangetic dolphin?
- d. What will be the cumulative impact of proposed water harvesting projects on the habitat quality?

The Central Water Commission's 1996-2004 monthly flow data from Pali, Dholpur and Udi was used. During the study water depth at 440 locations between Dholpur (Rajasthan) to Panchnada (UP) were measured in February, April and June 2010. The actual water flow was also measured during the same period at 29 locations to derive the relationship between flow and depth. Based on these data the depth of the river from Dholpur to Panchnada was also assessed with a view to appraise the suitability of the river stretch for the Gharial and the dolphin.

2.5.3 Trends in river flow

During 1996-2004 the mean monthly flow of Chambal River varied between $58.53 \text{ m}^3/\text{sec}$ in the month of April to $2074.28 \text{ m}^3/\text{sec}$ in August. As little as $16.38 \pm 1.99 \text{ m}^3/\text{sec}$ flow was recorded during the months of June-July 2009 (Hussain *et al.* 2011). Often the flow in lean season goes down to $6.13 \text{ m}^3/\text{sec}$ per annum at Udi (Central Water Commission). In the last decade the river flow showed a decreasing trend of 6.3% in Pali, 2.3% at Dholpur and 1.5% at Udi. Chart 4 shows the river depth profile of Chambal River between Rajghat and Panchhnada as derived during February, April and June 2010. A statistically robust relationship was observed between the river flow and river depth ($R^2 = 0.99$, $p < 0.001$) *i.e.* as the flow increases the depth also increases correspondingly.

Chart1: Chambal River flow at three recording stations (Source Hussain *et al.* 2011)






Chart 2: Chambal River depth between Rajghat and Panchhnada (February, April and June 2010 areas suitable for Gharials and dolphins) (Source Hussain *et al.* 2011)




Chart3: Relationship between river flow and depth (Source Hussain *et al.* 2011)




Chart4: Relationship between mean flow and percentage stretch optimal for Gharial in the Chambal (Source Hussain *et al.* 2011)





Chart 5: Relationship between mean flow and percentage stretch optimal for Gangetic dolphin in Chambal River (Source Hussain *et al.* 2011)



Analysis of monthly data on mean flow suggests that there is reduction in flow of almost 50% or less from February to June so far as the Gharial is concerned. For the dolphin the reduction of 50% or less was noticed from November to June, i.e. for eight months in a year. The cumulative requirement in the post-project scenario has been worked out and it is found that the pre-project reduction in flow by 50% or less is further reduced significantly in the months of November to March for both the species. The period of reduced availability of flow also corresponded to the breeding season of the Gharial. **As the suitable habitat at present is already compromised by 50% or less during lean months, further drawl of water will negatively impact the habitat suitability for the Gharial and dolphin significantly.** The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for the future water management programme of the Chambal River.

Extraction of water through the proposed Dholpur lift will reduce the optimal habitat of the Gharial to **almost 20.5%** and of the dolphin to almost 0% in the months of March and April (**Table 1**). At the present flow regime during the lean seasons the major portion of the dolphin habitat is fragmented. The report also suggests a minimum ecological flow of 151-164.34m³/sec for Gharials, and 266.42-289.67m³/sec for the Gangetic dolphins, during the lean season. Water extraction below this level will impact the sustained reproduction and there by conservation of the Gharial and the Gangetic dolphin in the long run. To maintain the habitat suitability of Gharial and dolphin at ecologically acceptable >90% level, around 151-266m³/sec of flow will be required. This could be achieved if water from the Kota Barrage and other subsidiary dams in the Chambal basin is released.

The average quantity of water used for irrigation by Rajasthan and Madhya Pradesh through the creation of Gandhi Sagar Dam and water extraction via Kota Barrage has decreased by 22.6% and 41.4% respectively in last 17-18 years, whereas the use of water for non-irrigation (industrial and drinking water purpose) has increased three-fold (Gupta and Attari, 2007) resulting in a shortage of water downstream. By the year 2002-03 the net water use for non-irrigation purpose was almost 41% (Gupta and Attari 2007). **In view of the foregoing discussion, it is not feasible to have new irrigation projects in the Chambal, as any further extraction of water would adversely impact the conservation of the two major threatened vertebrate species in the Chambal River the Critically Endangered Gharial, and the Gangetic dolphin which has also been designated as national aquatic animal.**

2.6 General ecological features including flora and fauna

A total of 148 fishes (33 families), 56 reptiles (19 families), 308 birds (64 families), 60 mammals (27 families), 37 butterflies (5 families) are reported, including six Critically Endangered, 12 Endangered and 18 Vulnerable species, as categorized by the IUCN Red List of Threatened Species (Nair and Krishna 2013; WII 2017).

2.6.1 Vegetation

As mentioned earlier, this tri-state area in north-western India lies in a semi-arid zone (Hussain, 2009). The vegetation consists of Ravine, Thorn forest, a sub-type of the Northern Tropical Forests (Sub-group 6B/C2 as per the revised classification of (Champion & Seth, 1968). This sub-type typically occurs in less arid areas with a rainfall of 600-700 mm. Limited examples of Saline/Alkaline Babul Savannah (5/E8b), a type of Northern Tropical Dry Deciduous Forest also occur (Sale, 1982). Evergreen riparian vegetation is completely absent, with only sparse ground-cover along the severely eroded river banks and adjacent ravine lands (Hussain, 2009).

The semi-arid tract in Madhya Pradesh, represented by the Chambal catchment, extends up to the Narmada and Betwa rivers. There are over a 1000 specimen of flowering plants in the area including: Axlewood (*Anogeissus latifolia*), Kardhai (*A. pendula*), Teak (*Tectona grandis*), Indian Ash Tree (*Lannea coromandelica*), Coromandel Ebony (*Diospyros melanoxylon*), Gum

Karaya (*Sterculia urens*), Kaim (*Mitragyna parviflora*), Flame of the Forest (*Butea monosperma*), Indian Gooseberry/Amla (*Emblica officinalis*), Indian Frankincense (*Boswellia serrata*), *Bridelia squamosa* and Anjan (*Hardwickia binata*). The species composition at the shrub and ground layer is similar to that of the semi-arid regions of Gujarat. A few climbers of this area include Species of *Rhynchosia*, *Atylosia*, *Cocculus*, *Cissampelos*, *Ipomoea*, *Pergularia* (*Pergulariadaemia*), kudzu (*Puerariatuberosa* and Guduchi (*Tinosporacordifolia*) (Verma *etal.*,1993).

Thorny bushes or small trees commonly found in this area include Kerda (*Capparis decudua*), *Capparis sepiaria*, Egyptian balsam (*Balanites aegyptiaca*), Gum Acacia (*Acacia senegal*), Babul/Kikar (*A. nilotica*), reonja (*A. leucophloea*), Vilayati babul (*Prosopis juliflora*), Kankera (*Maytenus emarginata*), *Tamarix sp.*, Meswak (*Salvadora persica*), Vann (*S. oleoides*), Trefoil Rattle pod (*Crotalaria medicaginea*), Saniya (*C. burhia*), Arni (*Clerodendrum phlomidis*), apple of Sodom (*Calotropis procera*), Common cocklebur (*Xanthium indicum*) and Khimp (*Leptadenia pyrotechnica*) associated with climbers such as *Maeruaoblongifolia*, *Khadula*(*Ceropegia bulbosa*), herbs e.g., Mexican poppy (*Argemone mexicana*), Faridbuti (*Farsetia hamiltonii*), Wild Indigo (*Tephrosiapurplea*), Asian spider flower (*Cleomeviscosa*), Tackweed (*Tribulusterrestris*), Lotus sweet juice (*Glinus lotoides*), *Sericostoma pauciflorum*, *Rivea sp.*, Morning glory (*Ipomoea sp.*), Large Caltrops (*Pedaliium murex*), Sesame (*Sesamum mulayanum*), *Lepidagathissp*, Red Spiderling (*Boerhavia diffusa*), *Chrozophora sp.*, and grasses like *Cyprus sp.*, *Fimbristylissp.*, *Brachiariasp.*, *Cenchrussp.*, *Dichanthium sp.* (Rawat, 2008).

Aquatic Vegetation:

Richness of Aquatic Vegetation decides the primary production levels of a wetland. Shallow patches of the river with rocky substratum provide good base for sedentary aquatic vegetation. Some commonly found aquatic vegetation are *Limnophyton obtusifolium*, *Sagittaria sagittifolia*, *Achyrathus aspera*, *Gomphrena celosioides*, *Crinum defixum*, *Aponogeton natans*, *Hydrilla verticillata*, *Nechamandra alternifolia*, *Vallisneria spiralis*, *Ammannia baccifera*, etc. (Chorgheetat.2012)

2.6.2 Vertebrate Fauna

The National Chambal Sanctuary contains the largest contiguous and most viable breeding populations of the critically endangered Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the red-crowned roofed turtle (*Batagur kachuga*). It is also among the most important repositories of the Gangetic dolphin (*Platanista gangetica gangetica*), narrow-headed giant soft-shelled turtle (*Chitra indica*), three-striped roofed turtle (*Batagur dhongoka*), Indian skimmer (*Rynchops albicollis*), black-bellied tern (*Sterna acuticauda*), sarus crane (*Grus antigone*), and the freshwater whipray (*Himantura chaophraya*). It is an Important Bird Area (Birdlife International) – (Site Code IN-UP-11 and IN-RJ-11), particularly for the Oriental white-backed vulture (*Gyps bengalensis*), long-billed vulture (*Gyps indicus*), Pallas's fish-eagle (*Haliaeetus leucoryphus*) and greater spotted eagle (*Aquila clanga*) among others (Islam & Rahmani, 2004). The National Chambal Sanctuary is among the best over-wintering sites for migratory birds.

2.8.2.1 Avifauna

A total of 308 bird species comprising 64 families have been recorded from the National Chambal Sanctuary. Within this, 4 species are categorized as Critically Endangered, viz., the Oriental white-backed vulture (*Gyps bengalensis*), long-billed vulture (*Gyps indicus*), Slender – billed vulture (*Gyps tenuirostris*), Red – headed vulture (*Sacrogyps calvus*); 1 species is listed as Endangered, viz., Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*)(Appendix-IIIa).

2.8.2.2 Ichthyofauna

A total of 148 fish species comprising 33 families have been recorded from the Chambal. Within this, 4 species belong to the Endangered category, viz., Deccan Mahseer (*Tor khudree*), GoldenMahseer (*Tor putitora*), the freshwater whip ray (*Himantura chaophraya*) and *Puntius aurilius*.

A preliminary survey conducted by the Wildlife Institute of India in November 2017 established the presence of the Tilapia (*Oreochromis niloticus*), an exotic fish species in the National Chambal Sanctuary. The survey also recorded a previously unreported species

(*Setipinna phasa*) from the National Chambal Sanctuary.

2.8.2.3 Mammals & Reptiles

A total of 56 reptile species comprising 19 families and 60 mammal species comprising 27 families have been recorded from the National Chambal Sanctuary. The National Chambal Sanctuary holds the largest viable, breeding populations of the Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the Red crowned roof turtle (*Batagur kachuga*), both classified under Critically Endangered by the IUCN. The narrow-headed giant soft-shelled turtle (*Chitra indica*), three-striped roofed turtle (*Batagur dhongoka*), classified under Endangered by the IUCN, also have strongholds in the National Chambal Sanctuary.

Mammals listed under the Endangered category are Fishing cat (*Prionailurus viverrinus*), Tiger (*Pantheratigris*), Dhole (*Cuon alpinus*) and Gangetic dolphin (*Platinista gangetica*).

2.6.3 Invertebrate Fauna

2.6.3.1 Butterflies

Butterflies are one of the most studied groups of invertebrates. Studies have pronounced Lepidopterans as the flagship taxon for invertebrate conservation. They enable important ecological services such as pollination and are hence useful as indicator species. Studies of Lepidopteran fauna of the National Chambal Sanctuary will help in assessing the health of the ecosystem and will further help in holistic management and conservation of the sanctuary.

A rapid survey carried out by the Wildlife Institute of India in November 2017 documented 37 species of butterflies in the National Chambal Sanctuary.

2.7 Species and communities of conservation importance

The Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the Gangetic Dolphin (*Platinista gangetica*) are the two flagship species of the National Chambal Sanctuary with national and international conservation importance. The National Chambal Sanctuary is the last stronghold of the Gharial in the wild. The National Chambal Sanctuary has the largest breeding, viable population of the Gharial in the wild, contributing to almost 90% of total nests in the wild. The National Chambal Sanctuary is also a major breeding and nesting ground for riverine sand nesting birds such as the Indian Skimmer (*Rynchops albicollis*) and the Black-bellied tern (*Sterna acuticauda*).

Once a widespread species within the National Chambal Sanctuary, the Smooth-coated Otter (*Lutrogale perspicillata*), there hasn't been enough evidence to validate its presence in the lower Chambal. The ravines of the National Chambal Sanctuary are home to lesser studied mammal species such as the Caracal (*Caracal caracal*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), Oriental honey badger (*Mellivora capensis*) etc. The National Chambal Sanctuary also forms a vital corridor and link for the movement and dispersal of tigers from the source population of the Ranthambore Tiger Reserve to the Protected Areas of Kuno-Palpur, Madhav National Park and Darrah-Mukundra.

Strategies

Strategies for achieving the objectives are given below

3.1 Long term strategies

- 1) Reduce direct and indirect threats to the river in biodiversity and ecosystem of the National Chambal Sanctuary through active protection and management

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutions
1.1 Systematically assess and monitor the threats to species and habitats in the National Chambal Sanctuary	a) Collate existing information on threats (internal as well as external) to the National Chambal Sanctuary, including proposed developmental activities.	✓		✓
	b) Update base line data, and develop monitoring programmes to gather information on the nature, degree and extent of threats.	✓		✓
	c) Assess impacts of threats on population and abundance.	✓		✓
	d) Immediate implementation of court order on illegal sand mining, and No vehicle zone (Appendix IV a & IV b)	✓		

1.2 Secure the National Chambal Sanctuary and control all illegal and detrimental activities within the boundaries of the Protected Area	a) Augment staff strength, capacity and protection infrastructure. Protection staff (forest guards / chowkidars) to be recruited on a permanent basis or contracted annually, for an entire year.	✓		
	b) Establish and strengthen intelligence gathering about illegal activities.	✓		
	c) Improve protection by regular and effective patrolling.	✓		
	d) Complete the mandatory process of settlement of rights, delineation of boundaries and final notification	✓		✓
	e) (Re)assessment of Environment Impact Assessments (EIA) to ensure strict adherence to existing legislation and due process	✓		✓
	f) Evaluate the effectiveness of nest and beach management programmes	✓	✓	✓
	g) Minimize the mortality of eggs and hatchlings, disturbance to nesting females caused by feral and domestic animals by focusing on the protection of entire nesting beaches rather than individual nests.	✓		✓
	a) Guidelines for general preparedness and response to facilitate a proactive, rather than reactive approach.	✓	✓	✓
	b) Deori Gharial Rearing Centre /Barhi Turtle Rearing centers for crisis management			
	b) Establish contingency plans, with specific roles and duties for the various participants	✓	✓	✓

2) Establish and implement the conservation and management plan through state, national and international coordination and cooperation

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
2.1 Assist and collaborate with states and relevant institutions to share information on threats, to cooperate in enforcement activities, and to develop national and regional action plans for the conservation and management of the National Chambal Sanctuary	a) Strengthening and coordinating the administrative, institutional and infrastructural components of the National Chambal Sanctuary between Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh	✓		
	b) Ensure the monitoring and review of management practices, and follow a system of 'adaptive management' that allows for integration of new knowledge and information	✓		✓
2.2 Enhance mechanisms for cooperation and promote	a) Identify and strengthen existing mechanisms for cooperation at the regional level	✓		

information exchange	b) Develop a web-based information resource to facilitate networking and exchange of information	✓		✓
	c) Create a directory of experts and resources people/organizations concerned with aquatic biodiversity and conservation.	✓		✓

3) Declaring the National Chambal Sanctuary as a World Heritage/Ramsar Site

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
3.1 Establish international importance of the National Chambal Sanctuary	a) Prepare proposals to declare the National Chambal Sanctuary as a World Heritage/Ramsar Site	✓	✓	✓
	b) Ensure compliance of international treaties like the <i>Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention)</i> , which lists both flagship species of the National Chambal Sanctuary — the Gharial (<i>Gavialis gangeticus</i>) and Ganges river dolphins (<i>Platanista gangetica gangetica</i>).	✓	✓	✓

3.2 Short term strategies

4) Protect, conserve and restore species and their habitats of conservation significance.

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutions
4.1 Establish necessary measures to protect and conserve critical habitats of Rare,	a) Identify critical habitats of RET species, and develop site specific conservation measures for these habitats.	✓		✓
	b) Strengthen the application of existing conservation laws and policies to protect the National Chambal Sanctuary.	✓	✓	✓
	c) Identify a network of protected areas and other suitable habitats that have the potential to maintain functional connectivity and natural process overtime	✓		✓
	b) Examine regional geography, vegetation, species distribution and land-use patterns to determine linkages between these areas.	✓		✓
	e) Compilation and analysis of multi-decadal river basin flow data and changes in flow needs in order to predict further changes in the flow regime due to new projects	✓	✓	✓
	f) Permanent monitoring of water quality (including's spended sediment, nitrates, BOD, pH, TDS, and conductivity) and stream flow discharge atleast 3-4 sites along the entire Chambal stretch.	✓		✓

Suggested locations are Keshoraipatan, Pali Ghat, Dholpur, Pinahat and Barhi (Chambal-Yamuna confluence).			
g) Integration of policies, decisions and costs across sectors such as conservation, agriculture, industry and urban development.		✓	
h) Establish ecologically relevant flow regimes, with provisions for a variety of flow types with different functions.		✓	✓
i) Urge the state governments to accord higher priority to 'ecological needs' in the respective state water policies.		✓	✓
j) Recommend the constitution of a Chambal River Basin Authority	✓	✓	✓
k) Increased focus on tributaries for holistic Chambal River basin Management	✓	✓	✓

5) Improve understanding of the ecology and populations of key species' ecology through research, monitoring, capacity building and information exchange.

Strategy	Action	M.P	MoEF	Other Institutions
5.1 Collaborative monitoring and	a) Collate existing information on the biodiversity and ecology of the National Chambal Sanctuary	✓		✓

research targeted at conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem.	b) Conduct base line studies or gather secondary information on the biodiversity and ecology of the National Chambal Sanctuary	✓		✓
	c) Review periodically and evaluate research and monitoring activities	✓		✓
	d) Promote and undertake research activities to ensure that sound science informs decision-making and management practices (see 'Science and Research' section for details)	✓	✓	✓
	e) Identify needs for capacity-building in terms of human resources, knowledge and facilities	✓		✓
	f) Regular training and access to resources needed for effective conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem. All National Chambal Sanctuary staff shall be trained specifically on the various aspects of aquatic ecosystems and biodiversity	✓		✓
	g) Exposure to varied conservation approaches and interaction with other conservation professionals	✓		✓
	h) Standardise monitoring protocols, and methods and levels of data collection	✓		✓
	i) Determine the most appropriate methods for information dissemination	✓		✓
	j) Exchange information and expertise among states, scientific institutions and NGOs, in order to develop and implement best practice approaches to conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem	✓		✓

6) **Enhance public education and awareness about the protected area, and its biodiversity and ecosystem values.**

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
6.1 Establish public education, awareness and information programmes	a) Setting up well-planned and thematic Biodiversity Resource Interpretation Centre and Kiosks at various locations along the Sanctuary	✓		
	b) Collect, develop and disseminate education materials	✓		✓
	c) Develop and conduct focused education and awareness programmes for target groups (e.g. policy makers, teachers, schools, river side communities, media)	✓		✓
	d) Organize special events related to aquatic biodiversity and ecosystems (e.g. World Wetland Day, Year of the Turtle, symposia)	✓		✓

7) **Elicit public support for the National Chambal Sanctuary through public participation and community engagement.**

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
7.1 Integration of the protected status and health of the National Chambal Sanctuary into the social	a) Conduct socio-economic studies of fringe villages along the National Chambal Sanctuary.	✓		✓
	b) Assess resource and livelihood dependency of local communities.	✓		✓
	c) Identify alternative livelihood opportunities for local communities to	✓		✓

reduce their economic dependence on the Protected Area.			
d) Identify low impact appropriate technology for reducing dependency by promoting use of substitutes (for eg.-biogas) and improving biomass use efficiency (for eg.-promoting use of pressure cookers, fuel efficient stoves, etc.)	✓		✓
e) Ensure that tourism and other income-generating activities are ecologically sound, and socially and culturally compatible sensitive the region; they and that it is compliant to all applicable regional, national and international regulations	✓		✓
f) Encourage the participation of civil society (e.g. students, volunteers, local communities), NGOs, other Government institutions and the private sector, in research and conservation efforts	✓	✓	✓
g) Implement, where appropriate, incentive schemes to encourage public participation (e.g. public acknowledgment, certificates)	✓		✓
h) Creating alliances and partnerships with relevant agencies to implement identified programmes	✓	✓	✓
i) To identify sources of public and private funding to support and supplement identified programmes (E.g. Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), Corporate social Responsibility (CSR), Vikas Nidhi,		✓	

Tiger Foundation Society, etc.)			
j) Campaign strategy and public-relations material	✓		✓
k) Prioritization of proposed actions, and develop channels to access specific funds for target activities	✓		✓

To strengthen and protect the Sanctuary, a district level task force headed by the District Collector and Divisional Forest Officer, Superintendent of Police as member secretary has been constituted for controlling the forest/wildlife offences. This task force holds monthly meeting to plan out activities such as patrolling and raids.

8) Completion of the process of settlement of rights and getting the final notification of the National Chambal Sanctuary.

The process of settlement of rights is yet to be completed, as per the letter no. 17/5290, dated 8/8/2017 and addressed to the collectors of Morena, Sheopur and Bhind.

The process may be completed based on the guidelines given below, as per the previous management plan.

1. Conduct mass public awareness programmes about biodiversity values of the National Chambal Sanctuary and Rights Settlement process so that the negative forces don't come in tone gate the process as happened earlier.
2. Conducting of training and workshop for revenue authorities as well as PA managers who are directly responsible for settlement of rights is a must. This is necessary to avoid confusion over the process of settlement of rights. Most people have an apprehension that it is at par with removing the people from the PA.
3. Immediately take up the matter of settlements of rights on war footing so that clash of interest of biodiversity conservation and wise resource utilisation of the PA as envisaged by forest policy 1988, Wildlife Action Plan, 2002 are realised.
4. It is not necessary that relocations should succeed the right settlement. Hence, allow the people residing within the PA to stay. It is essential during right settlement people's rights are identified, qualified and quantified. Without these specificities rights

settlement process will not be achieving its goal as enunciated in Wildlife (Protection) Act, 1972.

5. Once the settlement process is complete clearances before final notification from Indian Wildlife Advisory Board and mandatory clearances from the legislative assembly under the Section-26(A)(3) of Wildlife (Protection) Act, 1972 provided it requires boundary alterations of the PA.
6. After completing all the formalities get the sanctuary finally notified under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 within a matter of one year.

Protection Plan

4. Assessment of threats

4.1 Sand mining

Sand mining is the biggest threat to the sanctuary. It is not only degrading the critical habitat for sand nesting species, but also affecting the morphology of the river and its water retaining properties. Most of the sand mining is carried out by organized sand mafias that which confront in the form of severe aggression against the forest department. Tractor-trolleys are mainly involved in excavation of sand from the river bed and dumping it in their fields around the villages, from where it get exported by trucks. The sand mafias use vehicles which don't have their registration number displayed. This prevents the forest department from capturing the true culprit.

Lack of support from other law enforcing agencies further aggravates the issue. Sanctioned strength and resources are meagre with the management of NCS to check the situation. Due to lack of rain and flood waters, the sand banks remain exposed throughout the year, which enables the mining mafia to function all year round. Further, low flows in the rest of the year, enables mining tractors from across the states to cross the river and access mining sites.

4.2 Unconsolidated Sanctuary boundary

Even though the government of Madhya Pradesh has gazetted the National Chambal Sanctuary within its territory, the final notification after settlements of rights, if any, of local inhabitants has not been completed.

It is also necessary to complete the process of rationalization of boundaries and demarcation based on a combination of the gazette notifications, ground-truthing exercise and GI Analysis.

4.3 Illegal Fishing and poaching

Illegal fishing and turtle poaching is rampant using a variety of methods (gill net, baited hook-line,

dynamite) and these also claim other species like Gharials, mugger, river dolphins, otters and several birds (Dubey & Mehra, 1959; Vyas, 2004; Hussain, 1999; Nair, 2010; Katdare et al., 2011). Gill nets are particularly responsible for entangling and drowning juvenile Gharials, thereby impacting survival and recruitment of smaller size-classes. Fishing also competes directly with the feeding requirements of most predators in an aquatic system.

4.4 Livestock grazing

Since animal husbandry is wide spread in the surrounding region, the National Chambal Sanctuary is constantly exposed to problems arising from livestock grazing. Apart from being a source of disturbance to the wildlife, livestock are known to trample nesting sites of several ground-nesting species such as the Gharials, turtles, skimmers, and others. Besides, livestock also carry the risk of spreading diseases to wildlife. That apart, herders intentionally light fires in the precinct or around the sanctuary so that their livestock can graze in fresh pastures. Another major problem is the release of feral cattle into the National Chambal Sanctuary from nearby towns, cities and PAs. It is also known that wild herbivores will avoid areas grazed by livestock due to resource competition, causing wild herbivore population declines in the long-run, particularly in grazing ruminants; and that reduction in livestock grazing will help in the recovery of wild herbivores (Madhusudan, 2004).

The ecological costs of livestock grazing can be summarized as follows (Fleischner, 1994):

- Alteration of species composition of plant communities including decreases in density and biomass of individual species, reduction of species richness, and changing community organization.
- Disruption of ecosystem functioning including interference in nutrient cycling and ecological succession.

The alteration of the ecosystem structure would include the changing vegetation stratification, soil erosion and the decreasing availability of water to biotic communities.

Apart from the above mentioned direct threats, aspect rum of in direct factors also contributes to threats to the National Chambal Sanctuary.

- Illiteracy, poverty and limited livelihood options driving unsustainable resource use in National Chambal Sanctuary;
- Poor institutional capacity at the local and state levels for monitoring, enforcement and research;

- Poor coordination among agencies and institutions for Gharial habitat management;
- Low perceived priority of wildlife conservation compared to other human welfare need and failure to appreciate links between health of the river and human welfare.

5. Administrative Strength and Restructuring

The existing administrative structure of the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh

	Sabalgarh Range	Deori Range	Ambah Range	Total
Superintendent Officer	1	1	1	3
Range Officer	1	1	1	3
Deputy Range Officer	1	2	1	4
Forester	3	2	1	6
Forest/Game Guard	13	18	16	47
Boatman	1	5*	2*	8
Total	20	29	22	71

*-personnel employed on daily wage basis

It is recommended that the National Chambal Sanctuary be elevated to a Wildlife Division, under the charge of an officer not below the rank of a Deputy Conservator of Forests, in order to facilitate proper administration and co-ordination among all concerned districts and with their counterparts in the neighbouring states. In the current structure, nearly 450km of river length (including Parbati River) is divided between 3 Range Officers.

Thus, it is also proposed that the existing 3 ranges be further divided to make 6 ranges, which will be under the charge of 6 Range Officers.

Along with 6 ranges, the creation of a research range is also recommended. Considering the long standing legacy of research on aquatic reptiles and other fauna of the Chambal River, the presence of a research range, under the charge of a Research Officer, will ensure the continuation of research work in the National Chambal Sanctuary. The range may be under the charge of a Range Officer preferably with a background in Life Sciences or allied subjects.




Figure: Proposed hierarchical administrative set-up for National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh

The formation of a flying squad is also recommended, comprising of 1 Deputy Ranger + 3 Foresters + 15 additional staff (excluding members of the existing SAF). This team, formed with the sole purpose of patrolling, will best be actioned at the divisional headquarters, under the Divisional Forest Officer, Morena. There is also a requirement of 150 SAF personnel, which will be divided between the three superintendents. A unit on the lines of the STPF (State Tiger Protection Force) may be formed with the above personnel.

A veterinary officer, preferably trained in wildlife health or aquatic reptiles is also required. It may be a full time position or a qualified veterinary officer, approved by a competent authority, may be assigned to visit the DGRC periodically for routine check-ups or in case of an emergency.

5.1 Administrative Restructuring

It has been suggested in the NTRIS-CASMACC generic plan that the DGRC be developed as a Wildlife Training Centre, Research Base and Biodiversity Interpretation Centre.

Further, it has also been suggested that all DCF and ACF-level officers posted in the National Chambal Sanctuary be provided with various and relevant wildlife management courses offered by the Wildlife Institute of India, Dehradun. Similarly, the Range Officers may also be provided with a three-month long certificate course. These staff, along with other front-line staff shall undergo periodic training and refresher modules on regular surveillance, anti-poaching and law-enforcement patrolling; detection of offences, and collection of evidences; the application of relevant laws, regulations and legal provisions; recognizing and documenting wildlife signs; basic field techniques including the use of binoculars, GPS, etc; field research techniques; weapon handling and maintenance; modern fire fighting; visitor management; and in disaster-related emergency response. This competence-based capacity-building may be provided at the Tala Wildlife Training Centre in Madhya Pradesh; and this may be supplemented through interactions with external resource persons and researchers.

The veterinary staff, shall be trained in wildlife health and management, and be made available for the entire sanctuary as required. In addition, the local veterinarian so the respective districts should also be provided basic training in wildlife health and management, so as to be able to assist and respond in a crisis situation.s

6. Strategy

Every year, a vast volume of riverbed materials is being extracted from the river to meet the increasing demand of construction materials. Sand mining is one of the significant factors affecting the riverine ecosystem, where biodiversity is already declining at an alarming rate. Mining on the banks of Chambal is becoming a significant threat to Gharials, Muggers, turtles and other Island nesting birds, such as the Endangered skimmers. It is crucial to stop sand mining from the sanctuary and an appropriate regulatory mechanism needs to be put in place. Efforts should be made to conserve islands and sand banks from mining, predators such as dogs and inundation due to release of water from dams. Nesting and breeding sites of endangered species needs to be mapped and regularly monitored. This information will be useful in deciding on developmental activities.

➤ Suitable measures for conservation of habitat and species under National Chambal Sanctuary are as follows:

1. Installation of tetra pods at such places in highly sensitive areas from where vehicles suitable for illegal mining can be accessed so that the access of vehicles can be blocked.
2. Under the National Chambal Sanctuary, such sites which are susceptible to illegal mining, construction of vehicle blocker trenches at those sites so that the movement of vehicles used in illegal mining can be blocked.
3. Use of portable high speed motor boat for patrolling so that problems like illegal fishing, encroachment can be solved and action taken within the sanctuary. 02 high speed motor boats to be used per game range level for appropriate action.
4. Monitoring of illegal mining and transportation through drones so that after knowing the routes used for illegal mining at night time, construction of block trenches, raids and patrolling etc. can be done to the said site.
5. By setting up check post barriers on the routes mostly used by the mafias, taking action against the excavators and vehicles as per the law rules.
6. To prevent illegal mining, establish separate flying squad at game range level.
7. Use of 15 seater vehicle for flying squad so that efficient coordination can be established in the patrolling team at the time of guerrilla action.
8. It is often found that registration number is not placed on the vehicles used in illegal mining in Chambal area due to which there is difficulty in identifying the vehicles at the time of action. To solve the above problem, action like challan should be taken on the vehicles without registration number at the District task force level and the purchase of fuel should be blocked by running a campaign against such vehicles without registration number.
9. A 24X7 helpline should be set up under the National Chambal Sanctuary at the district level so that more effective action can be taken with the help of public participation.
10. People living near National Chambal Sanctuary should be made aware for their participation in conservation and promotion by conducting public awareness campaign.
11. Nest Guardian Program, Nest Monitoring, Security Supply work for the protection of Indian Skimmer, Black Bellied Tern and other almost extinct species.
12. Construction of a watch tower at the ghat level for monitoring under the sanctuary so that illegal

mining, monitoring of animals, etc. can be done more effectively.

13. 207.05 hectare area of sanctuary has been denotified by Government, for this, Proper mechanism for leasing out this area should be in place. Contractors for legally sanctioned sand mines should be promoted to keep watch and discourage illegal sand mining.

5. Budgetary requirement

S. N o.	Budget Head	Detail	Allotment Year Wise (Rupees in lakh)					Total Financial Requirement (Rs in lakh)
			1	2	3	4	5	
1	Awareness	Production of publicity materials	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
2		Conducting regular awareness programme (for villagers, student and staff)	4.67	5.14	5.65	6.22	6.84	28.52
3		Making a film on Chambal.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
4		Posters and Hoardings	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
5	Infrastructure	Construction of barriers to prevent illegal transportation	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	32.00
6		Construction of forest barrier	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
7		Procurement of motor boat for patrolling	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8		Procurement of patrolling vehicle (Mahindra Bolero Camper)	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
9		Construction of partrolling camps	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00
10		Construction of Range office	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	44.00
11		Construction of Staff Quarters	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	120.00

12		Signages and Demarcation of NCS boundary and Ecoc Sensitive Zone	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
13		Construction of orientation centers at Bhind	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
14		Interpretation center at DGRC	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
15	Legal	Legal support for defending court cases	3.54	3.90	4.29	4.72	5.19	21.64		
16		Right Settlements	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
17	Maintenance	Website Maintenance	0.97	1.06	1.17	1.29	1.41	5.9		
18		Maintenance of Documentation cum library cum museum	3.22	3.54	3.90	4.29	4.72	19.67		
19		Daily maintenance and upkeep of rearing facilities and surroundings at DGRC/ordinary repair/sand filling etc.	17.72	19.49	21.44	23.58	25.94	108.17		
20		Annual maintenance of motor boats, engines, manual boats and patrolling vehicles	11.27	12.40	13.64	15.01	16.51	68.83		
21	Protection	Anti-poaching deployment camp for patrolling	88.58	97.44	107.18	117.90	129.69	540.79		
22		Purchase of 2 Drones	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
23		Maintenance of Drones, yearly expenditures on drone operator and a vehicle	8.00	8.80	9.68	10.64	11.70	48.82		

24		POL for motor boats/patrolling vehicles/Generators	19.32	21.25	23.38	25.72	28.29	117.96
25	Research and Monitoring	Physico- chemical quality analysis of Chambal River and DGRC rearing pools	7.25	7.97	8.77	9.65	10.61	44.25
26		Annual survey of aquatic fauna in NCS	5.31	5.85	6.43	7.07	7.78	32.44
27		Population estimation of migratory wetland birds	4.19	4.61	5.07	5.57	6.13	25.57
28		Population estimation of raptors in NCS	3.70	4.07	4.48	4.93	5.42	22.6
29		Population estimation of river nesting birds and nesting success	3.22	3.54	3.90	4.29	4.72	19.67
30		Seasonal care and health care facility for ex situ reared Gharial and turtles at DGRC and Barhi Turtle rearing centre	7.25	7.97	8.77	9.65	10.61	44.25
31		In situ conservation (monitoring, protection, data collection and management) of nesting species (Gharial, mugger, turtles and birds)	24.16	26.57	29.23	32.15	35.37	147.48
32		Ex-situ research initiatives	4.43	4.87	5.36	5.89	6.48	27.03
33		Survey for documentation of fish fauna in the Chambal River	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

34	Study on population ecology of freshwater turtles (hard shell and soft shell) in the NCS, with special focus on assemblages and community structure.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	20.00
35	Studies to determine the presence of Smooth - coated otter in the NCS	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.00
36	Study to understand the ecological importance of ravines, from the perspective of their long term conservation	3.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00
37	Collection and transportation expenses for Gharial/Turtle eggs and release of reared animals under Grow and Release Program	1.13	1.24	1.36	1.24	1.50	1.65	6.88
38	Monitoring of Released Gharials	4.35	4.78	5.26	4.78	5.79	6.37	26.55
39	Flow estimation and determination of minimum necessary ecological flows	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00
40	Research and monitoring activities in NCS and ex-situ rearing centers	3.54	3.90	4.29	3.90	4.72	5.19	21.64
41	Annual Seminar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
42	Staff incentives	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
43	Total	629.32	350.89	339.25	316.58	343.62	1979.66	

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश 759

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल 462011

दूरभाष : 0755-2674206, 2674248, 2674318 फ़ैक्स : 0755-2766315

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

ANNEXURE R-4

क्रमांक/प्रबंध/2023/ 2967

भोपाल, दिनांक 29/03/2023

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक OA 248/2023 में पारित
आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में Action Taken Report

--00--

विषयांकित प्रकरण में वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, मुरैना से प्राप्त
प्रतिवेदन के आधार पर तैयार Action Taken Report प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग
को उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


29.03.2023
(जसबीर सिंह चौहान)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/ प्रबंध/2023/ 2968

भोपाल, दिनांक : 29/03/2023

प्रतिलिपि :- निज सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, सतपुड़ा भवन,
भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक OA 248/2022 में पारित आदेश
दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में Action Taken report

-----0000-----

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक OA 248/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.02.23 के पालन में मुख्य सचिव महोदय द्वारा तथा राज्य एवं संभाग स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति तथा जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन रणनीति अनुसार चम्बल नदी से अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। विवरण (Action Taken Report) निम्नानुसार है:-

1. अवैध उत्खनन / परिवहन पर की गयी कार्यवाही:- वन मण्डल मुरैना के वन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र अन्तर्गत वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही:-

क्र0	विवरण	दिनांक 01.04.2022 से N.G.T. आदेश दिनांक 06.02.2023 तक की गई कार्यवाही		N.G.T. आदेश दिनांक 06.02.2023 से 27.03.2023 तक की गई कार्यवाही		योग/कार्यवाही	चम्बल नदी में रेत विनिष्ठीकरण की कार्यवाही
		प्रकरण संख्या	जप्त वाहन/वनोपज	प्रकरण संख्या	जप्त वाहन/वनोपज		
1	अवैध उत्खनन	10	576 घ.मी.	11	6573 घ.मी.	21	7149 घनमीटर
2	अवैध परिवहन	64	56 वाहन	10	10	74	
3	राजसात वाहन	42	इस अवधि में कुल 42 वाहन राजसात हुए।	00	00	42	
4	अधिरोपित दंड	00	00	00	00	00	
5	दर्ज F.I.R	10	10	18	21 आरोपी	28	

2. मोटरबोट द्वारा प्रेट्रोलिंग :- राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य अन्तर्गत अवैध उत्खनन/परिवहन/अवैध शिकार की रोकथाम हेतु चम्बल नदी के बीच में मोटर बोट द्वारा गैम रेंज देवरी के राजघाट के आसपास के क्षेत्रों में वन स्टाफ एवं एस.ए.एफ. बल के सहयोग से प्रेट्रोलिंग की जा रही है।

3. अवैध रेत परिवहन पर निगरानी:- वन उपज नाका मुरैना पर स्टाफ तैनात कर अवैध परिवहन पर रोक लगायी गयी है वन उपज चैक पोस्ट पर 24 घन्टे चम्बल रेत के अवैध परिवहन पर निगरानी हेतु वन स्टाफ एवं एसएएफ बल को तैनात किया गया है ।



4. ड्रोन से निगरानी:- राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र अन्तर्गत अवैध रेत उत्खनन के संवेदनशील घाटों पर दिनांक 07.03.23 से ड्रोन से निगरानी का कार्य किया जा रहा है जिसकी प्रतिदिन लॉगबुक संधारित की जा रही है।

5. वाहनों की जप्ती:- परिक्षेत्र अधिकारी की निगरानी में उड़नदस्ता दल द्वारा छापामार कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र अन्तर्गत अवैध रेत परिवहन में लिप्त पाये गये 10 वाहनों की जप्ती कर 10 वन अपराध प्रकरण कायम किये गये हैं जिनके राजसात की कार्यवाही प्रचलित है।

6. आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अवैध रेत उत्खनन/परिवहन करते हुए पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर चालान की कार्यवाही की जा रही है।

7. राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण एवं संवर्धन की पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार:- वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पंचवर्षीय (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28) विस्तृत कार्ययोजना, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 19.80 करोड़ है, तैयार कर ली गयी है। कार्ययोजना में महत्वपूर्ण जलीय जीवों यथा डॉलफिन, कछुआ, घड़ियाल एवं अन्य जीवों एवं उनके रहवास स्थल आदि के संरक्षण के विशिष्ट उपाय प्रावधानित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित किये गये हैं। अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त परिवारों हेतु वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। चम्बल नदी क्षेत्र में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाकर रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किये जायेंगे।

उक्त कार्ययोजना में प्रशासनिक संरचना का पुर्नगठन करते हुए मैदानी अमले की संख्या बढ़ाये जाने का भी प्रस्ताव है। अपराधों के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त अमले के साथ-साथ वाहन, हाईस्पीड मोटर बोट, ड्रोन, चेकपोस्ट बैरियर्स आदि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जलीय जीवों के घोंसलों के संरक्षण हेतु घोंसलों की मॉनिटरिंग, घोंसला रक्षक (Nest Guardian) के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रमुख घाटों पर वॉच टॉवर का निर्माण प्रस्तावित है। (कलकत्ता)

8. अवैध उत्खनन एवं परिवहन के नियंत्रण:- सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित कर अवैध उत्खनन में लगे बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को पेट्रोल पम्प से डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति प्रतिबंधित की गयी है। प्रभावी ड्रोन सर्विलांस हेतु ड्रोन का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुरैना मुख्यालय के आस पास उपलब्ध अतिरिक्त पुलिस बल का प्रभावी प्रबंधन तथा उपयोग किया जा रहा है। वनोपज चैक नाका में अन्य आधुनिक तकनीकी सुविधाएँ तथा मोबाईल एवं फाइबर कनेक्टिविटी आदि का उपयोग किया जा रहा है।

9 समीक्षा बैठकें आयोजित-- दिनांक 08.02.2023 को मैदानी अधिकारियों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। दिनांक 17.03.2023 कलेक्टर कार्यालय मुरैना में म.प्र. के सभी सीमावर्ती जिलों यथा उत्तर प्रदेश के आगरा एवं राजस्थान के धौलपुर जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी एवं खनिज अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई जिसमें अपराधियों के रिकार्ड की आवश्यकतानुसार अदला-बदली एवं ऐसी समन्वय बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

10. जिला मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड एवं श्योपुर में रेत के उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अंतराज्य समन्वय से जिला प्रशासनों, पुलिस, खनिज एवं वन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

11. जिला मुरैना में 17 नये पुलिस चैक पोस्ट पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं जो कार्यरत हैं एवं साथ ही एक प्राइवेट ठेकेदार को रेत भंडारण का अतिरिक्त लाइसेंस दिया गया है। दो और दिए जा रहे हैं चम्बल नदी पर फ्लैश लाइट, हूटर एवं पी.ए. सिस्टम युक्त 2 मोटर बोटों से संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। बिना नम्बर के ट्रक डम्पर एवं एक्स्केवटर को ईंधन नहीं देने संबंधी निषेधाज्ञा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में जारी की गयी है। अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन में लगे व्यक्तियों के लाइसेंसी हथियार निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

12. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में वैध रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला मुरैना के 02 स्थलों एवं श्योपुर के 01 स्थल पर 207 हेक्टे. क्षेत्र को अभ्यारण्य सीमा से बाहर करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 31.01.2023 को जारी की गयी है एवं इस क्षेत्र में रेत खदान वैधानिक रूप से आवंटित करने की कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा की जा रही है।

13. अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। निरंतर निगरानी हेतु आर.ए.सी. की 14वी. बटालियन नियुक्त की गयी है तथा सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित कर क्षेत्र पर 24 घण्टे निगरानी की जा रही है।

14. शासकीय निर्माण कार्यों में चम्बल नदी की रेत के उपयोग पर प्रतिबंध - शासकीय निर्माण कार्यों में चम्बल नदी की रेत को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में प्रत्येक विभाग के कार्यालय प्रमुख एवं उनके विभागों में हो रहे निर्माण कार्यों के भुगतान के दौरान ठेकेदार यह प्रमाण पत्र देंगे कि निर्माण कार्य में चम्बल नदी की रेत का उपयोग नहीं किया गया है। इस संबंध में मुरैना कलेक्टर द्वारा पूर्व में ही आदेश जारी कर दिया गया है एवं वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

15. अवैध रेत मंडियों पर कार्यवाही - जिले में पुलिस, वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत की मंडियां हटाई गयी हैं एवं यह सुनिश्चित किया गया है कि यह मंडियां वापस स्थापित न हो सके। इस हेतु निरंतर निगरानी की जा रही है।

16. उपरोक्त के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा जलीय जीवों के संरक्षण हेतु प्रति वर्ष उनकी संख्या का आंकलन किया जाता है। विगत वर्षों के आंकलन के परिणाम निम्नानुसार हैं-

जलीय जीवों की सर्वे रिपोर्ट

वर्ष	मगर	घडियाल	डॉल्फिन	कछुये	स्कीमर्स/बर्ड
01	02	03	04	05	06
2019	706	1876	-	4934	329
2020	710	1859	68	7621	512
2021	886	2176	82	7496	577
2022	868	2014	72	7410	517



17. जलीय जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन- राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य अंतर्गत घडियाल के अण्डों का संग्रह कर ईको सेंटर, देवरी पर उनके शावकों का 02 वर्षों तक देख-रेख किया जाता है। तदोपरांत उनको प्राकृतिक रहवास में प्रतिवर्ष छोड़ा जाता है। विगत 04 वर्षों में अण्डा संग्रहण की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	संग्रहण वर्ष	अण्डा संग्रहण स्थल	संग्रहण अण्डा संख्या
1	2019	टिगरी-रिठौरा ,बरौली	200
2	2020	टिगरी-रिठौरा ,बरौली	200
3	2021	बरौली	200
4	2022	टिगरी-रिठौरा ,बरौली, बाबू सिंह का घर	200

18. वर्ष 2019 से 2022 तक घडियाल के शावकों को प्राकृतिक रहवास में विमोचित किये जाने की जानकारी-

क्रमांक	विमोचन वर्ष	बैच	विमोचन शावक संख्या
1	2019	2014,2015,2016,2017	396
2	2020	2018	116
3	2021	2018,2019	90
4	2022	2019, 2020	84
5	2023	2019, 2020	101

19. राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य अंतर्गत विलुप्त प्राय प्रजाति के कछुओं के संरक्षण हेतु निम्न घाटों पर अस्थाई हैचरियों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाकर उनके अण्डों एवं शावकों का संरक्षण किया जाता है। शावकों को प्रतिवर्ष हैचिंग उपरांत तत्समय ही चम्बल नदी के प्राकृतिक रहवास में विमोचित किया जाता है। कछुओं के हैचरियों में एकत्रित अण्डों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	घाटों पर लगाई गई अस्थाई हैचरी में एकत्रित कछुएँ की अण्डों की संख्या				विमोचन
		बरौली (कतरनीपुरा)	बटेश्वरा	उसैद	सॉकरी(कनकपुरा)	
1						
2	2019	1949	624	1282	1079	कछुओं के बच्चों को हैचिंग उपरान्त तत्समय ही उनके प्राकृतिक रहवास चम्बल नदी में विमोचन किया जाता है ।
3	2020	2700	1750	1545	1626	
4	2021	3275	1047	1604	1570	
5	2022	3143	1280	1581	1406	
कुल योग		11067	4701	6012	5681	

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)
 क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2022-23 / 194

मुरैना, दिनांक 17.02.2023

दिनांक 14.02.2023 को कलेक्टर महोदय मुरैना की अध्यक्षता में आयोजित
टास्कफोर्स बैठक का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना (IAS) अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में, चम्बल नदी अभ्यारण्य क्षेत्र राजघाट में दिनांक 14.02.2023 को सांय 04:30 बजे जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी (IPS), वनमण्डलाधिकारी श्री स्वरूप दीक्षित (IFS), अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना, श्री एल0के0 पाण्डेय, अधीक्षक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य (SDOF) श्री भूरा गायकवाड जिला खनिज अधिकारी श्री एस0के0 निर्मल, जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन, जिला परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एजेण्डा :- आज के टास्कफोर्स एजेण्डा की चर्चा करते हुये चम्बल रेत एवं अन्य माफियाओं पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये कहा कि,

- 1- रेत खनिज माफिया-अवैध रेत पर विशेषकर चंबल का प्रतिबंधित रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने बावत् सुनियोजित तरीके से चर्चा कर तैयारी की जावे तथा अधिक से अधिक चम्बल रेत अवैध उत्खनन, परिवहन पर कार्यवाही हो। इसके लिये पुलिस अधीक्षक व वन विभाग को लक्ष्य दिये गये।
 साथ ही वनमण्डलाधिकारी कार्यवाही की जानकारी अपर कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं खनिज विभाग के साथ साक्षा कर पोर्टल पर अपडेट करवाने के लिये देंगे। पुलिस, वन, खनिज, राजस्व विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर रेत पर आगे भी कार्यवाही करेंगे। अवैध रेत परिवहन में संलिप्त वाहन राजसात करने की कार्यवाही करें एवं एफ.आई.आर. दर्ज करावें तथा वन अधिनियम में भी कड़ी कार्यवाही करें।
- 2- नाका :- चंबल नदी से अवैध रेत परिवहन पर रोकथाम किये जाने हेतु नाकों पर स्थापित कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्रभावी कार्यवाही की जावे एवं जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
- 3- रेत से भिन्न अन्य गौण खनिज माफिया-अन्य गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने बावत् सुनियोजित तरीके से चर्चा कर तैयारी की जावे।
- 4- शराब माफिया- अवैध शराब के आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, जमीनी स्तर तक कार्यवाही करें। मिलावटी या जहरीली शराब जिले में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो, इसमें लगातार कार्यवाही की जरूरत है। साथ ही NSA व वाहनों के राजसात की कार्यवाही भी होना चाहिये। आदतन अवैध शराब माफियाओं को विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर मकान तौडने की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।
- 5- जांच नाका- जिला खनिज अधिकारी द्वारा बताया कि, जिले में तीन जांच नाका स्थापित करने हेतु उनके द्वारा संचालक भोमिकी तथा खनिकर्म भोपाल को पत्र लिखा गया है। जल्द ही जांच नाका स्थापित होने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगेगा। इसके लिये ओर प्रयास करने के निर्देश दिये।



- 6- पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बताया कि, जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के विरुद्ध पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा पिछले माह अच्छी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी, जिससे खनिजों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा। आने वाले समय के लिये थानों को लक्ष्य दिये गये हैं, जिससे अच्छी कार्यवाही हो रही है।
- 7- बी.एस.एफ. कंपनी की सहायता से वन विभाग प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 8- जरूरत अनुसार आर.टी.ओ. चेक पोस्ट, वन विभाग चेक पोस्ट टॉल प्लाजा की मदद ली जा सकती है।
- 9- चम्बल नदी जिला श्योपुरकलां, जिला भिण्ड जिले में प्रवाहित है। पूरी चंबल नदी क्षेत्र राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य घोषित है। इसके वन विभाग मुरैना, श्योपुरकलां एवं भिण्ड से संपर्क कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
- 10- चंबल नदी से रेत परिवहन कर ग्वालियर व अन्य जिलों में जाती है, इसको रोकने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं आयुक्त महोदय ग्वालियर चंबल संभाग से अनुरोध कर ग्वालियर, भिंड, मुरैना व श्योपुरकलां की एक बैठक लेकर प्रभावी कार्यवाही में सहयोग हेतु अनुरोध करेंगे।
- 11- चम्बल नदी, राजस्थान के धौलपुर तथा उत्तरप्रदेश के आगरा जिले की सीमा से होकर निकलती है। पुलिस प्रशासन धौलपुर तथा आगरा से संपर्क कर प्रभावी कार्यवाही का प्लान करेंगे।
- 12- खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर परिवहन नंबर (आर.टी.ओ. नंबर) होना अनिवार्य है। यह जिला परिवहन अधिकारी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
- 13- रेत परिवहन करने वाले जिन वाहनों पर आर.टी.ओ. नंबर नहीं है। उन वाहनों को पेट्रोल पंपों से डीजल (फ्यूल) नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था लागू करना है। यह कार्यवाही जिला खाद्य अधिकारी करना सुनिश्चित करें ऐसे निर्देश दिये हैं।
- 14- अवैध खनिज परिवहन, उत्खनन, भंडारण के सभी प्रकरणों में पुलिस एफ.आई.आर. करें। वन विभाग से संबंधित प्रकरण है तो वन विभाग पी.आर. काटे व वन अधिनियमों में नियमानुसार कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 15- खनिज परिवहन करने वाले वाहनों से साउण्ड सिस्टम, डेक हटवाने की कार्यवाही ट्राफिक पुलिस द्वारा की जानी है।
- 16- चम्बल नदी से आने वाले रेत को रोकने के लिये चंबल नदी के रास्तों पर बड़ी बड़ी नालियां खुदवाना है, जिससे कि वाहनों की आवाजाही रुक सके। इससे अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर अंकुश लगेगा।
- 17- पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये आदतन अपराधियों के विरुद्ध एफ.आई. आर. दर्ज कर, आवश्यक होने पर रासुका की कार्यवाही के साथ, नियमानुसार मकान तौडने की कार्यवाही की कार्यवाही की जावे।
- 18- वनमण्डलाधिकारी मुरैना द्वारा एस.ए.एफ. एवं वन विभाग की टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी देते हुये आगामी दिवसों में ओर अधिक से अधिक संयुक्त कार्यवाही की जावे। इसप्रकार कार्ययोजना बनायी जावे।
- 19- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सभी को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि, चम्बल नदी से संबंधित प्रकरण एन.जी.टी. में प्रचलित हैं। की गई प्रभावी कार्यवाही की जानकारी समय सीमा में (वन, पुलिस एवं खनिज) संयुक्त जानकारी तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।
- 20- मुरैना जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि, उनके क्षेत्रों में हो रही खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कड़ी नजर रखे तथा कार्यवाही करें।

नोट:- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देश दिये कि, माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये स्पष्ट निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही प्रत्येक क्षेत्र में की जावे। कार्यवाही करते समय आमजनो एवं अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जावे एवं की गई कार्यवाही की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर समय सीमा में करना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा चम्बल नदी, अभ्यारण्य क्षेत्र, राजघाट में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही होगी।



कलेक्टर
जिला मुरैना (म.प्र.)

मुरैना, दिनांक .02.2023

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2022-23

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना/अधीक्षक रा.च.अ. देवरी की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अपर कलेक्टर/अति.पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह/मुरैना/जौरा/सबलगढ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. तहसीलदार अम्बाह/पोरसा/मुरैना/बामोर/जौरा/सबलगढ/पहाडगढ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. खनि अधिकारी/आबकारी अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/खाघ अधिकारी जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु।


कलेक्टर
जिला मुरैना (म.प्र.)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुरैना(म0प्र0)**दूरभाष : (कार्या.) 07532-223500, (नि.) : 223400, (फैक्स) : 226500, ई-मेल : dmmorena@nic.in, deomorena@gmail.com

कमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / का0व्य0 / 2023 / 188

मुरैना, दिनांक 24.02.2023

-:: प्रतिबंधात्मक आदेश ::-

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि जिला मुरैना अंतर्गत पेट्रोल पम्पों द्वारा बिना पंजीयन कमांक के वाहनों (जैसे-कार, मोटरसाईकल, ट्रैक्टर, डम्पर आदि) को पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. गैस प्रदाय की जा रही है, जिससे कई बार दुर्घटना होने पर वाहन की पहचान किया जाना संभव नहीं हो पाता है एवं बिना नंबर के वाहन से कभी भी आपराधिक घटना की जा सकती है, बिना नंबर प्लेट के वाहन होने के कारण उन्हें चिन्हित करने में भी कठनाई होती है, जिस कारण समय-समय पर आमजन में रोड़ व्याप्त हो कर कानून व्यवस्था के प्रतिकूल व्यवस्थाएँ निर्मित होती है। अतः मुरैना जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 के प्रावधान लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है।

उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है, चूंकि ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिः सूचना देना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

अतः मैं अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला मुरैना क्षेत्रांतर्गत बिना पंजीयन कमांक के वाहनो को पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. गैस देना प्रतिबंधित करता हूँ।

उक्त आदेश के उल्लंघन करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाई की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी वन, समस्त वन क्षेत्रपाल अधिकारी एवं जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना को अधिकृत किया जाता है।

इस आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्र में सर्वसाधारण को दी जावे एवं आदेश की एक प्रति इस कार्यालय के सूचना पटल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसील कार्यालय/नगर निगम एवं कोतवाली पुलिस थाने के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा की जावे। आदेश की प्रति शहर के प्रमुख सहज दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा की जावे एवं दैनिक समाचार-पत्रों में भी इसका प्रकलन समाचार के रूप में किया जावे।



यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक २५.०५.२३ तक प्रभावशील रहेगा।
उक्त आदेश आज दिनांक २५.०२.२०२३ मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से
पारित किया गया।

(अंकित/अस्थाना)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला मुरैना (म०प्र०)
मुरैना, दिनांक २५.०२.२०२३

पृ.कमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./का०व्य०/२०२३/१४४
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन ग्रह विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, चम्बल संभाग, की ओर सूचनार्थ
4. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना।
6. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना।
7. आयुक्त, नगरपालिक निगम/पी.ओ.डूडा मुरैना।
8. एस.डी.एम., अम्बाह/मुरैना/जौरा/सबलगढ़ की ओर उक्तानुसार अपने-अपने
अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत करने हेतु पालनार्थ।
9. समस्त एस०डी०ओ० पुलिस..... जिला मुरैना।
10. समस्त तहसीलदार, तहसील.....जिला मुरैना।
11. जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला मुरैना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि
उक्त आदेश की समस्त प्रेट्रोल पम्प संचालकों को तामीली कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त थाना प्रभारी, थाना.....जिला मुरैना।
13. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
14.



जिला दण्डाधिकारी,
जिला मुरैना (म०प्र०)

जिला दण्डाधिकारी
जिला-मुरैना (म०प्र०)

// कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना, म0प्र0 //

769

ईमेल sp_morena@mppolice.gov.in, फोन/फैक्स नं. 07532-232200

// आदेश //

ANNEXURE R-7

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(प्रिंसीपल बैंच) में प्रचलित ओ.ए. क्रमांक 248/2022 (न्यूज पेपर आइटम) में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के तारतम्य में चंबल नदी से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु जिला मुरैना में अस्थायी नाका प्वाइंट स्थापित किये गये हैं, जो निम्नानुसार है:-

क्र	थाना	स्थान अस्थायी नाका
01	सरायछौला	अल्लाबेली चौकी
02	सिविल लाइन	अजीत पुरा की पुलिया
03	सिटी कोतवाली	के.एस. चौराहा नैनागढ रोड
04	बामौर	शनिचरा मंदिर गेट
05	पोरसा	अटेर रोड पोरसा
06	अम्बाह	बीलपुर कुथियाना रोड
07	दिमनी	बरेथा की पुलिया
08	नगरा	ग्राम औरेढी आसमानी माता मंदिर के पास
09	सबलगढ	ग्राम अलीपुरा
10	रामपुर	हनुमान मंदिर घाटी
11	देवगढ	ग्राम नंदपुरा
12	बागचीनी	बारहद्वारी की पुलिया
13	चिन्नौनी	ग्राम ब्रजगढी
14	टेंटरा	अटार घाट
15	जौरा	रुनीपुर रोड
16	कैलारस	सेमई की पुलिया
17	महुआ	गुढा की पुलिया

उपरोक्त अस्थायी नाका प्वाइंट प्रतिदिन प्रातः 04:00 से 08 बजे तक तथा शाम 05:00 से 08:00 बजे तक चैकिंग की कार्यवाही किया जा सुनिश्चित करेंगे साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रतिदिन चैकिंग के समय संबंधित प्वाइंट पर कम से कम 05 अधिकारी/कर्मचारी सशस्त्र तैनात रहेंगे।

(आशुतोष बागरी)
पुलिस अधीक्षक,
जिला मुरैना

दिनांक:- 13/02/2023

क0-पुअ/मुरैना/स्टेनो/वि/(3)/54/23
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला मुरैना की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।
2. अति. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. रक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त थाना प्रभारीगण जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस अधीक्षक,
जिला मुरैना

दिनांक 07.03.2023 को कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय मुरैना की अध्यक्षता में आयोजित टास्कफोर्स समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर श्री जीकेत अरुणाना(IAS) की अध्यक्षता में चम्बल नदी अभ्यारण्य क्षेत्र राजघाट में दिनांक 07.03.2023 को दोपहर 03:00 बजे जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बामरी(IAS), वनमण्डलाधिकारी श्री स्वल्प दीक्षित (IFS), जिला स्वनि अधिकारी श्री एशोक कुमार गिरी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एजेण्डा:- टास्कफोर्स एजेण्डा की चर्चा करते हुए चम्बल रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि,

- 1- चम्बल नदी क्षेत्र से अवैध उत्खनन, परिवहन पर निगरानी रखने के लिये कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी की उपस्थिति में करने हेतु तब विभाग के जोन को तय कर निगरानी करने की कार्यवाही पारण की गई।
- 2- जोन के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी मुरैना प्रतिदिन चम्बल नदी के घाटों पर अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन पर निगरानी करेंगे। यह निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक मुरैना की उपस्थिति में वनमण्डलाधिकारी को दिये गये।
- 3- चम्बल नदी के राजघाट क्षेत्र में चौलीवाल खेल मैदान बनाकर प्रति शनिवार एवं रविवार खेल प्रारंभ किया गया, जिससे लोगों का जमावला होगा और रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 4- मुरैना जिले में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में 17 लोक पॉइन्ट अस्थाई रूप से लगाये हैं जिसका पिक समय सुबह 4 से 8 तथा शाम के समय 5 से 8 तक काम करना शुरू कर दिया है, जिससे रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगा है। यह कार्यवाही जारी रहेगी।
- 5- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया कि, जिले में दो जांच नाका(लोक पॉइन्ट) अल्लाबैली चौक एवं बागोर पर स्थापित करने हेतु सनके द्वारा संबालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल को पत्र लिखा गया है। जल्द ही जांच नाका स्थापित होने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 6- पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बताया कि, जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के विरुद्ध पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा पिछले माह अठ्ठी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी, जिससे खनिजों के अवैध कमरेबार पर अंकुश लगेगा।
- 7- कलेक्टर महोदय द्वारा सभी को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि, चम्बल नदी से संबंधित प्रकरण एन.जी.टी. में प्रचलित हैं। अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी संयुक्त कार्यवाही की जानकारी समय सीमा में भेजे जाने हेतु वनमण्डलाधिकारी मुरैना को नोअल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये कि, मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये स्पष्ट निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही प्रत्येक क्षेत्र में की जावे एवं कार्यवाही की एंटी ऑनलाइन पोर्टल पर समय सीमा में करना सुनिश्चित करें।

अंत में कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा चम्बल नदी, अभ्यारण्य क्षेत्र, राजघाट में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही होगी।

(श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 जिला स्वनि अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला मुरैना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/खनिज/टारक./2022-23/312

मुरैना,दिनांक 14.03.2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टारकफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. स्टेनो टू कलेक्टर, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, गोलीगाइल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना/अधीक्षक रा.च.अ. देवरी की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अपर कलेक्टर/अति.पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह/मुरैना/जौरा/सबलगढ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. तहसीलदार अम्बाह/पोरसा/मुरैना/बामोर/जौरा/सबलगढ/पहाडगढ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. खनि निरीक्षक, जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु।


जिला खनि अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला मुरैना (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक / खनिज / रा.क्ली. / 2022-23 / 312-

मुरैना, दिनांक 14-03-2023

प्रति,

- 1- मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लि, ऑफिसर कॉलोनी, ए-1 शिवपुरी रोड झांसी (उ०प्र०)
- 2- उपमहाप्रबंधक (शिवािल), म०प्र० मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मोतीडील, ग्वालियर ।
- 3- मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना ।
- 4- आयुक्त, नगरनिगम, मुरैना ।
- 5- उपमुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर ।
- 6- संभागीय परियोजना यंत्री (पा.) लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, संभाग, मुरैना ।
- 7- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मुरैना ।
- 8- कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुरैना ।
- 9- कार्यपालनय यंत्री, म०प्र० विद्युत मंडल मुरैना/अम्बाह/पोरसा/जौरा/कैलारस/सबलगढ ।
- 10- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन उप संभाग, मुरैना/अम्बाह/पोरसा/जौरा/कैलारस/सबलगढ ।
- 11- कार्यपालन यंत्री, म०प्र० गृह निर्माण मण्डल, मुरैना ।
- 12- परियोजना प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण एन.एच.3 मुरैना ।
- 13- महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना क्रियान्वयन इकाई -1 व 2 मुरैना ।
- 14- महाप्रबंधक, म०प्र० ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई -1 मुरैना ।
- 15- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तहसील मुरैना/अम्बाह/पोरसा/जौरा/कैलारस/सबलगढ ।
- 16- मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुरैना/अम्बाह/पोरसा/जौरा/कैलारस/सबलगढ ।
- 17- सचिव, कृषि उपज मंडी, मुरैना/अम्बाह/पोरसा/बामोर/जौरा/कैलारस/सबलगढ ।
- 18-

विषय:-

शासकीय निर्माण कार्यों में चंबल नदी के प्रतिबंधित रेत का उपयोग नहीं करने एवं इस आशय के संबंध में प्रमाणीकरण बावत् ।

संदर्भ:-

माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसीपल बैंच नर्द दिल्ली में प्रचलित O.A. No. 248/22 (News item published in the hindu dated 27.03.2022 titled "Digging up The Chambal") में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के पालन में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में आपको सूचित किया जाता है कि, चंबल नदी का रेत पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। चंबल नदी के प्रतिबंधित रेत का उपयोग शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने पर नियमानुसार कठोरात्मक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। संबंधित ठेकेदार एवं निर्माणकार्य एजेंसियों द्वारा चंबल नदी का रेत का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है इस आशय का प्रमाणीकरण आपको दिया जाना है। यह प्रमाणीकरण प्रत्येक बिल भुगतान के समय एम०बी० (मैजरमेंट बुक) के हिसाब से देना होगा।

अतः आप सुनिश्चित होवें कि, शासकीय ठेकेदारों द्वारा जो शासकीय कार्य किये जा रहे हैं, उसमें चंबल नदी का प्रतिबंधित रेत का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। आपके विभाग से स्वीकृत शासकीय निर्माण कार्य में चंबल नदी के प्रतिबंधित रेत का उपयोग नहीं किया गया, इस आशय का प्रमाणीकरण देना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर,

जिला मुरैना (म०प्र०)

मुरैना, दिनांक

पृ.क्रमांक / खनिज / रा.क्ली. / 2022-23

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु ।
5. खनि निरीक्षक जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर,

जिला मुरैना (म०प्र०)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-मुरैना (म0प्र0)

कं0/पुअ/मुरैना/आर्म्स/निरस्त/ 04 /2023
प्रति,

दिनांक 17/03/2023

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला मुरैना म0प्र0

विषय :- अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में लिप्त आरोपियों के नाम जारी शस्त्र लायसेंसों को निरस्त करने बावत्।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुरैना जिले में वर्तमान में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिले के विभिन्न थानों में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में लिप्त आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किये जाकर अवैध उत्खनन में लिप्त वाहन जप्त किये गये हैं। जिले के विभिन्न थानों में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में लिप्त निम्नलिखित आरोपियों एवं परिवार के सदस्यों के नाम से शस्त्र लायसेंस हैं तथा वर्तमान में जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं, उक्त शस्त्र लायसेंसधारी अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के दौरान कभी भी अपने लायसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग कर सकते हैं।

अतः निम्नलिखित शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निरस्त करने का कष्ट करें ताकि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

स0क0	लायसेंसधारी का नाम पता	लायसेंस0क0	थाना	अप0क0	धारा
01	निरंजन सिंह पुत्र रामाधार सिंह गुर्जर नि0 जरेरुआ, थाना नूराबाद	72/2008 एमएम	बामौर	64/23	379,414 ताहि
02	रामभरोसी पुत्र भोलाराम नि0 गुजरना थाना चिन्नोनी	93/83 जेएम	चिन्नोनी	17/23	379,414 ताहि
03	भवंरसिंह पुत्र देवीसिंह गुर्जर निवासी भानपुर	161/82 एमएम	सरायछोला	26/23	379,414 ताहि
04	श्यामलाल पुत्र बालमुकुन्द नि0 मुकुन्दीपुरा पचेखा थाना कैलारस	51/83 एसएम	रामपुर	61/22	379,414 ताहि

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना

प्रतिलिपि :-

1. थाना प्रभारी बामौर/नूराबाद/चिन्नोनी/सरायछोला/रामपुर/कैलारस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बामौर/कैलारस/मुरैना/सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना

0/0



कार्यालय आयुक्त, चंबल संभाग (म.प्र.)

प्रथम तल, चम्बल भवन, ए.बी.रोड मुरैना

दूरभाष:- (कार्या.) 07532-232900, (नि.) 07532-232660, फैक्स-233970 E-mail:- commchambal@nic.in


क्रमांक/बैठक/2023/टास्क फोर्स/ 1300

मुरैना, दिनांक 20/03/2023

:-कार्यवाही विवरण:-

एन.जी.टी. के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2023 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के पालन में आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय "टास्क फोर्स" की बैठक दिनांक 14.03.2023 को अपरान्ह 04:30 बजे कार्यालयीन सभागार, चंबल संभाग मुरैना में आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे:-

- 1 श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, अति.महानिदेशक, पुलिस चंबल रेंज।
- 2 मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर (online v.c. के माध्यम से)।
- 3 श्री अंकित अस्थाना, कलेक्टर मुरैना।
- 4 डॉ. सतीश एस. कलेक्टर भिण्ड (online v.c. के माध्यम से)।
- 5 श्री शुभम वर्मा कलेक्टर श्योपुर (online v.c. के माध्यम से)।
- 6 श्री आशुतोष बागरी, पुलिस अधीक्षक मुरैना।
- 7 श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक भिण्ड (online v.c. के माध्यम से)।
- 8 श्री आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक, श्योपुर (online v.c. के माध्यम से)।
- 9 श्री स्वरूप दीक्षित, वनमण्डला अधिकारी, मुरैना।
- 10 वनमण्डला अधिकारी, भिण्ड/श्योपुर (online v.c. के माध्यम से)।
- 11 श्री राजेंद्र सिंह, संयुक्त आयुक्त(विकास) चंबल संभाग मुरैना।
- 12 श्री अशोक निम, उपसंचालक(पंचायत राज) चंबल संभाग मुरैना।
- 13 जिला खनिज अधिकारी, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर।



बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी एवं वनमण्डला अधिकारी से संबंधित विषयों की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

- जिलों में पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित हों। जिसमें पर्यटन, शहद, मसाल सिलाई, दूध सकिल, चिलिंग प्लांट आदि क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार दिये जा सके इस हेतु प्रबंधक, आजीविका मिशन

के साथ संयुक्त बैठक कर प्लान तैयार किया जाये। (कार्यवाही:- कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)

- निर्देश दिये गये कि जिलों में दीर्घ एवं अल्प अवधि हेतु रूपरेखा तैयार कर इंसेटिव राशि का प्रावधान किया जावे जिससे पुलिस विभाग में उत्साहवर्धन किया जा सके।
- वैध खदानों जिसमें रेत के भण्डारण को शामिल करते हुए भण्डारण की कार्यवाही जिला स्तर पर की जाये एवं भण्डारण दीर्घावधि(01-02 वर्ष) के लिये हों जिससे जिलों में हो रहे बड़े स्तर के शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों हेतु रेत आसानी से उपलब्ध हो सके।

(कार्यवाही:- जिला खनिज अधिकारी)

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े स्तर के निर्माण स्थलों (शासकीय एवं निजी) में वैध खदानों से प्राप्त रेत का ही प्रयोग हो ऐसे प्रयास किये जायें।(कार्यवाही:- जिला खनिज अधिकारी)

- अवैध रेत के विक्रय पर रोक लगाई जाए। आवश्यकता पडने पर नजदीकी जिलों में जहां लीज पर खदानें आवंटित कर दी गयी हो, वहां से रेत प्राप्त कर भण्डारण कर विक्रय की कार्यवाही करें ताकि राजस्व भी जमा हो सके और निर्माण कार्य करने वालों को भी रेत आसानी से उपलब्ध हो सके। खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लीज पर दी गई खदानों से रेत भण्डारण करार कर विक्रय करायें। जिससे बड़े निर्माण कार्यों हेतु रेत आसानी से उपलब्ध हो सके।(कार्यवाही:- कलेक्टर/ वन विभाग/ खनिज विभाग)

- वन विभाग जब्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही 01 महीने की अवधि में पूर्ण होकर आदेश किया जावे, यदि राजसात की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है तो न्यायालयीन कार्यवाही समय-सीमा में की जायें। राजसात की कार्यवाही अंतर्गत जब्त वाहनों के नीलामी की कार्यवाही कर दूसरे विभागों को विभिन्न प्रयोग हेतु सौंपे जायें।(कार्यवाही:- कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक वनमण्डला अधिकारी, खनिज अधिकारी)

- राजस्थान राज्य के जिन जिलों की सीमा श्योपुर, मुरैना जिलों से लगती है उन जिलों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जावे। जिसमें राजस्व, पुलिस, वनविभाग के विषय सम्मिलित हों। (कार्यवाही:- कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, श्योपुर)

- वन विभाग देखे कि जब्त वाहनों के संबंध में प्रकरण कितनी अवधि से लंबित हैं जिनमें राजसात की कार्यवाही की जाना है एवं कार्यवाही कितनी अवधि में हो रही है उन सभी लंबित प्रकरणों में तत्काल राजसात आदि की कार्यवाही कर आदेश पारित हों। (कार्यवाही:- वनमण्डला अधिकारी)

- जिलों में प्रमुख जगहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं आवश्यक होने पर हिडन कैमरे भी लगाये जायें जिससे प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर तत्काल कार्यवाही हो सके एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो।(कार्यवाही:- कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक)


- पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि पुलिस, राजस्व और वन विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाकर प्रसारण के लिए जनसम्पर्क विभाग का सहयोग लिया जावे। (कार्यवाही:- उपसंचालक, जनसम्पर्क विभाग)
 - आयुक्त चंबल संभाग द्वारा निर्देश दिये कि बिना नम्बर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर नम्बर प्लेट लगाई जाये खाली ट्रैक्टर को पकडकर पेंट कराया जाये, वहीं उस पेंट का भुगतान भी उसी संबंधित फर्म के करा दिया जाए इस प्रकार की मुहिम संभाग अंतर्गत जिलों में किए जावें एवं कार्यवाही सकारात्मक सुझाव/संदेश के साथ पूर्ण हो। (कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक)
 - विभागांतर्गत दर्ज प्रकरणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
 - मान. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06/02/2023 को आयोजित N.G.T. की वी.सी. में बैठक में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
 - अवैध गतिविधियों के विरुद्ध की कार्यवाही का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रमुखता से किया जाये। (कार्यवाही:- उपसंचालक, जनसम्पर्क विभाग)
- बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


 संयुक्त आयुक्त (विकास)
 चंबल संभाग, मुरैना (म.प्र.)
 मुरैना, दिनांक 20 /03/2023

पृ. क्रमांक/बैठक/2023/टास्क फोर्स/ 1300 A

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अति. महानिदेशक पुलिस चंबल रेंज, मुरैना।
2. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर।
3. कलेक्टर, जिला मुरैना/भिण्ड/शयोपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना/भिण्ड/शयोपुर।
5. जिला वनमण्डला अधिकारी भिण्ड/मुरैना/शयोपुर।
6. जिला खनिज अधिकारी, शयोपुर/भिण्ड/मुरैना
7. उप संचालक, जिला जनसम्पर्क अधिकारी जन सम्पर्क विभाग भिण्ड/मुरैना/शयोपुर।
8. स्टेनो टू कमिश्नर, चंबल संभाग मुरैना।


 संयुक्त आयुक्त (विकास)
 चंबल संभाग, मुरैना (म.प्र.)

- पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि पुलिस, राजस्व और वन विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाकर प्रसारण के लिए जनसम्पर्क विभाग का सहयोग लिया जावे। (कार्यवाही:- उपसंचालक, जनसम्पर्क विभाग)
 - आयुक्त चंबल संभाग द्वारा निर्देश दिये कि बिना नम्बर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर नम्बर प्लेट लगाई जाये खाली ट्रैक्टर को पकड़कर पेंट कराया जाये, वहीं उस पेंट का भुगतान भी उसी संबंधित फर्म के करा दिया जाए इस प्रकार की मुहिम संभाग अंतर्गत जिलों में किए जावें एवं कार्यवाही सकारात्मक सुझाव/संदेश के साथ पूर्ण हो। (कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक)
 - विभागांतर्गत दर्ज प्रकरणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
 - मान. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06/02/2023 को आयोजित N.G.T. की वी.सी. में बैठक में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
 - अवैध गतिविधियों के विरुद्ध की कार्यवाही का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रमुखता से किया जाये। (कार्यवाही:- उपसंचालक, जनसम्पर्क विभाग)
- बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


संयुक्त आयुक्त (विकास)

चंबल संभाग, मुरैना (म.प्र.)

मुरैना, दिनांक 20/03/2023

पृ. क्रमांक/बैठक/2023/टास्क फोर्स/ 1300 A

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अति. महानिदेशक पुलिस चंबल रेंज, मुरैना।
2. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर।
3. कलेक्टर, जिला मुरैना/भिण्ड/शयोपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना/भिण्ड/शयोपुर।
5. जिला वनमण्डला अधिकारी भिण्ड/मुरैना/शयोपुर।
6. जिला खनिज अधिकारी, शयोपुर/भिण्ड/मुरैना
7. उप संचालक, जिला जनसम्पर्क अधिकारी जन सम्पर्क विभाग भिण्ड/मुरैना/शयोपुर।
8. स्टेनो टू कमिश्नर, चंबल संभाग मुरैना।


संयुक्त आयुक्त (विकास)

चंबल संभाग, मुरैना (म.प्र.)


// कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0) //

कं0/पुअ/मुरैना/स्टेनो-2/मि.से/25/23

दिनांक:- 23/03/2023

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ।
2. न.पु.अ/उ.पु.अ.(अजाक)/समस्त एसडीओ(पी) जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त थाना प्रभारी जिला मुरैना की ओर पालनार्थ हेतु।


पुलिस अधीक्षक,
जिला मुरैना

अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक
दिनांक 17.03.2023 समय सांय 05.00 बजे
स्थान: देवरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस,
जिला मुरैना (म0प्र0), जिला धौलपुर (राज0), जिला आगरा (उ0प्र0)

कार्यवाही विवरण

चंबल नदी अभ्यारण्य क्षेत्र देवरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में दिनांक 17.03.2023 को सांय 05.00 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें

- (1)- कलेक्टर मुरैना (म0प्र0) श्री अंकित अस्थाना (IAS),
- (2)- कलेक्टर धौलपुर (राज0) श्री अनिल के0 अग्रवाल (IAS),
- (3)- कलेक्टर आगरा (उ0प्र0) श्री नवनीत सिंह चहल (IAS),
- (4)- पुलिस अधीक्षक मुरैना (म0प्र0) श्री आशुतोष बागरी (IPS),
- (5)- पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0) श्री मनोज कुमार (IPS),
- (6)- डी.सी.पी. आगरा (उ0प्र0) श्री सोहन कुमार (IPS),
- (7)- वनमण्डलाधिकारी मुरैना श्री स्वरूप दीक्षित (IFS),
- (8)- वनमण्डलाधिकारी धौलपुर श्री किशोर गुप्ता (IFS),
- (9)- वनमण्डलाधिकारी आगरा श्री अनिल कुमार यादव (IFS),
- (10)- डी.एफ.ओ. एन.सी.एस (राज0) श्री अनिल कुमार यादव,
- (11)- डी.टी.ओ धौलपुर (राज0) श्री विजय कुमार मीना,
- (12)- एम.ई. धौलपुर (राज0) श्री मुकेश मंगल,
- (13)- अधीक्षक रा0च0अ0 देवरी मुरैना श्री भूरा गायकवाडा,
- (14)- क्षेत्रीय वन अधिकारी राष्ट्रीय चंबल रेंज (आगरा) श्री रामकिशन सिंह,
- (15)- ए.डी.एम. सिटी आगरा, श्री ए0के0 सिंह,
- (16)- ए.आर.टी.ओ. इस्ट आगरा, श्री ललित कुमार,
- (17)- पी.टी.ओ. आगरा श्री डी0के0 सिंह,
- (18)- ज्येष्ठ खनन अधिकारी, श्री आर.बी. सिंह
- (19)- खनि अधिकारी मुरैना श्री एस0के0 निर्मल,
- (20)- जिला परिवहन अधिकारी मुरैना श्री अर्चना परिहार,
- (21)- जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर व जिला परिवहन अधिकारी आगरा,
- (22)- जनसंपर्क अधिकारी मुरैना एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निम्नानुसार बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि,

I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट लगाये।

II-जिला धौलपुर सागरपाडा चोकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट लगेगा।

III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगेगा।

इस चेक पोस्ट पर कम से कम 25 का पुलिस फोर्स रहेगा, जिसमें से 10 के बल के पास हथियार रहेंगे।

2- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-

तीनों जिले अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर करेंगे, जिससे कि अवैध रेत कारोबार, अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की धर पकड़ में सहायता मिलेगी। यह निर्णय तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

3- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-

अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही तीनों जिलों में होगी, अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों का डाटा शेयर कर यह कार्यवाही की जावेगी।

4- पट्टों का निरस्त किया जाना:-

चम्बल नदी व आसपास के क्षेत्रों में जिन निजी भूमि स्वामियों के जमीन पर अवैध रेत भंडारण, उत्खनन किया जाना पाया जावेगा, उनके पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

5- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन किया जाना पाया जावेगा उन पर एफ.आई.आर. की जावेगी। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं उन पर भी एफ.आई.आर.की जावेगी।

6- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जावेगी। यह सभी तीनों जिलों में होगी।

7- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

8- प्रतिमाह बैठक:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, यह अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। अगली बैठक जिला धौलपुर में किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।

- 9- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जावेगी। जरूरत पडने पर तीनों जिले वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद लेंगे।
- 10- ड्रोन से निगरानी:-
चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जावेगी, इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। यह जानकारी आपस में तीनों जिले शेयर करेंगे। एन.जी.टी. प्रकरण में जानकारी तैयार कर जबाब प्रस्तुत करेंगे।
- 11- आर.टी.ओ. नंबर :-
सभी वाहनों पर आर.टी.ओ. नंबर लिखा होना अनिवार्य है, जिन वाहनों पर आ.टी.ओ. नंबर नहीं है, उन पर तीनों जिले अभियान चलाकर आर.टी.ओ. नंबर लिखायेंगे। ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही तीनों जिलों के आर.टी.ओ. टीम बनाकर करेंगे।
- 12- वाट्सअप ग्रुप :-
तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी के वाट्सअप ग्रुप तैयार कर जानकारी, डाटा शेयर कर सकेंगे। यह ग्रुप तत्काल बनाकर एक्टिव किया गया।
अंत में चम्बल नदी, अभ्यारण्य क्षेत्र, राजघाट में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही होगी।


पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

Date - 19/03/2023,

- 9- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जावेगी। जरूरत पडने पर तीनों जिले वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद लेंगे।
- 10- ड्रोन से निगरानी:-
चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जावेगी, इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। यह जानकारी आपस में तीनों जिले शेयर करेंगे। एन.जी.टी. प्रकरण में जानकारी तैयार कर जबाब प्रस्तुत करेंगे।
- 11- आर.टी.ओ. नंबर :-
सभी वाहनों पर आर.टी.ओ. नंबर लिखा होना अनिवार्य है, जिन वाहनों पर आ.टी.ओ. नंबर नहीं है, उन पर तीनों जिले अभियान चलाकर आर.टी.ओ. नंबर लिखायेंगे। ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही तीनों जिलों के आर.टी.ओ. टीम बनाकर करेंगे।
- 12- वाट्सअप ग्रुप :-
तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी के वाट्सअप ग्रुप तैयार कर जानकारी, डाटा शेयर कर सकेंगे। यह ग्रुप तत्काल बनाकर एक्टिव किया गया।
अंत में चम्बल नदी, अभ्यारण्य क्षेत्र, राजघाट में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही होगी।


पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

Date - 19/03/2023,


// कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0) //

कं0/पुअ/मुरैना/स्टेनो-2/मि.से/28/23

दिनांक:- 23/03/2023

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
2. न.पु.अ/उ.पु.अ.(अजाक)/समस्त एसडीओ(पी) जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त थाना प्रभारी जिला मुरैना की ओर पालनार्थ हेतु।


पुलिस अधीक्षक,
जिला मुरैना

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 34/PSMRD/एनजीटी/248-2022/2023
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/03/2023.

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के संबंध में।

विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के पालन में खनिज साधन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट का विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Mubinkr
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,
खनिज साधन विभाग

MSI/PLB
[Signature]

ACTION TAKEN REPORT BY MINING DEPARTMENT

**(In compliance with the order dated 06-02-2023 in O.A. No. 248 of 2022
passed by the Principal Bench of NGT)**

To curb illegal mining, transportation, and storage of sand in the National Chambal Sanctuary region, the Govt. of Madhya Pradesh has taken following actions-

1. The district administration has taken strict action against illegal sand mining and transportation in all three districts. The details of the First Information Report lodged and penalties recovered by the mining department in illegal sand mining and transportation are as follows-

Details of Cases Registered in Illegal Mining/ Transportation in Fin Year-2022-23

S.No.	District	No. of Cases Registered		FIR Lodged	Penalty Recovered (In Lakh Rs.)
		Illegal Mining	Illegal Transportation		
1.	Morena	25	186	92	25.28
2.	Bhind	10	262	2	32.00
3.	Shepour	5	47	25	15.93

2. Collector Morena, vide order 24-02-2023, has issued prohibitory order under section 144 of Cr. P.C. 1973 for not providing Fuel / CNG to vehicles without number plates.
3. To improve sand availability in Morena and Sheopur, commercial licenses to store and sell sand are being given to contractors. One sand storage license (sand to be procured from legal mines) has been issued, and five more are under process.

4. Department of Mineral Resources has planned to establish an Artificial Intelligence-based Smart System of check gates for electronic surveillance and monitoring of vehicles carrying minerals. The check gates would be installed on routes with high transportation of minerals. In the first phase, electronic check gates would be established in the districts of Chambal region viz. Bhind, Morena and Sheopur. A State-level command and control center would also be set up in Bhopal, and District-level Command and Control Centers would be established in all districts.
5. Govt. of Madhya Pradesh vide notification dated 31.1.2023 has de-notified 207.05 hectares of National Chambal sanctuary. This would help in ensuring the availability of sand for the local need from legally approved mines. Out of this de-notified area, 197.56 Hectares fall in District Morena and 9.48 Hectares in District Sheopur. The District Survey Report has already been approved on 27.3.2023. The Madhya Pradesh State Mining Corporation shall float the tenders by 31st march 2023 to engage contractors in both districts. These mines would become operational by 30th November 2023. The details of the quarries are as follows -

District- Morena

S.No.	Tehsil	Village	Area (In Ha.)	Name of Quarry
1.	Joura	Khandoli	108.35	Barwasin (Total Area-118.66 Ha.)
	Morena	Kenthri	10.31	
2.	Morena	Bhanpur	25.18	Rajghat (Total Area-78.90 Ha.)
	Morena	Piprai	53.72	

District- Sheopur

S.No.	Tehsil	Village	Area (In Ha.)	Name of Quarry
1.	Baroda	Kuhajapur	2.403	Kuhajapur- Barodia Ghat (Total Area-78.90 Ha.)
2.		Barodia Ghat	7.086	

6. District administration has set up Seventeen temporary checkpoints to keep a vigil over the illegal mining activities in the region. Check posts have been so planned that transportation towards Gwalior and Dhaulpur sides could be curbed.
7. Regular patrolling has been started in the Chambal River with the help of two motor boats manned by Armed Forest Guards.

100 ट्रॉली रेत नष्ट कराया, अवैध रेत परिवहन पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे पुलिस के 100 जवान

राजघाट व अल्लाबेली चौकी पर तैनात रहेंगे 50-50 पुलिस जवान

भारकर संवाददाता | मुंबई



रेत नष्ट कराने की कार्रवाई की मॉनीटरिंग करते क्लेक्टर व एसपी।

चंबल रेत के अवैध उखनन पर अंभुशा लगाने के लिए मंगलवार से राजघाट व अल्लाबेली पुलिस चौकी पर आर्म्ड फोर्स के 50-50 जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। पुलिस की मौजूदगी के कारण अब जैतपुर घाट से मशीनों से रेत का खनन व परिवहन संभव नहीं होगा। पुलिस बल को तैनाती के लिए मुंबई को पुलिस के 120 जवान अलग सफरित हैं। सोमवार को दोपहर एक बजे क्लेक्टर अकिश अस्थाना, पुलिस अर्वाधिक आशुतोष बागरी व

वनमंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस के 100 जवान चंबल राजघाट पर पहुंचे। वहां वनमंडल ने 8 जेसीबी मशीनों से नदी किनारे डंप किए 100 ट्रॉली से अधिक रेत को शाम 7 बजे तक नष्ट कराया। एसपी का कहना है कि मंगलवार से चंबल राजघाट व अल्लाबेली चौकी पर पुलिस के वनमंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित 50-50 जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे के नेतृत्व में पुलिस के 100 जवान जो चंबल से रेत को खोदने व बाहर ले जाने के अपराध पर सखी से रोक लगाएंगे। प्रशासन, पुलिस व वनमंडल रेत पर पूरी निगरानी रखेंगे। अल्लाबेली चौकी पर एक हार्डपॉवर रेंज का कैमरा लगाया जा रहा है जो रेत वाहनों की आवाजाही पर नजर रखेगा।

21/03/23

दीपक आनंद

राजघाट पर मुरसैद प्रशासन की टीम पांच जेसीबी से किया रेत नष्ट

• दिन-रात घाटों पर तैनात रहेगी पुलिस-
का विभाग की टीम

मुरैना (नईदुनिया प्रतिनिधि)।

चंबल नदी से होने वाले अवैध रेत उखनन को रोकने के लिए प्रशासन ने सोमवार को एक बार फिर कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस बार कार्रवाई की मनक मीडिया तक को नहीं लगने दी। सोमवार को दोपहर में 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी, वन विभाग के कर्मचारी और एसएफ़ के जवानों की टीम राजघाट क्षेत्र में डेरा जमाकर बैठ गई। यहां से हर रोक सैकड़ों ट्राली रेत का उखनन होता है, जो मुरैना, ग्वालियर के अलावा राजस्थान के धौलपुर व उग्र के आगरा व राजाखेड़ा तक जाता है। प्रशासन की टीम के साथ पांच जेसीबी भी थीं, जिन्होंने दिनभर में राजघाट पर व आसपास के क्षेत्र में



चंबल के राजघाट पर तैनात प्रशासन की टीम। • नईदुनिया

अवैध भण्डार करके रखे गए रेत को नष्ट करने की कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक भी रेत माफिया प्रशासन के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले ही रेत माफिया, चंबल के घाटों को छोड़ गए। सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस व वन विभाग की टीम को दिन-रात चंबल नदी के घाट पर तैनात कर दिया गया है निगरानी के

लिए यहां बिजली की व्यवस्था करवा दी गई है। अल्लाबेली चौकी पर भी एक टीम तैनात की गई है। सीएसपी ने बताया कि जिन रास्तों से अवैध रेत का परिवहन होता है उन पर सीसीटीवी लगाकर निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेत के अवैध कारोबार को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त है, चंबल नदी से अवैध रेत पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा।

नई दुनिया रिपोर्ट 21/03/23 दिल्ली

↓

1.20 करोड़ कीमत की बालू नष्ट कराई

भास्कर संवाददाता | मुँना

चंबल राजघाट से रेत के खनन व परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस व वन विभाग सक्रिय होकर कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को राजघाट पर पांच टेंटों में पुलिस के 100 जवान मौजूद रहेंगे जिनकी नजर रेत माफिया पर रहेगी।

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के मुताबिक, मंगलवार को चंबल राजघाट क्षेत्र में डंप 22

हजार घन मीटर बालू नष्ट कराने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने बताया कि नष्ट-क्रंए रेत की कीमत 1 करोड़ 20 लाख आंकी गई है। रेत माफिया ने इसे बेचने के लिए नदी किनारे एकत्रित कर लिया था। पुलिस की मौजूदगी के कारण मंगलवार को एक भी हाइड्रा, जेसीबी या ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत भरने के लिए राजघाट पर नहीं पहुंचा। वहां अब 24 घंटे 10 टेंटों में पुलिस के 100 जवान मौजूद रहेंगे।

22/03/23 ५ दिनांक

निकल पाठशाला दिनांक 23/03/23 जिला मुख्यालय

जिला प्रशासन ने राजघाट पर 22 हजार घन मीटर लगभग एक करोड़ 20 लाख रुपये का रेत नष्ट कराया

—यह कार्यवाही 30 अप्रैल तक जारी रहेगी

—चम्बल नदी में पुल के नीचे दोनों ओर 5-5 टेण्ट लगाये

— 110 व्यक्तियों का बल रहेगा तैनात : कलेक्टर मुंदेशा

चंबल रेत के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए राजघाट पर जिला प्रशासन ने 22 हजार घन मीटर लगभग एक करोड़ 20 लाख रुपये का रेत नष्ट कराया। यह कार्यवाही 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। चम्बल नदी में पुल के नीचे दोनों ओर 5-5 टेन्टर लगाकर 110 व्यक्तियों का बल रहेगा तैनात। यह बात कलेक्टर अंकित अस्थाना ने चंबल राजघाट पर मंगलवार को रेत विनस्टीकर करते समय देर रात्रि में कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस को मौजूदगी के कारण अब भानपुर राज घाट से रेत का खनन व



मांका पुआयाना करते कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक

परिवहन संभव नहीं होगा। पुलिस के 110 जवान व पांच जेसी क्वी दो हैं। इन जवानों के लिए चम्बल नदी में पुल के दोनों ओर 5-5 टेन्टर स्थाई तौर पर लगाये गये हैं। इन जवानों के लिये खाना, पानी से लेकर अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी व वनमंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस के 110 जवान चंबल राजघाट पर रुककर अवैध रेत उत्खनन को सख्ती से रोकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि शाम 8 बजे तक

डम्प रेत को नष्ट कराया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब चम्बल रेत अवैध रेत नहीं किया जाएगा। जो लोग चंबल से रेत को खोदने व बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं, उनसे पुलिस सख्ती से निपटेगी। प्रशासन, पुलिस व वनमंडल रेत पर पूरी निगरानी रखेगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरवरिया, एसडीओपी फारेस्ट भूरा गायकवाड़, माइनिंग अधिकारी सुखदेव निर्मल, क्राइम ट्रांस साहित टीआई सराय खोला एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।

23/3/23

टास्क फोर्स टीम ने अंबाह क्षेत्र में रेत का किया विनिष्टीकरण

मुरैना(आरएनएन)। कलेक्टर एवं एसपी द्वारा चंबल से रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स टीम द्वारा अंबाह थाना क्षेत्र में घाट के किनारे डंप किए गए रेत को नष्ट करने की कार्रवाई करते हुए लगभग एक लाख रुपए का रेत नष्ट किया। कलेक्टर अंकित अस्थाना एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में अंबाह थाना, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार की शाम चम्बल नदी के अवैध रेत भण्डारण को नष्ट किया गया।

अंबाह में टास्क फोर्स की कार्रवाई

चम्बल नदी के अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरवरिया एवं एसडीओपी परमाल सिंह मेहरा के मार्गदर्शन में बीती शाम संयुक्त कार्यवाही करते हुए अंबाह में दो अलग-अलग स्थान पर माफिया द्वारा चम्बल नदी के रेत को डंप किया गया था। करीब 105 घन मीटर अवैध रेत कीमत करीब एक लाख रूपये को मौके पर जेसीबी से मिट्टी में मिलाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की गई एवं वन विभाग की रिपोर्ट पर से अवैध रूप से भण्डारण किये गये स्थानों के भूमि स्वामियों के विरुद्ध थाना अम्बाह में पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये।

टीकरी में डंप 200 ट्रॉली रेत नष्ट कराया, प्रशासन व पुलिस ने 4 घंटे चलवाई जेसीबी

पुलिस का दावा-नष्ट
कराए रेत की कीमत 6
लाख रुपए

भास्कर संवाददाता | जौरा

बारिश में बेचने के लिए अभी से डंप किए जा रहे 200 ट्रॉली चंबल रेत को प्रशासन व पुलिस ने 4 घंटे की कार्रवाई के दौरान टीकरी गांव में नष्ट करा दिया। नष्ट कराए गए रेत की कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई है। देवगढ़ पुलिस इस मामले में शुक्रवार को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करेगी जिनकी जमीन का उपयोग चंबल रेत को डंप करने के लिए किया गया।

टीकरी गांव में चंबल का रेत डंप होने की सूचना पर एसडीएम अरविंद माहौर व थाना प्रभारी देवगढ़ अरुण सिंह कुशवाह गुरुवार को दोपहर 1.30 बजे मौके पर



टीकरी गांव में रेत नष्ट कराने मौजूद अमला।

पहुंचे और उन्होंने गांव के बाहर इकट्ठा किए गए रेत को नष्ट कराने के लिए जेसीबी चलवाई। शाम 5.30 बजे जेसीबी मशीनों ने 200 ट्रॉली से ज्यादा रेत को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की। बताया जाता है कि चंबल के रेत को गांव के लोग बरवासिन घाट से लेकर

आ रहे थे। रेत को बारिश में महंगे रेट में बेचने की प्लानिंग थी। इस मामले में गुरुवार को एफआईआर नहीं की जा सकी क्योंकि महिला पटवारी कार्रवाई के दौरान टीकरी गांव नहीं पहुंचीं जिससे उस जमीन के मालिकों के नाम ज्ञात नहीं हो सके जहां चंबल रेत डंप किया।

24/01/23 थाफु

पोरसा में तीन ठिकानों से 400 ट्रॉली व महुआ के खुर्द गांव से 100 ट्रॉली रेत नष्ट कराया

भास्कर संवाददाता | पोरसा/अंबाह

चंबल रेत के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई के दौरान पोरसा पुलिस ने शुक्रवार को तीन स्थानों पर डंप 400 ट्रॉली रेत को नष्ट कराने की कार्रवाई की। इधर महुआ पुलिस ने भी रायपुर पंचायत के खुर्द गांव में 100 ट्रॉली रेत को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई को अंजाम दिया।

जानकारी के मुताबिक, पोरसा पुलिस व तहसीलदार ने शुक्रवार को नगर पालिका की जेसीबी से अटेर रोड स्थित गोपालपुरा में, शाहपुरा में बंबा के पास व शंकरपुरा में डंप 400 ट्रॉली चंबल रेत को 10 घंटे की कार्रवाई के



दौरान नष्ट कराया। इस रेत को कारोबारियों ने बारिश के सीजन में बेचने के लिए अभी डंप करना शुरू कर दिया था। इधर महुआ थाना प्रभारी रिणिकेश शर्मा ने नायब तहसीलदार के साथ रायपुर पंचायत के खुर्द गांव में जेसीबी से 100 ट्रॉली रेत को जर्मीटोज करा दिया। खुर्द में रेत नष्ट कराने के लिए पुलिस को शुक्रवार की दोपहर तक कार्रवाई करना पड़ी।

२५/३/२३ देवार बाबा


नई दुनिया रिनिंग 25/03/23 मिना मुर्जा

तीन थानों की पुलिस और वन विभाग ने दो हजार ट्राली डंप रेत को कराया नष्ट

कारवाही • महुआ, नगरा व पोरसा थाना क्षेत्र में की कारवाही, छह घंटे में रेत मिट्टी में मिलाया

पोरसा (नईदुनिया न्यूज)। चंबल रेत के अवैध उत्खनन से लेकर इसके भंडारण पर पुलिस अभियान चलाकर कारवाही कर रही है। जिले पर में यह कारवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन व पुलिस को संयुक्त टीम ने जहां सुरंग के राजघाट पर फोरस को तैनात कर रखा है। वहीं अब चंबल के अन्य घाटों पर भी तैजों से कारवाही शुरू हो गई है। शुक्रवार को अंबवाह व पोरसा क्षेत्र में यह कारवाही की गई, जिसमें महुआ के खुद गांव में तथा नगरा के नूपपुरा घाट पर कारवाही हुई। वहीं पोरसा में लगभग एक दर्जन जगहों पर जमा कर रख गए रेत को जैसीबी, मशीन से नष्ट कराया गया। इस दौरान पुलिस, वन विभाग व राजस्व विभाग को टीम तैनात रही। अब इन भंडारण करने वालों पर कारवाही भी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पुलिस व प्रशासन इस समय चंबल रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सख्त कारवाही कर रहा है। जिसको लेकर शुक्रवार को एक साथ महुआ, पोरसा व नगरा क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन की टीम ने कारवाही की। इस दौरान नगरा के नूपपुरा घाट



पोरसा में एक घाट पर रखे रेत को नष्ट करती पुलिस। © कर्दुशिया

पर टीम पहुंची। जहां जगह जगह पर हजारों ट्राली चंबल रेत का भंडारण मिला। जिस पर एलएनटी मशीन व जैसीबी से इस रेत को नष्ट कराया गया। कारवाही सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। जिस पर शाम चार बजे तक यहां लगभग 1200 ट्राली रेत को मिट्टी में मिलाने की कारवाही की गई। यहां रेत का अवैध भंडारण कर रखा गया था। इसी तरह पोरसा थाना पुलिस ने कारवाही की। यहां चंबल का घाट के नजदिक भंडार कर रखा है। जिस पर अट्टर रोड, सहायगा चंबा सहित

खेत व जमीन मालिकों को चिन्हित कर होगी कारवाही

रेत का भंडारण करने वालों पर पुलिस अब कारवाही भी करेगी। इसके लिए राजस्व विभाग अधिकारी अपने कामजनों को खगलेंगे। जिस भी जमीन पर यह भंडारण पाया जा रहा है। उस जमीन के मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा रही है। वहीं कई जगह सरकारी व गैरहैंडों में भी रेत को डंप किया गया है। ऐसे में अज्ञात पर एफआइआर कर उसकी तलाश की जाएगी। लेकिन पोरसा में कई जगह निजी जमीनों पर भी रेत मिला है। जिसको लेकर जल्द ही पुलिस मामले दर्ज करेगी। जिले भर में अभी तक दो दर्जनों के करीब पुलिस मामले दर्ज कर चुकी है।

रूप से 100 ट्राली चंबल के रेत का भंडारण कर रखा था। शासकीय भूमि पर अवैध रेत के भंडारण की रिपोर्ट आने पर नायब तहसीलदार विकास भटौरिया, थाना प्रभारी ऋषिकेश शर्मा, वन विभाग एवं पुलिस बल के साथ अवैध रेत के भंडारण को नष्ट करने की कारवाही की गई।



मुरैना 18-03-2023

चंबल रेत: उत्खनन व परिवहन को तीन राज्यों के अफसर मिलकर रोकेंगे, संयुक्त चेकपोस्ट लगाएंगे

भास्कर संवाददाता | मुरैना

चंबल रेत के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए अब मुरैना, धौलपुर व आगरा के कलेक्टर, एसपी व वनमंडल अधिकारी मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। जो लोग रेत के कारोबार में लिप्त पाए जाएंगे उनके शस्त्र लाइसेंस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया।

शुक्रवार शाम 5 बजे देवरी इको सेंटर पर आयोजित बैठक में मुरैना के अलावा धौलपुर व आगरा के कलेक्टर, एसपी, वनमंडल अधिकारी, खनिज

अधिकारी व परिवहन अधिकारी उपस्थित हुए। मुरैना कलेक्टर ने कहा कि आगरा, धौलपुर व मुरैना में रेत की अवैध मंडियां पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएं। जहां शासकीय, अशासकीय स्थानों पर रेत डंप करके रखा गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिये प्रतिमाह तीनों जिलों के अधिकारियों की बैठक की जाएगी। तीनों जिलों में ऐसी जगह चेक पोस्ट लगाएंगे, जहां से अधिक अवैध रेत का उत्खनन किया जाता है। तीनों ही जिलों में कोई आपराधिक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी जानकारी तीनों जिलों में शेयर करेंगे। जिससे कि

शस्त्र लाइसेंस व ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएं

बैठक में मुरैना, धौलपुर व आगरा के अधिकारियों ने तय किया कि चंबल नदी से अवैध रेत का उत्खनन, परिवहन नहीं होना चाहिए। अल्लाभेली चौकी, धौलपुर के सागर पाड़ा, समोना घाट राजाखेड़ा, आगरा के बरेठा, फतेहपुर सीकरी रोड, निबोरा फतेहबाद थाने पर चेक पोस्ट लगाए जाएंगे, जहां संयुक्त रूप से वन, पुलिस और माइनिंग के अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

अपराधों पर भी नकेल कसी जा सकें। इसके साथ ही अपराधों पर भी लगाम लगेगी।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/खनिज/रेत/2022-23 | 35 |

मुरैना, दिनांक 28.03.2023

प्रति,

आयुक्त
चम्बल संभाग,
जिला मुरैना (म0प्र0)।

ANNEXURE R-14

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में दायर ओ.ए. क्रमांक/248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में जिला मुरैना की Action Taken Report के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में दायर ओ.ए. क्रमांक/248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में जिला मुरैना द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण (Action Taken Report) निम्नानुसार है :-

1- संयुक्त कार्यवाही (पुलिस, खनिज एवं वन विभाग)

कं.	बिन्दु	दिनांक 01.04.2022 से NGT आदेश दिनांक 06.02.2023 तक की कार्यवाही	NGT आदेश दिनांक 06.02.2023 से आज दिनांक 28.03.2023 तक की गई कार्यवाही	योग	चम्बल नदी से रेत उत्खनन की कार्यवाही
1	अवैध उत्खनन	11	14	25	40260
2	अवैध परिवहन	135	51	186	घनमीटर
3	राजसात वाहन	42	-	42	डम्प चंबल
4	अधिरोपित अर्थदण्ड	21,94,684 /-	3,33,750 /-	25,28,434 /-	रेत नष्ट किया गया
5	एफ.आई.आर.	54	38	92	
	पी.ओ.आर.	64	28	92	
6	बिना आर.टी.ओ. नंबर वाले वाहनों पर कार्यवाही	1002	809	1811	नोट:- 265 चालान एवं रुपये 1,32,500 /- अर्थदण्ड वसूल किया गया।
7	ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही	211	126	337	नोट:- रुपये 8,12,000 /- अर्थदण्ड वसूल किया गया।
8	अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण में संलिप्त आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करना	0	4	04	
9	रेत खनिज भण्डारण अनुज्ञापति स्वीकृत करना	01	01	02	

क्रमश.....2

2- रेत खदान घोषित किये जाने की कार्यवाही :-

जिला मुरैना द्वारा राज्य शासन के निर्देशों के पालन में बरवासिन घाट (खांडोली-कैंथरी) एवं राजघाट (भानपुर-पिपरई) पर नवीन रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 को पूर्ण करा ली गई है, जिनमें नीलामी की कार्यवाही शासन स्तर से किया जाना है। जिसके लिये संबंधित संपूर्ण दस्तावेज संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रेषित किये गये हैं।

रेत खदान स्वीकृति एवं संचालन हेतु जिले द्वारा दिनांक 27.02.2023 को D.S.R. (जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट) तैयार कर NIC पोर्टल पर 21 दिवस के लिये अपलोड कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.03.2023 को आगामी कार्यवाही के लिये SEAC कार्यालय भोपाल को भेजा गया। SEAC द्वारा दिनांक 21.03.2023 को अनुमोदन किया जाने के बाद, आगामी कार्यवाही हेतु SEIAA कार्यालय भोपाल दिनांक 23.03.2023 प्रेषित किया जा चुका है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की D.S.R. का सिया से अनुमोदन होना बताया है।

3- मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक 21.02.2023 का पालन प्रतिवेदन :-

मुख्य सचिव द्वारा व्ही.सी. में दिये निर्देश के पालन में शार्ट टर्म एवं लॉग टर्म प्लान बनाकर भेजा एवं उस पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। मुरैना जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के कुल 11 प्रकरण, अवैध परिवहन के कुल 228 प्रकरण एवं अवैध भंडारण के कुल 50 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। विभिन्न स्थलों पर राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

4- संभाग स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक (मुरैना, श्योपुर, भिण्ड) :-

मुख्य सचिव महोदय द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से दिये गये निर्देशों के पालन में संभाग स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 21.02.2023 एवं 28.02.2023 को किया गया, जिसमें चम्बल नदी से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर अंकुश एवं पूर्णतः बंद कराये जाने के लिये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तैयार किया गया तथा कियान्वयन की रूप रेखा तैयार कर कार्यवाही की गई एवं उक्त प्लान के क्रम में की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की गई।



5- जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक : -

मुख्य सचिव महोदय एवं आयुक्त, चम्बल संभाग के निर्देशों के पालन में जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति (राजस्व, पुलिस, खनिज, परिवहन, तथा वन विभाग) की बैठक दिनांक 21.02.2023, 28.02.2023, 07.03.2023, 17.03.2023 एवं 24.03.2023 को चम्बल नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर त्वरित कार्यवाही करते हुये जिले में 17 अस्थाई पुलिस चेक पॉइन्ट तथा 04 स्पेशल चेक पॉइन्ट लगाये गये । साथ ही ड्रोन निगरानी तथा कैमरों के माध्यमों से रेत के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही कर मुख्य मार्गों से लेकर चम्बल नदी तक खनिजों के अवैध परिवहन तथा उत्खनन पर कडाई से कार्यवाही की गई। जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक चम्बल नदी के राजघाट, देवरी एवं मोटरवोटिंग पर की गई। बैठक में शार्ट टर्म प्लान के क्रियान्वयन की प्रगति तथा वैध खदाने घोषित करने की कार्यवाहियों की सतत समीक्षा की गई।

6- राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक : -

NGT आदेश के पालन में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र देवरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में दिनांक 24.03.2023 को प्रदेश स्तरीय टास्कफोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें खदान मुख्य संरक्षक एवं वन प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी अभिरक्षक, अति. पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, आयुक्त चंबल संभाग, पुलिस महानिरीक्षक चम्बल रेंज, मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त ग्वालियर द्वारा जिला मुरैना के राजघाट, बरवासिन घाट एवं जिले के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया गया तथा ड्रोन कैमरा से की जा रही निगरानी का निरीक्षण किया । वन विभाग की मोटरवोट के माध्यम से लगभग 07 कि०मी० तक नदी क्षेत्र का भ्रमण कर खनिज रेत के अवैध उत्खनन तथा परिवहन का मौका भुआयना किया गया। साथ ही इस कार्य में लगे पुलिस बल के जवानों से चर्चा कर उनका मनोबल बढ़ाया तथा रेत के विनिष्टीकरण की कार्यवाही से संतुष्टी व्यक्त की गई।


पुलिस बल (एस.ए.एफ.) के द्वारा नदी क्षेत्र में अस्थाई रूप से टैंट लगाकर मुस्तैदी से कार्य करने तथा चम्बल नदी से आने वाले रेत के प्रमुख मार्ग अल्लाबैली चौकी पर पर्याप्त पुलिस बल एवं 02 स्टैटिक तथा 01-PTZ कैमरा देखा गया। देवरी एवं बरवासिन घाट की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर एक भी अवैध रेत के वाहन नहीं निकलने पर संतुष्टी व्यक्त की गई। साथ ही इस कार्यवाही में मुस्तैद पुलिस, वन, राजस्व, एवं खनिज के अधिकारियों से चर्चा कर लगातार की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी ली ।



क्रमश.....4

- 7-- अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक :-
NGT आदेश के पालन में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र देवरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में दिनांक 17.03.2023 को अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति का आयोजन किया गया, जिसमें बोर्डर क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति के साथ निम्नानुसार बिन्दुओं पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई है।
- 7.1 आपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-
अवैध रेत उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण में सम्मिलित व्यक्तियों तथा वाहनों का आपराधिक डाटा/रिकार्ड तैयार किया जाकर अंतर्राज्यीय जिले (धौलपुर, आगरा) साझा किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
- 7.2 वॉट्सअप ग्रुप :-
अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार जिला मुरैना (म0प्र0), जिला धौलपुर (राज0) तथा जिला आगरा (उ0प्र0) के अधिकारियों का एक वाट्सअप ग्रुप तैयार किया गया, जिसमें त्वरित कार्यवाही हेतु अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों, अवैध रेत में संलिप्त वाहनों एवं अन्य आवश्यक जानकारियां साझा की जा रही हैं।
- 7.3 बोर्डर चेक पोस्ट :-
जिले की धौलपुर बोर्डर के समीप अल्लाबेली पुलिस चौकी पर स्थायी रूप से एक 20 लोगों का पुलिस बल तैनात किया गया है, जो हथियारों से लेस है। यह चेक पॉइंट 24x7 कार्यरत है, जिससे अंतर्राज्यीय अवैध रेत परिवहन की रोकथाम करने में सफलता मिली है। यह कार्यवाही आगामी आदेश तक जारी रहेगी।
- 7.4 कैमरे से निगरानी :-
दिनांक 17.03.2023 की अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार अल्लाबेली पुलिस चेक पोस्ट पर 02 स्टेटिक तथा 01-PT Z कैमरा स्थापित किये गये, जिनका रियल टाइम कंट्रोल पुलिस कंट्रोल में स्थापित किया गया। कैमरा निगरानी से प्राप्त वीडियो फुटेज अनुसार रेत परिवहन में सम्मिलित व्यक्तियों तथा वाहनों की जानकारी से सीमावर्ती जिले (धौलपुर, आगरा) से साझा की जाकर कार्यवाही की जा रही है।
- 7.5 सागरपाडा चेक पोस्ट (धौलपुर) :-
दिनांक 17.03.2023 की अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार धौलपुर जिले द्वारा एक मात्र रास्ता जो मुरैना से धौलपुर की ओर जाता है। बोर्डर के समीप सागरपाडा में चेक पोस्ट स्थापित किया गया, जिस पर लगातार निगरानी की जा रही है।

क्रमश.....5



- 8- शार्ट टर्म एवं लाना टर्म प्लान का पालन प्रतिवेदन :-
एन.जी.टी. O.A. 248/2022 प्रकरण में संयुक्त रूप से बनायी गई लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर समय सीमा में कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये शॉर्ट टर्म के सभी बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
- 8.1 अस्थाई चेक पोस्ट :-
मुरैना जिले में चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु कुल 17 पुलिस चेक पॉइन्ट लगाये गये हैं, जो प्रातः 4.00 बजे से 8.00 बजे तक तथा सांय 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालित रहते हैं।
- 8.2 स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-
जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 04 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है
I- भानपुर राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)
II- पिपरई राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)
III- अल्लावेली पुलिस चौक- नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (20 पुलिस बल)
IV- बरवासिन घाट पर (10 पुलिस बल)
- 8.3 जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.02.2023 से जिला मुरैना अंतर्गत पेट्रोल पंप द्वारा बिना पंजीयन क्रमांकों के वाहनों (जैसे-कार, मोटर साइकिल, ट्रेक्टर, डम्पर आदि) को पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. गैस दिया जाना प्रतिबंधित किया है।
- 8.4 रेत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-
जिले में खनिज रेत की मांग को पूरा करने के लिये अब तक 02 खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति जारी की गई है। प्रत्येक तहसील स्तर पर कम से कम 01 खनिज रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति जारी की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है, जिससे विधिवत खनिज रेत भण्डारण किया जाकर लोगों को उपलब्ध हो सकेगा।
- 8.5 शासकीय निर्माण कार्यों में चम्बल नदी रेत का प्रतिबंध :-
शासकीय निर्माण कार्यों में चम्बल नदी के रेत का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 14.03.2023 को एक आदेश जारी कर निर्देश दिये हैं कि, प्रत्येक कार्यालय प्रमुख उनके विभाग में हो रहे निर्माण कार्यों के भुगतान के दौरान यह प्रमाणपत्र देगें कि, इस निर्माण के बिल में चम्बल नदी के रेत का उपयोग नहीं हुआ है।



8.6 शान्ति समिति की बैठक :-

जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 24.03.2023 को शांति समिति की बैठक आयोजित कर अवैध रेत उत्खनन, परिवहन के लिये की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया गया एवं उनके सुझाव प्राप्त कर प्रचार प्रसार कराने की कार्यवाही करने के निर्देश जनसंपर्क कार्यालय को दिये, जिस पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ।

8.7 परिवहन विभाग की कार्यवाही :-

जिले में चल रहे वाहनों पर नंबर प्लेट, म्यूजिक सिरटग हटाने तथा गति को नियंत्रण करने के लिये यातायात पुलिस एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अस्थाई चैकिंग पाइंट लगाकर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 1127 चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

8.8 शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना :-

अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करने का निर्णय बैठक में लिया गया। इस संबंध में अभी तक जिला प्रशासन द्वारा 04 शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।

8.9 ज़ोन से निगरानी :-

वनमण्डलाधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, दिनांक 07.03.2023 से चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में 01 ज़ोन से निगरानी का कार्य प्रारंभ किया जाकर उनके द्वारा प्रतिदिन लॉगबुक संधारित की जा रही है एवं 01 अन्य ज़ोन का आर्डर खनिज विभाग द्वारा किया गया है।

8.10 अवैध रेत मंडियों पर कार्यवाही :-

जिले में पुलिस, वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत मंडियों को हटाया गया है। यह वापस न लगे इसलिये लगातार निगरानी रखी जा रही है।

8.11 देवरी चेक पोस्ट :-

राजघाट के अतिरिक्त खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों पर अंकुश लगाने के लिये देवरी चेक पोस्ट पर 20 एस.ए.एफ. जवानों को तैनात किया गया ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यालय कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना {मध्यप्रदेश}

801

ANNEXURE R-15

प्रथम तल, चम्बल भवन, ए.बी. रोड, मुरैना

क्रमांक/राजस्व/एनजीटी/2023

मुरैना दिनांक 28/03/2023

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारितआदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में चम्बल संभागान्तर्गत की गईकार्यवाही (Action Taken Report)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में चम्बल नदी क्षेत्र के राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण में रेत के अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के परिपालन में कार्यवाही करने के लिए मुख्य सचिव, म.प्र.शासन द्वारा दिनांक 21/02/2023 को प्रकरण के अनुक्रम में बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में आपदा ग्रस्त वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्टेड एरिया में जलचरों जैसे डॉलफिन, टरटल एवं घड़ियाल आदि के तथा चम्बल नदी में राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन होने के कारण इन जलचरों के जीवन को गम्भीर खतरा होना रेखांकित करते हुए पर्यावरण विकास, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य बिन्दुओं को रेखांकित गया एवं पालन की अपेक्षा की गई।

उपरोक्त के क्रम में मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/718-20/खनिज/विविध/न.क्र.01/2022 दिनांक 08.02.2023 से संभागान्तर्गत जिला मुरैना, भिण्ड व श्योपुर में अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा जिले में वन क्षेत्र के बाहर अवैध परिवहन की स्थिति पाये जाने पर म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये। जिसके पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ राजस्व/ 2023/827 दिनांक 15.02.2023 से उक्त निर्देशों के पालन हेतु लेख किया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुक्रम में दिनांक 21/02/2023 को आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में कोई भी घोषित स्वीकृत रेत खदान नहीं है तथा चम्बल नदी क्षेत्र राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में आने के कारण चम्बल नदी से रेत का उत्खनन प्रतिबंधित है। इस कारण से स्थानीय मांग के चलते चम्बल नदी से अवैध रेत उत्खनन होता है। अवैध रेत उत्खनन को नियंत्रित करने हेतु मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में जिला मुरैना एवं श्योपुर के 207 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 30.01.2023 को जारी की गई है एवं इस क्षेत्र में रेत खदान वैधानिक रूप से आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर भिण्ड एवं अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा जिले में चम्बल नदी से अवैध रेत उत्खनन की घटनायें लगभग नगण्य होना अवगत कराया गया है। इस संबंध में कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में क्षेत्र में एक चेक पोस्ट वन विभाग की कार्यरत है। उनके द्वारा 02 नई चौकियां खनिज विभाग की एवं 01 नई चौकी वन विभाग की शीघ्र स्थापित किये जाने का आश्वस्त किया ताकि डी-नोटिफाइड क्षेत्र में आने वाली खदानों से उत्पन्न रेत की मॉनिटरिंग हो सके। जिला मुरैना में 44 घाट हैं जिनमें से 6-7 बड़े घाट हैं उनसे अवैध उत्खनन कर ले जाई जा रही रेत की निगरानी इन चेक पोस्ट से हो सकेगी एवं इन घाटों का रेत कुल रेत उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है। एक आधुनिक जांच चौकी की लागत लगभग 40 लाख रुपये संभावित है। जांच चौकियों पर फाइबर एवं मोबाईल दोनों माध्यमों से इन्टरनेट कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त बैठक में टास्कफोर्स की नियमित बैठक करने एवं उनकी अनुशंसानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

संभाग स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक, दिनांक 14 मार्च 2023:-

मुख्य सचिव, म.प्र.शासन के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुक्रम में बैठक में दिए निर्देशों के पालन में आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना एवं श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर, कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/वन मण्डल अधिकारी/जिला खनिज अधिकारी, जिला मुरैना, भिण्ड एवं श्योपुर के साथ संभाग स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक, दिनांक 14 मार्च 2023 को सभागार, आयुक्त कार्यालय चम्बल संभाग मुरैना में आहूत की गई। जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. एन.जी.टी. आदेश और मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये निर्देशों के अनुक्रम में जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन, वन विभाग, खनिज विभाग द्वारा शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉग टर्म प्लान तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा।
2. वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर रोकथाम हेतु जिला स्तर पर वन विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।
3. राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुरैना से अवैध रेत उत्खनन के प्रभावी नियंत्रण हेतु रणनीति एवं उसका क्रियान्वयन।
4. वन क्षेत्र से अतिक्रमण, अवैध शिकार, अवैध कटाई की समस्या पर रोकथाम हेतु जिला स्तर पर की गई कार्यवाही।
5. राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुरैना के अन्तर्गत नदी से नाव/स्टीमर से आवागमन की सुविधा।
6. खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण (खनिज, रेत, गिट्टी, फर्सी पत्थर एवं चिमनी भट्टों की ईटों) पर रोकथाम हेतु जिलास्तर पर की गई कार्यवाही।
7. अवैध परिवहन में लिफ्ट वाहनों के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग पर स्थापित टोल से बिना कर चुकाए निकलने से राजस्व की हानि के संबंध में रणनीति तैयार करना।
8. खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत खदानों की समयावधि समाप्त होने के संबंध में जानकारी पृथक से प्रदाय करें, जिससे संयुक्त कार्यवाही कर रणनीति तैयार कर अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में।
9. राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क के किनारे, झोपड़ियाँ एवं ठेलों में अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही के संबंध में रणनीति।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सर्वसंबंधित जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाकर अद्यतन स्थिति चाही गई। जिसके परिपालन में क्रमशः कलेक्टर, जिला मुरैना, भिण्ड एवं श्योपुर द्वारा दिनांक 17/03/2023 को पालन प्रतिवेदन में पुलिस, खनिज एवं वन विभाग की एकजाई जानकारी प्रपत्र पर प्रेषित की गई जिनका विवरण क्रमशः निम्नलिखित है:-

जिला मुरैना:-

क्र.	बिन्दु	दिनांक 01.04.2022 से एनजीटी आदेश दिनांक 06.02.2023 तक की जानकारी	एनजीटी आदेश दिनांक 06.02.2023 से 17.03.2023 तक की गई जानकारी	योग/कार्यवाही	चम्बल नदी से रेत उत्खनन की कार्यवाही
1	अवैध उत्खनन	11	10	21	7186 घनमीटर इम्प चम्बल रेत नष्ट किया गया।
2	अवैध परिवहन	135	37	172	
3	राजसात वाहन	42	01	43	
4	अधिराजित अर्थदण्ड	21,94,684/-	1,88,750/-	23,83,434/-	
5	दर्ज एफ.आई.आर.	54	21	75	

जिला भिण्ड:-

क्र.	बिन्दु	दिनांक 01.04.2022 से एनजीटी आदेश दिनांक 06.02.2023 तक की जानकारी	एनजीटी आदेश दिनांक 06.02.2023 से 17.03.2023 तक की गई जानकारी	योग/कार्यवाही	चम्बल नदी से रेत उत्खनन की कार्यवाही
1	अवैध उत्खनन	08	02	10	➤
2	अवैध परिवहन	238	25	263	
3	राजसात वाहन	0	02	02	
4	अधिरोपित अर्थदण्ड	5.62 Cr.	27.70 Lac	5.96 Cr.	
5	दर्ज एफ.आई.आर.	02	02	04	

जिला श्यापुर:-

क्र.	बिन्दु	दिनांक 01.04.2022 से एनजीटी आदेश दिनांक 06.02.2023 तक की जानकारी	एनजीटी आदेश दिनांक 06.02.2023 से 17.03.2023 तक की गई जानकारी	योग/कार्यवाही	चम्बल नदी से रेत उत्खनन की कार्यवाही
1	अवैध उत्खनन	03	02	05	➤
2	अवैध परिवहन	40	06	46	
3	राजसात वाहन	0	0	0	
4	अधिरोपित अर्थदण्ड	12,47,100/-	3,46,375/-	15,93,475/-	
5	दर्ज एफ.आई.आर.	16	08	24	

उक्त बैठक स्थानीय एवं वर्ष भर स्वरोजगार रोजगार के दृष्टिगत जिलों में पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित हों जिसमें पर्यटन, शहद, मसाला सिलाई, दूध सर्किल, चिलिंग प्लांट आदि क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार दिये जा सके, इस हेतु प्रबंधक आजीविका मिशन के साथ संयुक्त बैठक कर प्लान तैयार किये जाने हेतु कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है।

जिलों में प्रमुख जगहों पर सी.सी.टी.वी कैमरे एवं आवश्यक होने पर हिडन कैमरे भी लगाये जाये जिससे प्राप्त रिकार्ड के आधार पर तत्काल कार्यवाही हो सके एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके।

यह भी निर्देश दिये गये कि बिना नम्बर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर नम्बर प्लेट लगाई जाये तथा खाली ट्रैक्टर पकड़कर पेन्ट कराया जाये, वहीं उस पेंट का भुगतान भी उसी संबंधित फर्म से करा दिया जाए इस प्रकार की मुहिम संभाग अंतर्गत जिलों में की जावे एवं कार्यवाही सकारात्मक सुझाव/संदेश के साथ पूर्ण हो।

जनजाग्रति के माध्यम से तथा साधु सन्तों एवं गणमान्य व्यक्तियों से सम्पर्क कर जन जागरूकता अभियान चलाये जाये एवं आम जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ायी जाये तथा अवैध उत्खनन एवं इससे जुड़े दुष्परिणामों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा हो सके।

क्षेत्र में उत्खनन कार्य के संबंध में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के क्रम में एनआरएलएम, पुरातत्व विभाग द्वारा एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा रोजगार के अवसर पैदा किये जाने हेतु तथा स्वरोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु गतिविधियों का आयोजन हो तकि आम जनमानस के बीच रोजगार के नवीन प्रकार के अवसर उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त बैठक में अवैध रेत के विक्रय पर रोक लगाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया।

आवश्यकता पडने पर नजदीकी जिलों में जहां लीज पर खदानें आवंटित कर दी गयी हो, वहां से रेत प्राप्त कर भण्डारण कर विक्रय की कार्यवाही करें ताकि राजस्व भी जमा हो सके और निर्माण कार्य करने वालों को भी रेत आसानी से उपलब्ध हो सके। खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लीज पर दी गई खदानों से रेत भण्डारण कराकर विक्रय करायें।

वन विभाग को जप्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही 01 महीने की अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्थान राज्य के जिन जिलों की सीमा संभाग के जिलों से लगती है उन जिलों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। विभागान्तर्गत दर्ज प्रकरणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस, राजस्व व वन विभाग को संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाकर प्रसारण के लिये जनसम्पर्क विभाग को सहयोग भी लिया जावे।

दिनांक 20/03/2023 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में अन्तर्राज्यीय बैठक मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान शासन की सह-अध्यक्षता में व्ही.सी./हाइब्रिड मोड में संपन्न हुई।

दिनांक 24/03/2023 को संभाग स्तर पर राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र देवरी मुरैना में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में प्रधान मुख्य संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.भोपाल, अति. पुलिस महा. आप.अनुधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल, आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त ग्वालियर, कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/वनमण्डलाधिकारी/जिला खनिज अधिकारी जिला मुरैना, भिण्ड व श्योपुर, अधीक्षक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य भिण्ड/देवरी एवं अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग मुरैना की उपस्थिति में प्रदेश स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित विशेष निर्देश दिए गए:-

➤ टास्क फोर्स बैठक:-

- जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक - सप्ताह में एक बार।
- संभागस्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक - माह में एक बार।
- अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक - माह में एक बार।

(आवश्यक होने पर एक से अधिकबार भी उक्त बैठकें आहूत की जा सकेगी।)

- अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन में पकड़े गए वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी, जो वाहन राजसात हो गए हैं उनको नीलाम करने की कार्यवाही वनमण्डलाधिकारी द्वारा शीघ्र की जावेगी, जो प्रकरण लम्बित हैं, उनको एक सप्ताह में निराकरण किए जाने के निर्देश बैठक में दिए गए।
- अवैध उत्खनन एवं परिवहन में पकड़े गए वाहनों के वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध एफ.आई.आर. की जाकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जावे।
- रेत के अवैध भण्डारण के संबंध में वन विभाग के दल द्वारा छापामार कार्यवाही कर, एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
- जिले में प्रत्येक तहसील में कम से कम एक-एक रेत भण्डारण की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा जारी की जावेगी, जिससे रेत की मांग एवं पूर्ति बनी रहे।

- राजघाट एवं बरवासिन घाट के अतिरिक्त अन्य घाटों पर भी छापामार कार्यवाही समय-समय पर की जावे।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वन विभाग की पैट्रोलिंग में लगी मोटरवोट से राजघाट व आसपास लगभग 07 कि.मी. तक नदी में भ्रमण कर पैट्रोलिंग कर अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की जांच की तथा संतुष्टी व्यक्त की गई। उक्त दल को वॉयरलेस सेट प्रदाय करने के निर्देश दिए गए।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चम्बल नदी राजघाट क्षेत्र का भ्रमण किया। वहाँ तैनात अधिकारी/कर्मचारियों से बात की तथा उनका मनोबल बढ़ाया।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बरवासिन घाट का भी भ्रमण किया तथा संतुष्टी व्यक्त की गई, कहीं भी अवैध खनिज रेत का उत्खनन, परिवहन होना नहीं पाया।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कहीं भी रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन नहीं होना पाया। इसके लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की गई। अग्रे भी यह स्थिति बनी रहे ऐसे निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव, म.प्र. शासन द्वारा निर्देशों के अनुपालन में बैठक उपरांत संभाग के तीनों जिलों मुरैना, भिण्ड व श्योपुर के कलेक्टरों से सतत बैठक, क्षेत्र का भ्रमण एवं सतत पत्राचार उपरांत संभाग के जिलों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई जिसका जिलेवार विवरण निम्नवत है।

जिला मुरैना:-

जिला मुरैना द्वारा राज्य शासन के निर्देशों के पालन में बरवासिन घाट (खांडोली, कैंथरी) एवं राजघाट (भानपुर पिपरई) पर नवीन रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 को पूर्ण करा ली गई है, जिनमें नीलामी की कार्यवाही शासन स्तर से किया जाना है जिसके लिये संबंधित संपूर्ण दस्तावेज संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रेषित किये गये हैं।

मुरैना जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के कुल 11 प्रकरण, अवैध परिवहन के कुल 228 प्रकरण एवं अवैध भंडारण के कुल 50 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। विभिन्न स्थलों पर राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

एनजीटी आदेश के पालन में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र देवरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में दिनांक 17.03.2023 को अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति का आयोजन किया गया, जिसमें बोर्डर क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति के साथ निम्नानुसार बिन्दुओं पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई।

- अवैध रेत उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण में सम्मिलित व्यक्तियों तथा वाहनों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड तैयार किया जाकर अंतर्राज्यीय जिले (धौलपुर, आगरा) साझा किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
- अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में सर्व सम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार जिला मुरैना, जिला धौलपुर (राजस्थान), तथा जिला आगरा (उ.प्र.) के अधिकारियों का एक वट्सअप ग्रुप तैयार किया गया, जिसमें त्वरित कार्यवाही हेतु अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों, अवैध रेत में संलिप्त वाहनों एवं अन्य आवश्यक जानकारियां साझा की जा रही हैं।
- एन.जी.टी. ओ.ए. 248/2022 प्रकरण में संयुक्त रूप से बनाई गई लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर समय-सीमा में कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शॉर्ट टर्म के सभी बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
- जिले के अतिरिक्त पुलिस बल (एस.ए.एफ.) प्राप्त होने पर 04 स्पेशल चैक पॉइंट पृथक से लगाए गए हैं, जिन पर

निम्नानुसार बल तैनात किया गया है:-

- भानपुर राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)
 - पिपरई राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)
 - अल्लाबेली पुलिस चौक नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (20 पुलिस बल)
 - बरयासिन घाट पर (10 पुलिस बल)
- (इस संबंध में विस्तृत कार्यवाही विवरण संलग्न है।)

जिला भिण्ड:-

कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 466 दिनांक 28.03.2023 से जिला स्तर पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन निम्नानुसार है-

1. जिले में चंबल नदी से अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं।
2. जिले में अन्य नदियों/क्षेत्रों से खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुये खनिज नियमों के तहत अवैध परिवहन के 41 प्रकरण एवं अवैध उत्खनन के 02 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
3. अवैध उत्खनन में संलिप्त 02 पोकलेन मशीनों को राजसात किया गया है।
4. अवैध उत्खनन/परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 379, 414 के तहत 02 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।
5. अवैध परिवहन की रोकथाम एवं सतत निगरानी हेतु अंतर्राज्यीय सीमा पर खनिज जांच नका स्थापित किया गया है।
6. अवैध उत्खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिंग की रोकथाम के संबंध में दिनांक 31.03.2023 को अंतर्राज्यीय बैठक प्रस्तावित है।

(इस संबंध में विस्तृत कार्यवाही विवरण संलग्न है।)

जिला-श्यापुर :-

जिला श्यापुर द्वारा राज्य शासन के निर्देशों के पालन में चम्बल कुंहाजापुर-बडोदिया घाट तहसील बडोदा में 9.489 हे. क्षेत्रफल पर नवीन रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है। जिसमें नीलामी की कार्यवाही शासन स्तर से किया जाना है।

राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य सुरैना द्वारा 01 अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक श्यापुर जिले में कुल 43 प्रकरण पंजीबद्ध हुये हैं। जिसमें 28 प्रकरणों में जप्ती की कार्यवाही की गई तथा 27 वाहन राजसात किये गये।

पुलिस विभाग द्वारा 01 जनवरी 2023 से आज दिनांक तक कुल 36 प्रकरणों में 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38 ट्रैक्टर व 01 कम्प्रेसर मशीन जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें 32 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। शेष 04 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित हैं।

जिला श्यापुर द्वारा की गई विस्तृत कार्यवाही विवरण, जो कि कार्यालय कलेक्टर जिला श्यापुर के पत्र क्रमांक 2531 दिनांक 28.03.2023 संलग्न है।

आयुक्त
चम्बल संभाग सुरैना

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर

क्र./खनिज शाखा/2023/ 2531

श्योपुर दिनांक:- 28/03/2023

प्रति,

आयुक्त महोदय
चम्बल संभाग
जिला मुरैना (म.प्र)

विषय:- माननीय न्यायालय NGT द्वारा प्रकरण क्र.248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में जिला श्योपुर की Action Taken Report के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- माननीय न्यायालय NGT द्वारा प्रकरण क्र.248/2022 आदेश दिनांक 06.02.2023 ।

===0===

उक्त विषयांकित लेख है कि, माननीय न्यायालय NGT द्वारा प्रकरण क्र.248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में जिला श्योपुर के द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण (Action Taken Report) निम्नानुसार है -

स.क्र.	बिंदु	दिनांक 01.04.2022 से NGT आदेश दिनांक तक की गयी कार्यवाही	NGT आदेश दिनांक से दिनांक आज तक की गई कार्यवाही	योग कार्यवाही	चम्बल नदी से रेत उत्खनन की कार्यवाही
1	अवैध उत्खनन	03	02	05	निरंक
2	अवैध परिवहन	40	07	47	निरंक
3	राजसात वाहन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	अधिरोपित अर्थदण्ड	12,47,100/-	3,46,375/-	15,93,475/-	लागु नहीं
5	दर्ज एफ.आई.आर.	16	09	25	लागु नहीं

जिला श्योपुर द्वारा राज्य शासन के निर्देशों के पालन में ग्राम कुंहाजापुर-बड़ोदिया घाट, तहसील-वड़ोदा में 9.489 हे. क्षेत्र पर नवीन रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 को पूर्ण करा ली गयी है । जिसमे नीलामी की कार्यवाही शासन स्तर से किया जाना है । जिसके लिए सम्बंधित सम्पूर्ण दस्तावेज़ संचालनालय भोपाल को प्रेषित किया जा चुका है ।

खदान स्वीकृति एवं संचालन हेतु जिले द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर गठित समिति के अनुमोदन उपरांत जिले की NIC पोर्टल पर अपलोड कर अग्रिक कार्यवाही हेतु SEAC भोपाल को दिनांक 21.03.2023 को भेजा जा चुका है । जिसे SEAC भोपाल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । जिसके उपरांत अनुमोदन हेतु SEIAA भोपाल को दिनांक 23.03.2023 प्रेषित किया जा चुका है । जिसके माह मार्च के भीतर स्वीकृत होने की संभावना है ।

राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण मुरैना द्वारा 01 अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक श्योपुर जिले में की गयी कार्यवाही:-

अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक	विवरण
कुल प्रकरण	43
जप्त	28
राजस्वगत वाहन	27

पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2022 एवं 01 जनवरी 2023 से आज दिनांक तक कुल 36 प्रकरणों में 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38 ट्रेक्टर एवं 1 कम्प्रेसर मशीन जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें 32 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं जो वर्तमान में विचाराधीन है। शेष 04 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित है।

1. मुख्य सचिव महोदय की बैठक का पालन प्रतिवेदन:-

- दिनांक 19/03/2023 को जिया श्योपुर एवं राजस्थान स्थित करोली एवं सवाई माधोपुर जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा VC के माध्यम से संयुक्त बैठक की गयी। जिसने बोर्डर क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही करने हेतु सहमती दी गयी। रेत उपलब्धता वाले क्षेत्रों में नदी तक पहुंच मार्गों को काटने का निर्णय किया गया। साथ ही अवैध खनन में संलिप्त वाहनों पर पृथक से परिवहन की कार्यवाही भी करने हेतु चर्चा हुयी। अंत में तीनों जिले चम्बल नदी तरे रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु आपस में समन्वय कर सतत रूप से कार्यवाही करने हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया।
- दिनांक 20/02/2023 को जिला स्तर टास्क फ़ोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। जिसने पुलिस, वन, खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं। जिसके बाद दिनांक 28/02/2023 को वन क्षेत्र के समीप पत्थर के अवैध खनन पर कार्यवाही कर 03 वाहनों को जप्त किया गया एवं सभी आरोपियों पर FIR दर्ज करायी गयी है।
- पुलिस विभाग द्वारा रेत परिवहन के 13 प्रकरणों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर 45 घन मी. रेत व पत्थर कीमती 75000/- रुपये के जप्त कर कार्यवाही की गयी।
- नवीन रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही नियत अवधि में करा लिया गया है।
- थाना स्तर पर थाना मानपुर, डोडर, रघुनाथपुर, बीरपुर, विजयपुर में विशेष पेट्रोलिंग टीम गठित की गयी है। जिनके द्वारा चम्बल नदी से हो रहे अवैध खनन एवं परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
- चम्बल नदी से हो रहे रेत खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए 04 थाना क्षेत्रों के कुल 07 घाटों (थाना बीरपुर -1.काऊपुरा घाट, थाना रघुनाथपुर- 1.रिड़ोटा घाट जगह 2. दुगावाली घाट, थाना मानपुर- 1. सिरसोद घाट, 2. ऊँचाखेड़ा घाट, 3. दलारना घाट, थाना डोडर-1.सांड घाट) के रास्तों की JCB मशीन द्वारा गददे खोदकर रास्ता अवरुद्ध करके अवैध खनन को पूर्णतः रोका गया है।
- रेत खनिज के अवैध परिवहन को रोकने हेतु 05 स्थानों (दलारना, गोवरधा, इकडोरी, हार कुई, गडी) पर CCTV कैमरा लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए बजट की मांग की गयी है।
- जिले में 05 थाना क्षेत्रों से 05 चौकियां प्रस्तावित की गयी है जो निम्नानुसार हैं

क्रमांक	थाना	संभावितचौकी
1	मानपुर	डलारना
2	ढोढर	गोबरधा
3	रघुनाथपुर	इकडोरी
4	बीरपुर	हारकुई
5	विजयपुर	गढी

2. शार्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म प्लान :-

- जिले में टास्क फ़ोर्स समिति की बैठक कर राजस्व, पुलिस, वन, परिवहन एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध खनन/परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी रूप से कार्यवाही सतत रूप से किया जाना ।
- खनिज का परिवहन कर रहे बिना न. के वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यवाही किया जाना ।
- वाहन की क्षमता से अधिक का खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर खनिज नियमों के साथ-साथ परिवहन/यातायात नियमों के तहत कार्यवाही किया जाना तथा वाहन में ओवरलोड परिवहन के लिए वाहन में modification किया गया है तो उसको हटाया जाना है ।
- विभाग द्वारा जिले में 03 अलग-अलग स्थानों पर जाँच नाका स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है ।
- अवैध परिवहन में संलिप्त चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाना ।
- खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त वाहनों को पेट्रोल पम्प में पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय नहीं किया जाना ।

3. राज्य शासन से अपेक्षा:-

- खनिज विभाग में खनिज निरीक्षकों के साथ साथ एनी पदों में पर्याप्त संख्या में भर्ती किया जावें वर्तमान में जिला खनिज कार्यालय में केवल खनिज निरीक्षक एवं एक सिपाही (महिला) पदस्थ है ।
- खनिज विभाग को पर्याप्त सशस्त्र-बल उपलब्ध कराया जाना ।
- खनिज विभाग को क्षेत्र में जाँच हेतु अच्छा वाहन उपलब्ध कराया जाना ।
- खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक को शस्त्र लाइसेंस आसानी से प्रदाय करवाना ।

4. अंतर राज्य मुद्दे/ अपेक्षा:-

- जो वाहन म.प्र. की सीमा स्थित चम्बल नदी से परिवहन कर राजस्थान की सीमा क्षेत्र में परिवहन करते हैं । उनका राजस्थान सरकार द्वारा कार्यवाही कर चम्बल अभ्यारण म.प्र. को प्रकरण स्थानांतरण किये जाने से जप्तशुदा वाहन पर राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी ।
- राजस्थान एवं म.प्र. के बॉर्डर क्षेत्र में दोनों राज्यों के पुलिस एवं खनिज एवं वन विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही किया जाना । जिससे प्रवाही कार्यवाही की जा सके ।
- दोनों राज्यों के बॉर्डर क्षेत्र पर चेक पोस्ट लगाकर निगरानी किया जाना ।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है


 29/03/23
 प्रभारी खनिज अधिकारी
 (खनिज शाखा)
 जिला श्योपुर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म०प्र०)

E-Mail- modgmbhi@mp.gov.in

क्रमांक-466...../खनिज/2023

भिण्ड, दिनांक 28/3/2023

प्रति,

आयुक्त महोदय,
चंबल संभाग
मुरैना म०प्र०

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ओ०ए० क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के पालन में की गई कार्यवाही के संबंध में।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ओ०ए० क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 के पालन में दिनांक 06.02.2023 से 28.03.2023 तक जिला स्तर पर की गई कार्यवाही बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

1. जिले में चंबल नदी से अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं।
2. जिले में अन्य नदियों/क्षेत्रों से खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुए खनिज नियमों के तहत अवैध परिवहन के 41 प्रकरण एवं अवैध उत्खनन के 02 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
3. अवैध उत्खनन में संलिप्त 02 फेकलेन मशीनों को राजसात किया गया है।
4. अवैध उत्खनन/परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 379, 414 के तहत 02 एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई है।
5. अवैध परिवहन की रोकथाम एवं सतत निगरानी हेतु अंतर्राज्यीय सीमा पर खनिज जांच नाका स्थापित किया गया है।
6. अवैध उत्खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिंग की रोकथाम के संबंध में दिनांक 31.03.2023 को अंतर्राज्यीय बैठक प्रस्तावित है।
7. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला स्तर पर अवैध उत्खनन/परिवहन रोकने के लिए Short term/Medium term/Long term Plan तैयार किये गये हैं। (जानकारी पृथक से संलग्न है।)

28/3/23
अपर कलेक्टर

जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 28/3/2023

पृ०क्रमांक-467...../खनिज/2023

प्रतिलिपि:-

1. श्री सचिन के० वर्मा, शासकीय अधिवक्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।

28/3/23
अपर कलेक्टर
जिला भिण्ड

निर्देशों के पालन में

1. Short Term, Medium Term & Long Term Plan की जानकारी-

Sort Term Plan:-

- i. वन विभाग, राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त दलों का गठन कर संयुक्त रूप से अवैध उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध सतत कार्यवाही करें।
- ii. अवैध उत्खनन के शिकायती क्षेत्रों में आस-पास के ग्रामवासियों से जानकारी एकत्रित कर लगातार हो रहे अवैध उत्खनन, परिवहन क्षेत्रों को चिन्हित किया जायें।

Medium Term Plan:-

- i. वन विभाग, राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के क्षेत्रों को चिन्हित कर उन पर सतत निगरानी रखें।
- ii. अवैध उत्खनन क्षेत्रों के ग्रामवासियों को सूचित किया जाये कि उनके ग्रामों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, परिवहन किया जाये तो तत्काल विभाग को सूचित किया जाये।
- iii. जिलों में अवैध उत्खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु प्रत्येक माह राजस्व, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग की टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया जाये। बैठक में कार्यवाही विवरण बनाया जाये एवं अवैध उत्खनन, परिवहन के रोकथाम के कार्यों की समीक्षा की जाकर दिशा-निर्देश दिये जायें।
- iv. अवैध उत्खनन, परिवहन में लिप्त लोगों को उनके किये गये अपराध से दण्डित किये जाने का प्रचार-प्रसार करें।

Long Term Plan:-

- i. अवैध उत्खनन क्षेत्रों के समीपवर्ती ग्रामों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक करें एवं आस-पास के ग्रामों में जागरूकता के विभिन्न अभियान चलाये जायें।
- ii. ऐसे व्यक्ति जो मात्र अवैध खनन, परिवहन से अर्जित आय पर आजीविका चलाते हैं उनके लिये कोई अन्य वैकल्पिक आय स्रोतों का निर्माण कर उन्हें उक्त कार्य से उन्मोचित किया जा सकें।

2. कार्यवाही का विवरण:-


भिण्ड जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवैध उत्खनन के कुल 10 प्रकरण, अवैध परिवहन के कुल 262 प्रकरण एवं अवैध भण्डारण के कुल 28 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। विभिन्न स्थालों पर राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा सिंध नदी किनारे अवैध उत्खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करते हुये 11 पनडुब्बियों में से 07 पनडुब्बियों को मौके पर विनिष्टीकरण किया गया एवं 04 पनडुब्बियों को जप्त कर थाने में रखवाई गई।

3. राज्य शासन से अपेक्षा:-

- i. अवैध खनन क्षेत्र पर राज्य, केन्द्रीय सशस्त्र बलों को अस्थायी रूप से खनन चिन्हित क्षेत्रों पर चौकियां बनाकर प्रक्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जावे।
- ii. खनिज कार्यालय में अमले की कमी है एवं नयीन पद स्वीकृत कर पूर्ति की जावे।
- iii. खनिज विभाग को सशस्त्र बल दिया जाये। साथ ही क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराये जावे।

4. Inter State issues की :-

- i. विभिन्न विभागों के पास पर्याप्त अमले की कमी है तथा क्षेत्र वृहद होने से समय वे समय रेत का अवैध खनन किया जाकर परिवहनकर्ता समीपवर्ती राज्य राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाते है तथा मध्यप्रदेश की सीमा से बाहर अन्य प्रदेश में कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है।
- ii. राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के सीमा अंतर्गत भिण्ड जिले के कुछ इलाके सम्मिलित है। जहां पर भिण्ड जिला प्रशासन एवं समीपवर्ती राज्य के जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर संयुक्त कार्यवाही की जाकर अवैध रेत खनन, परिवहन पर रोकथाम लगाना।
- iii. अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स का गठन कर संयुक्त जांच अभियान चलाया जावे।


प्रभारी खनि अधिकारी
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

जावक. क्र. 336 /2023 /32-3

भोपाल, दिनांक 29/03/2023

कार्यवाही विवरण

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान शासन की सह-अध्यक्षता में राज्यों के संबंधित अधिकारियों की वीसी/हाइब्रिड मोड में बैठक दिनांक 20/03/2023

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के मुख्य सचिवों एवं तीनों राज्यों के संबंधित अधिकारियों की बैठक दिनांक 20/03/2023 को वीसी/हाइब्रिड मोड से संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित तीन राज्यों के राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची संलग्न अनुसार है।

2. बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपस्थित मुख्यसचिव राजस्थान, मुख्यसचिव उत्तरप्रदेश, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, पुलिस महानिदेशक राजस्थान एवं तीनों राज्यों के उपस्थित गृह, वन, खनिज एवं पर्यावरण विभाग के राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों का स्वागत करते हुए अंतर्राज्यीय बैठक बुलाये जाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

3. तदोपरांत प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 की पृष्ठभूमि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का सारांश तथा मध्यप्रदेश राज्य द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 06/02/2023 के उपरांत की गयी कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

4. प्रकरण राष्ट्रीय चम्वल अभयारण्य की आपदा ग्रस्त जलीय जीव प्रजातियों के संरक्षण से उदभूत है। महत्वपूर्ण जलीय जीवों यथा डॉल्फिन, टरटल एवं घड़ियाल आदि के संरक्षण हेतु

अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की स्थापना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दिनांक 30-09-1978 के उपरांत मध्यप्रदेश राज्य द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 20-12-1978, उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 20-01-1979 एवं राजस्थान राज्य द्वारा राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 07-12-1979 जारी हुई है।

5. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य तीनों राज्यों यथा मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश की सीमाओं के त्रिकोण में स्थित होने की विशिष्ट परिस्थिति के कारण होने वाली अंतर्राज्यीय समन्वय संबंधी प्रशासनिक कठिनाइयों का अनुचित लाभ अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन कर्ताओं द्वारा उठाया जाता है।
6. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 21/02/2023 को अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
7. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा सर्वसंबन्धित विभागों के सहयोग से राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पंच - वर्षीय (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28) विस्तृत कार्ययोजना जिसकी अनुमानित लागत रूपए 19.47 करोड़ है, तैयार कर ली गयी है। कार्ययोजना में महत्वपूर्ण जलीय जीवों यथा डॉलफिन, टरटल एवं घड़ियाल आदि के संरक्षण के विशिष्ट उपायों के अतिरिक्त अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने एवं अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में लगे परिवारों हेतु वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
8. अवैध उत्खनन एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु सीआरपीसी की धारा- 144 अन्तर्गत आदेश प्रसारित कर अवैध उत्खनन में लगे/विना नम्बर प्लेट के वाहनों को पेट्रोल पम्प से डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति प्रतिबंधित की गयी है। प्रभावी ड्रोन सर्वेलेन्स हेतु वन विभाग के पास उपलब्ध दो ड्रोनो का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। संचालक राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुख्यालय मुरैना के पास उपलब्ध अतिरिक्त पुलिस बल का प्रभावी प्रबंधन तथा उपयोग किया जा रहा है। क्षेत्र में कार्यरत जाँच चौकियों की संख्या बढ़ाई गयी है एवं अन्य आधुनिक तकनीकी सुविधायें यथा मोबाइल एवं फाइबर कनेक्टिविटी आदि का उपयोग किया जा रहा है।
9. दिनांक 8/02/2023 को मैदानी अधिकारियों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई एवं दिनांक 17/03/2023 कलेक्टर मुरैना कार्यालय में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों यथा उत्तरप्रदेश के आगरा एवं राजस्थान के धौलपुर जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मंडल अधिकारी एवं खनिज अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई जिसमें अपराधियों के रिकॉर्ड

की आवश्यकता अनुसार अदला-बदली एवं ऐसी समन्वय बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

10. जिला मुरैना, ग्वालियर, भिंड एवं श्योपुर में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अंतर्राज्यीय समन्वय से जिला प्रशासनों, पुलिस, खनिज एवं वन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

11. जिला मुरैना में 17 नई पुलिस चेक पोस्ट कार्यरत हो गयी हैं। एक प्राइवेट ठेकेदार को रेत भंडारण का अतिरिक्त लाइसेंस दिया गया है तथा 2 और दिए जा रहे हैं। चंबल नदी पर फ्लैश लाइट, हूटर एवं पी ए सिस्टम युक्त 2 मोटरबोट से संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। बिना नम्बर के ट्रक, डंपर एवं एक्स्केवटर को ईंधन नहीं देने सम्बन्धी निषेधाज्ञा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में जारी की गई हैं। रेत के अवैध उत्खनन में लगे व्यक्तियों के लाइसेंसी हथियार निरस्त किये जा रहे हैं। कलेक्टर मुरैना द्वारा चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए लघु एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना बनाई गई है।

12. मध्य प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन पर निगरानी रखने के लिए आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स आधारित चेक गेट्स की स्थापना की कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुरैना, श्योपुर एवं भिंड में इस प्रकार के चेक गेट्स 31 दिसम्बर 2023 तक स्थापित कर लिए जायेंगे।

13. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में जिला मुरैना एवं श्योपुर के 207 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर करने संबंधी अधिमूचना दिनांक 31-01-2023 को जारी की गई है एवं इस क्षेत्र में रेत खदान वैधानिक रूप से आवंटित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

14. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा बताया कि राज्य के संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं एसपी के साथ विस्तृत समीक्षा की गई हैं। अवैध रेत परिवहन को राजस्थान राज्य की सीमा पर रोकने हेतु सरकार द्वारा समस्त आवश्यक उपाय अपनाए जा रहे हैं। रेत का अवैध परिवहन प्रमुख रूप से रात्रि के समय होता है। राजस्थान सीमा में प्रवेश का एक ही मार्ग है जिसमें रात के समय रेत माफिया द्वारा सुरक्षा बलों पर आक्रमण का डर रहता है। पूर्व में इस तरह की घटनाये हुई भी हैं। उत्खनन के स्रोत पर ही कठोर कार्यवाही की जाना अनिवार्य है। चम्बल की रेत के विकल्प हेतु धौलपुर में पार्वती में 232.92 हेक्टेयर एवं 391.75 हेक्टेयर के दो क्षेत्रों का संविदा निष्पादन 20-01-2023 को किया जाकर दिनांक 14-03-2023 को पंजीयन किया जा चुका है, एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट -टू-ऑपरेट प्राप्त होते ही खदान का संचालन प्रारंभ हो जावेगा। इससे क्षेत्र में वैध रूप से रेत प्राप्त होने पर अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक लगेगी।

15. अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया है तथा निरंतर निगरानी हेतु RAC की 14 वीं बटालियन नियुक्त की गई है। CCTV कैमरे स्थापित कर क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
16. राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 13-03-2023 को क्षेत्र का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली गई एवं अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के आवश्यक निर्देश दिए गए।
17. कलेक्टर धौलपुर द्वारा बताया कि राजस्थान सीमा में रेत उत्खनन नहीं किया जाता है। किन्तु अवैध परिवहन पर ठोस कार्यवाही की जा रही है तथा 586 प्रकरण दर्ज कर, 587 अवैध खनन कर्ताओं को गिरफ्तार किया गया एवं विभिन्न न्यायालयों में 358 चालान प्रस्तुत किये गए। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर मध्यप्रदेश शासन एवं राजस्थान सरकार के प्रभावी समन्वित प्रयासों द्वारा ही रेत माफियाओं पर कठोर कार्यवाही संभव है।
18. मुख्य सचिव उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निर्देश पर गठित जिलाधिकारी तथा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चम्बल अभ्यारण के उत्तरप्रदेश के क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन होते नहीं पाया गया। जनपद आगरा एवं इटावा के सीमावर्ती राज्यों से हो रहे अवैध रेत परिवहन पर ठोस कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आगरा के सैया टोल प्लाजा के पास व सरैंधी में तथा जनपद इटावा के आगरा में इन्टरस्टेट बार्डर पर AI/IoT युक्त आटोमेटेड चेकगेट की स्थापना की गयी है जो आर्टिफिशियल इण्टेलिजेन्स पर आधारित है। मध्यप्रदेश क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं मध्यप्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभावी समन्वित प्रयासों द्वारा ही अवैध रेत परिवहन पर कठोर कार्यवाही सम्भव है।
19. राज्य की सचिव, खनिज विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि खनिजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में वैध परिवहन प्रपत्रों के साथ परिवहन को मान्य किया गया है। सीमावर्ती राज्यों से होने वाले अवैध परिवहन के नियंत्रण हेतु तीनों राज्य के सम्बन्धित विभागों की संयुक्त कार्यवाही को बढ़ाया जाना होगा।
20. जनपद आगरा एवं इटावा में जनपद स्तर पर गठित टास्क फ़ोर्स द्वारा सीमावर्ती राज्य से हो रहे खनिजों के अवैध परिवहन के नियंत्रण हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-



क्र.	जनपद का नाम	जांच किये गये उपखनि जों लदे वाहनों की संख्या	जांच किये गये वाहनों के सापेक्ष निर्गत नोटिस की संख्या	शा स्ति वसूली के प्रकर ण	वसूल की गयी शास्ति की धनराशि (रु० लाख में)	खनन अधिनियम एवं आई०पी०सी० की धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत एफ०आई०आर०	पंजीकृत एफ०आई०आर० में अभियुक्तों की संख्या	गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग	गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की संख्या
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
१.	इटावा	25982	1131	1087	466-74	7	24	2	7
२.	आगरा	20462	1142	543	262-18	140	253	1	86
कुल योग		46444	2273	1630	728-92	147	277	3	93

21. राज्यों के पुलिस महानिदेशकों एवं सम्बंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उनके राज्यों में अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाए जाने की कार्यवाहियों से अवगत कराया गया तथा यह भी चिंता व्यक्त की गई कि रेत के उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्ति अपराधी किस्म के हैं, एवं आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग अथवा सामूहिक रूप से अधिकारियों, पुलिस कर्मियों पर हमले से भी नहीं हिचकते. अतः तीनों राज्य शासन को समवेत रूपेण प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही की जाना आवश्यक होगा.

22. मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा बैठक के अंत में विश्वास व्यक्त किया कि तीनों राज्यों के समन्वित प्रयासों से अवैध रेत उत्खनन रोकने हेतु की जा रही कार्यवाही के सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। मध्यप्रदेश के राजघाट एवं राजस्थान के धौलपुर के मध्य चंबल पुल अवैध परिवहन की धुरी होने के कारण अल्लावेली क्षेत्र में संयुक्त अंतर्राज्यीय आधुनिक चेक पोस्ट बनाये जाने की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन रोकने के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय हेतु जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना आवश्यक है। वैध रेत खदानों के शीघ्र आबंटन की कार्यवाही से भी अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। मध्यप्रदेश के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पंच - वर्षीय विस्तृत कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से भी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में जलीय जीवों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

23. मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तर पर कलेक्टर मुरैना तथा राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के साथ प्रमुख सचिव पर्यावरण को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया। राजस्थान की मुख्य सचिव द्वारा जिला स्तर पर कलेक्टर धौलपुर तथा राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव खनिज को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया। उत्तरप्रदेश की ओर से

विशेष सचिव खनिज को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया। नोडल अधिकारी तीनों राज्यों के मध्य समन्वय सूत्र के रूप में कार्य करेंगे।

धन्यवाद जापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(गुलशन बामरा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
प्रमुख सचिव / Principal Secretary
पर्यावरण विभाग / Environment Department
मध्यप्रदेश शासन / Government of Madhya Pradesh

पृष्ठांकन. क्र. 337/2023/32-3

भोपाल, दिनांक 29/03/2023

प्रतिलिपि:-

मध्यप्रदेश राज्य

1. श्री इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव
2. श्री सुधीर सक्सेना, पुलिस महानिदेशक
3. श्री राजेश राजोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
4. श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, पर्यावरण
5. श्री निकुंज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन
6. श्री जसवीर सिंह चौहान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी संरक्षण)
7. श्री दीपक सिंह, संभाग आयुक्त, राजस्व संभाग, ग्वालियर/चंबल
8. श्री स्वरूप दीक्षित, फील्ड डायरेक्टर राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, जिला मुरैना
9. श्री सुशांत सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन
10. श्री गौरव राजपूत, सचिव, वन विभाग
11. श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, मदस्य सचिव म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
12. श्री अंकित अग्राना, कलेक्टर, मुरैना
13. डॉ सतीश कुमार, कलेक्टर, भिंड
14. श्री शिवम वर्मा, कलेक्टर, श्योपुर
15. श्री अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर, ग्वालियर
16. श्री आशुतोष बागरी, पुलिस अधीक्षक, मुरैना
17. श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक, भिंड
18. श्री अनुराग सुजनिया, पुलिस अधीक्षक, श्योपुर
19. श्री अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर
20. श्री स्वरूप दीक्षित, वन मंडलाधिकारी, मुरैना
21. श्री एच. एस. मालवीय, क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर
22. श्री अकरम शेख, डी.पी.ओ., सी.आई.डी.

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
प्रमुख सचिव / Principal Secretary
पर्यावरण विभाग / Environment Department
मध्यप्रदेश शासन / Government of Madhya Pradesh

0/2

पृष्ठांकन. क्र.337 /2023/32-3
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29/03/2023

राजस्थान राज्य

1. श्रीमति उषा शर्मा, मुख्य सचिव
2. श्री उमेश मिश्रा, पुलिस महानिदेशक
3. श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण
4. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम
5. श्री हेमंत प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
6. श्री अरिंदम तोमर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक
7. श्री सन्देश नाइक, निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग
8. श्री गौरव श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर
9. श्री कन्हैया लाल स्वामी, परिवहन आयुक्त
10. श्री अनिल यादव, उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य
11. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, कलेक्टर, धौलपुर
12. श्री आलोक रंजन, कलेक्टर, भरतपुर
13. श्री मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक, धौलपुर
14. श्री हैदर अली जैदी, पुलिस अधीक्षक, भरतपुर

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
प्रमुख सचिव / Principal Secretary
पर्यावरण विभाग / Environment Department
मध्यप्रदेश शासन / Government of Madhya Pradesh

पृष्ठांकन. क्र. 337/2023/32-3

भोपाल, दिनांक 29/03/2023

प्रतिलिपि:-

उत्तरप्रदेश राज्य

1. श्री दयाशंकर मिश्र, मुख्य सचिव
2. डॉ० रोशन जैकब, सचिव, खनिज विभाग
3. श्री ए. वी. राजमौली, सचिव, गृह विभाग
4. श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण विभाग
5. श्री विपिन कुमार जैन, विशेष सचिव, खनिज विभाग
6. डॉ० प्रीतेंदर सिंह, पुलिस आयुक्त, आगरा
7. श्री नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी, आगरा
8. श्री अवनीश राय, जिलाधिकारी, इटावा
9. श्री संजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा
10. श्री किरीट राठौर, पुलिस अधीक्षक (क्राइम), मुख्यालय
11. श्री अमित कौशिक, संयुक्त निदेशक, खनन निदेशालय
12. श्री दिवाकर श्रीवास्तव, उप संरक्षक, चम्बल अभ्यारण्य प्रोजेक्ट, आगरा
13. श्री आर. बी. सिंह, जनपदीय खान अधिकारी, आगरा
14. श्री प्रदीप कुमार राज, जनपदीय खान अधिकारी, इटावा


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
प्रमुख सचिव / Principal Secretary
पर्यावरण विभाग / Environment Department
मध्यप्रदेश शासन / Government of Madhya Pradesh

OK

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान शासन की सह-अध्यक्षता में राज्यों के संबंधित अधिकारियों की बैठक दिनांक 20/03/2023 की उपस्थिति

मध्यप्रदेश राज्य

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री इकबाल सिंह बैस	मुख्य सचिव
2.	श्री सुधीर सक्सेना	पुलिस महानिदेशक
3.	श्री मलय श्रीवास्तव	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
4.	श्री गुलशन बामरा	प्रमुख सचिव, पर्यावरण
5.	श्री निकुंज श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन
6.	श्री जसवीर सिंह चौहान	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी संरक्षण)
7.	श्री दीपक सिंह	संभाग आयुक्त, राजस्व संभाग, ग्वालियर/चंबल
8.	श्री स्वरूप दीक्षित	फील्ड डायरेक्टर राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, जिला मुरैना
9.	श्री सुशांत सक्सेना	पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन
10.	श्री गौरव राजपूत	सचिव, वन विभाग
11.	श्री चन्द्रमोहन ठाकुर	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
12.	श्री अंकित अष्टाना	कलेक्टर, मुरैना
13.	डॉ सतीश कुमार	कलेक्टर, भिंड
14.	श्री शिवम वर्मा	कलेक्टर, श्योपुर
15.	श्री अक्षय कुमार सिंह	कलेक्टर, ग्वालियर
16.	श्री आशुतोष बागरी	पुलिस अधीक्षक, मुरैना
17.	श्री शैलेंद्र सिंह चौहान	पुलिस अधीक्षक, भिंड
18.	श्री अनुराग सुजनिया	पुलिस अधीक्षक, श्योपुर
19.	श्री अमित सांघी	पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर
20.	श्री स्वरूप दीक्षित	वन मंडलाधिकारी, मुरैना
21.	श्री एच. एस. मालवीय	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर
22.	श्री अकरम शेख	डी.पी.ओ., सी.आई.डी.


 गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
 प्रमुख सचिव / Principal Secretary
 पर्यावरण विभाग / Environment Department
 मध्यप्रदेश शासन / Government of Madhya Pradesh

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान शासन की सह-अध्यक्षता में राज्यों के संबंधित अधिकारियों की बैठक दिनांक 20/03/2023 की उपस्थिति

राजस्थान राज्य

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्रीमति उषा शर्मा	मुख्य सचिव
2	श्री उमेश मिश्रा	पुलिस महानिदेशक
3	श्री सुबोध अग्रवाल	अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम
4	श्री शिखर अग्रवाल	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण
5	श्री हेमंत प्रियदर्शी	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
6	श्री अरिंदम तोमर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक
7	श्री सन्देश नाइक	निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग
8	श्री गौरव श्रीवास्तव	पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर
9	श्री कन्हैया लाल स्वामी	परिवहन आयुक्त
10	श्री अनिल यादव	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य
11	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	कलेक्टर, धोलपुर
12	श्री आलोक रंजन	कलेक्टर, भरतपुर
13	श्री मनोज कुमार	पुलिस अधीक्षक, धोलपुर
14	श्री हैदर अली जैदी	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर

गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
 प्रमुख सचिव / Principal Secretary
 पर्यावरण विभाग / Environment Department
 मध्यप्रदेश शासन / Government of Madhya Pradesh

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2023 के परिपालन में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान शासन की सह-अध्यक्षता में राज्यों के संबंधित अधिकारियों की बैठक दिनांक 20/03/2023 की उपस्थिति

उत्तर प्रदेश राज्य

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री दयाशंकर मिश्र	मुख्य सचिव
2	डॉ० रोशन जैकब	सचिव, खनिज विभाग
3.	श्री ए.वी. राजमौली	सचिव, गृह विभाग
4	श्री आशीष तिवारी	सचिव, पर्यावरण विभाग
5	श्री विपिन कुमार जैन	विशेष सचिव, खनिज विभाग
6	डॉ० प्रीतेंदर सिंह	पुलिस आयुक्त, आगरा
7	श्री नवनीत सिंह चहल	जिलाधिकारी, आगरा
8	श्री अवनीश राय	जिलाधिकारी, इटावा
9	श्री संजय कुमार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा
10	श्री किरिट राठौर	पुलिस अधीक्षक (क्राइम), मुख्यालय
11	श्री अमित कौशिक	संयुक्त निदेशक, खनन निदेशालय
12	श्री दिवाकर श्रीवास्तव	उप संरक्षक, चम्बल अभ्यारण्य प्रोजेक्ट, आगरा
13	श्री आर. बी. सिंह	जनपदीय खान अधिकारी, आगरा
14	श्री प्रदीप कुमार राज	जनपदीय खान अधिकारी, इटावा


 गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
 प्रमुख सचिव / Principal Secretary
 पर्यावरण विभाग / Environment Department
 मध्य प्रदेश शासन / Government of Madhya Pradesh

VAKALATNAMA

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, (PB) BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION / APPEAL / REVIEW No. 248 / 2022

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED ON THE HINDU DATED 27-03-2022 TITLED AS DISGRACING UP CHAMBAL Claimant/Petitioner/Applicant

VERSUS

STATE OF MP. Respondent/Non-Applicant

I/we the Respondent/Non- applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate named below to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the National Green Tribunal in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/ them to sign and file pleadings, cross objections, petitions, applications, affidavits, or other document as may be deemed necessary or proper for the prosecution/ defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/ them as if done by me/us : In witness whereof I/We do hereunto set my/ our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/ us, this27... day of 03... 2023 at Bhopal (M.P.)

Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama

Name Father/s/ Husband/s name	&	Registered Address	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Status in the case	Full Signature/ **Thumb Impression
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RAY SINGH NARWARIA S/O SHRI DHIR SINGH. Age 55 years H.K Sharma S/o Sh.M.H. Sharma		Add. SP MORENA O.S.D., Env. Dept Govt & MP	Add. SP - Morena @mppolice .gov.in	94250 1112		 

Accepted:

Particulars (in Block Letters) of each advocate accepting Vakalatnama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SACHIN K. VERMA ADV ENRL NO. MP/2130/1998 HARSHITA TEJWANII ENRL NO. MP/2754/2020	CHAMBER NO. 608, UCI LAWYERS CHAMBER ARERA HILLS BHOPAL 462011	ngtstand ingcoun sel@gmail il.com	9425412492	 